

# राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यायस भवन, सेक्टर-18, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : [soiaacg@gmail.com](mailto:soiaacg@gmail.com)

**विषय—** राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 08/01/2021 को संघन 354वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021 को श्री वीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

1. श्री मोहन जगत अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री नीलेश्वर प्रसाद शर्मा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री. एन.उपेन्द्रुनाथ, कानून, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री कालदियुस शीर्षी, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री वीरेन्द्र शर्मा द्वारा विडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई एवं श्री अरविन्द कुमार गौतम, सदस्य विडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुये। समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया—

**एजेन्डा काइटम क्रमांक-1:** 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021 को कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के संस्था शीर्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तावित समिति सार्वभूमिक हुई।



एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: गैर/पुष्प खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण संघर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना। ✓

1. मेसर्स श्री मनोज कुमार जीन (गुमरडीहकला लाईन स्टोन कार्बाइड) ग्राम-गुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1288)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 150785 / 2020, दिनांक 01 / 04 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञात दिनांक 12 / 05 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी दिनांक 25 / 11 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित कृमि पल्प (गैर खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 35/2, कुल क्षेत्रफल-0.660 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-7.950 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समक्ष सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में आवेदित खदान पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सभासद निर्धारण अधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला नगरीय पर्यावरण सभासद निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोधित सर्तों के प्राचन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोबाल्स सहित प्रस्तुत की जाए। राज्य की पुनर्जांच की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोबाल्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्पादन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से अर्जित करके प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोबाल्स) को राज्य आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02 / 01 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08 / 01 / 2021

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुप्रेषण प्रस्तुत नहीं किया गया है।



समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सौंपित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. पेशवा भी मनोज कुमार जैन (दुमरडीहकला ज़ाईम स्टोन वाईन), पान-दुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1288)

ऑनलाईन आवेदन - एनआईए / सीडी / एनआईए / 149359 / 2020, दिनांक 17 / 03 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिथी होने से ज्ञापन दिनांक 23 / 03 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सौंपित जानकारी दिनांक 25 / 11 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित युवा मध्य (जीन खनिज) खदान है। खदान पान-दुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खदान क्रमांक 20 एवं 22, कुल क्षेत्रफल-1.821 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित परतकम मात्रा-13,125 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नसीब एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा आवश्यक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. पूर्व में आवेदित खदान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रतिकल्प (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णपत्र अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रतिकल्प (सी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णपत्र द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित जमी के धारण में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोबाल सहीत प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुरातरीपत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोबाल सहीत प्रस्तुत की जाए।
2. खदान पूर्व से संचालित है, विगत वर्ष में किए गए परखनन की सांख्यिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आई.ए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विभाग के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त सनला कृषि जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोबाल) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.आई.सी., उत्तीर्णपत्र के ज्ञापन दिनांक 02 / 01 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08 / 01 / 2021

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्गत किया गया कि परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा दक्षिण जानकारी एवं अनुसंधान कर प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिषदीयता प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. गैसार्स की परामर्श जैन (दुग्धशोधकाला लाईन- इटोन गार्डिन), पाप-दुग्धशोधकाला, तहसील व जिला-राजनादिगांव (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1281)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 160780 / 2020, दिनांक 01 / 04 / 2020। परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने से ज्ञात दिनांक 08 / 05 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा दक्षिण जानकारी दिनांक 25 / 11 / 2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित घुना माधर (गीना खनिज) खदान है। खदान घाट-दुग्धशोधकाला, तहसील व जिला-राजनादिगांव स्थित खदरा क्रमांक 172/2, 173/2, 174, 175 एवं 176/2, कुल क्षेत्रफल-1,583 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-12,300 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020

समिति द्वारा खदान की पत्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णक अवकाश जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राविश्यता (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित सर्ती के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोवास्त सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुलक्षेत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोवास्त सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से उपलब्ध करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परिषदीयता प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्तावक (अद्यतन फोटोवास्त) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिषदीयता प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णक के ज्ञापन दिनांक 02 / 01 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08 / 01 / 2021

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिषदीयता प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08 / 01 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के

समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपलब्ध होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह की आवेदित बैठक में पूर्व में जारी गई अधिलेखनकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण विधि ज्ञान हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री मिनरल्स (प्री.- श्री अशोक कुमार राठीर, जीराईकला लो-वेड लाईम स्टोन कारी), धाम-जीराईकला, तहसील-बारीदा, जिला-जंजगीर-बाघा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1474)

जीराईकला आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एसआईएल / 185037 / 2020, दिनांक 26 / 11 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित फुल क्वाथ (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान धाम-जीराईकला, तहसील-बारीदा, जिला-जंजगीर-बाघा स्थित खसरा क्रमांक 1027 / 1क, 1027 / 1ख, 1302 / 1क, 1303 / 1क, 1302 / 2, 1303 / 2, 1302 / 1ख, 1303 / 1ख, कुल क्षेत्रफल-1.328 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैचकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:

समिति द्वारा खदान की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. धाम संघात की अन्तर्गत खदान पथ की परीक्षा प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण विभाग अधीकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण अधीकरण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित सर्ती की मातम में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोबन्ध सहित अस्तुत की जाए। साथ ही कुआरेखन की अद्यतन स्थिति की जानकारी अोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से अज्ञात है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्पादन की आन्तरिक मात्रा की जानकारी अधिलेख विभाग से प्राप्तित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण की साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन अोटोग्राफस) की साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण विधि ज्ञान हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को धामन दिनांक 02 / 01 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021

प्रस्तुतकरण हेतु की जांच करती, प्रोपर्टी टैक्स पर निर्धारित दरों को समीक्षा करती, प्रस्तुत प्रस्तावों का अंतिम रूप एवं परिणाम करने पर निम्न विधि पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत की कार्यवाही का दिनांक 15/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - जहाँ प्लान एंडिंग विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम पंचायत (ग्रामिण) जिला-बोरो का इलाका क्रमांक /4157/खलि./उ.पौ.अ./2017 बोरो, दिनांक 10/11/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (ग्रामिण शाखा), जिला-जाजगीर-बाँसा के इलाका क्रमांक/3810/खलि./न.क./2020 जाजगीर, दिनांक 28/10/2020 के अनुसार अनापत्ति खदान से 500 मीटर की सीमा अवधिगत अन्य खदानों की संख्या शून्य है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (ग्रामिण शाखा), जिला-जाजगीर-बाँसा के इलाका क्रमांक/3809/खलि./न.क./2020 जाजगीर, दिनांक 28/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पार्क, बाँध, एंटीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (ग्रामिण शाखा), जिला-जाजगीर-बाँसा के इलाका क्रमांक/2268/गैर ग्रामिण/न.क./2020-21 जाजगीर, दिनांक 03/10/2020 द्वारा जारी की गई विस्तृत विवरण जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
6. मू-स्थानित- मुनि बीमारी चिकित्सा बोर्ड के नाम पर है। उत्खनन हेतु सार्वजनिक पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की जाँच प्रस्तुत की गई है।
8. ग्राम विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय जनसम्पर्क अधिकारी, जाजगीर-बाँसा प्रमाणपत्र, बाँसा के इलाका क्रमांक/तकअदि/4158 बाँसा, दिनांक 18/08/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।
9. महासमुद्र संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय ग्राम-कीराईकला 1.8 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-कीराईकला 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्फुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया



11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलाजिकल रिजर्व 11,48,000 टन, गाइनेबल रिजर्व 4,18,912 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,97,566 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,000 वर्गमीटर है। खनन कास्ट रीली मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। प्रस्तुत उत्खनन योजना अनुसार वर्तमान की प्रस्तावित गहराई 13.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,935 घनमीटर है। अनुसूचित माईनिंग प्लान अनुसार उक्त ऊपरी मिट्टी को समीप में स्थित स्वयं की ब्रिक्स निर्माण इकाई में उपयोग किया जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्तर अक्षांश का प्रस्ताव नहीं किया गया है। लीज क्षेत्र से डिजिटल एवं अंतरिक्ष चित्रण किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जाल का विस्तारण किया जाएगा। पर्यावरण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,025
द्वितीय	30,000
तृतीय	30,000
चतुर्थ	30,000
पंचम	30,000

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्ठम	30,000
सातम	30,000
अष्टम	30,000
नवम	30,000
दशम	30,000

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति क्षेत्र के माध्यम से की जाएगी।

13. कुशलरोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में कबो क्षेत्र 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नम कुशलरोपण किया जाएगा।

14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. ऑर्गेनाइज्ड पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आरि (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिती के समक्ष विवरण से पूर्व पर्यावरण निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

40.05	2%	0.51	Following activities at Govt Middle School, Village-Aaralkala	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation	0.10
<b>Total</b>			<b>0.95</b>	

16. नालीय एन.जी.टी., डिजिटल रीड, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च मानकेंय विद्युत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (डिजिटल रीडिंग नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 12/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

17. अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार ऊपरी मिट्टी को खोप में स्थित खन के क्रिस निर्माण इकाई में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ऊपरी मिट्टी को सीमा मट्टी (1.5 मीटर) में बिलालन पुनारोपण के लिए उपयोग किये जाने के उपरान्त, बीच ऊपरी मिट्टी को माइनिंग प्लान अनुसार खन के क्रिस निर्माण इकाई में उपयोग किया जाना चाहिए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज हाका), जिला-जाजगीर-बांसा के द्वारा क्रमांक/3810/ख.नि./न.क./2020 जाजगीर, दिनांक 26/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है। आवेदित खदान (घाम-ओराईकला) का रकबा 1.528 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में खोदकृत/संभावित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर का उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की गयी।
- ऊपरी मिट्टी को सीमा मट्टी (1.5 मीटर) में बिलालन पुनारोपण के लिए उपयोग किये जाने के उपरान्त, बीच ऊपरी मिट्टी को माइनिंग प्लान अनुसार खन के क्रिस निर्माण इकाई में उपयोग किया जाए। आवेदक द्वारा क्रिस निर्माण इकाई का पूर्ण विवरण 15 दिवस के भीतर एस.ई.आई.ए.ए. अलीसाहब को प्रस्तुत किया जाए।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - निवासी श्री निमराला (पति- श्री अशोक कुमार राठी, ओराईकला जो-बैंक लाईन स्टोन क्वारी) को घाम-ओराईकला, तहसील-बलीवा, जिला-जाजगीर-बांसा के संसद क्रमांक



1302/1A, 1302/1B, 1302/1C, 1303/1A, 1302/2, 1303/2, 1303/1A, 1303/1B में स्थित चूना पत्थर (सीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 1.528 हेक्टेयर, क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिफ्ट-01 में वर्णित शर्तों को अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति विद् करने की अनुमति की गई।

राज्य सरकार पर्यावरण संपादन निर्धारण प्राधिकरण (एसआईआईएए) प्रमोशनर को संधानुसार सूचित किया जाए।

3. मैसर्स श्री अश्विनी म्यून्डा (पतौरा रोड गाईन, ग्राम-पतौरा, तहसील ब जिला-कोण्डागांव), टिकरापारा, जनकपुर गाई, कांकेर, जिला-बब, कांकेर (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 1475)

खानगाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए / बीजी / एमआईएन / 185131/2020, दिनांक 26/11/2020।

परस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (सीम खनिज) है। यह खदान ग्राम-पतौरा, तहसील ब जिला-कोण्डागांव स्थित गाई जीक खनन क्रमांक 475, कुल क्षेत्रफल - 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन नर्मदी नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 43,800 मीट्र प्रतिवर्ष है।

शर्तों का विवरण -

(अ) सचिवालय की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020।

समिति द्वारा उत्खनन की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपसम्पन्न सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपरस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुना 25 मीटर का विज्ञानाकर निर्माण में रेत सतह को लेवल्स (Levels) लेकर विज्ञान में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त खनन सीमा के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह को सतह (Levels) का भी सर्वे किया जाये। प्रस्तावित लेवल्स (Levels) हेतु बाग से कम 2 टेम्परी बेस मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्परी बेस मार्क (TBM) में ऊपर एक, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किया जाये। विज्ञान में टेम्परी बेस मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, सभी स्थिति विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसकी अनुमति खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना सम्भव न हो तो उसकी गणना कर, नदी पर दर्शाकर, इतना उत्तरेख गाईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर स्थिति विभाग से प्रमाणित कराकर, प्रमाण पत्र अर्पण किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाधा जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपरस्ट्रीम में

न्यूनतम 500 मीटर तथा ड्राइंगस्ट्रीट में न्यूनतम 250 मीटर रखे जाये आवासीय है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार पूरी की अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अध्याय पर खतरा हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार लकी पर विनियम कर, उसका भीड़ पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

5. रैट उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध प्ले की भीटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (नल) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रैट की वास्तविक गहराई हेतु पंचायत की प्रस्तुत किया जाये।
6. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुष्टता निर्धारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सन्तुष्टता निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती एवं अधिरोधित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोप्राम्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पृष्ठांतरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोप्राम्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विद्या पर्वी से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को खदान में रैट की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अगामी गड्ढे की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोप्राम्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अंतिम मुला, प्रोफाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा लकी, प्रस्तुत उपलब्धता का अन्वेषण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. प्राथमिकता का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रैट उत्खनन के संबंध में प्राथमिकता प्रमाण पत्र का दिनांक 21/03/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दाकित/सीधकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज सचका से प्राथमिकता प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीधकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिपति, जिला-उत्तर उत्तर उत्तर के द्वारा अनांक/791/खनिज/पर्या.पौ.अनु./रा/2020-21 आकर, दिनांक 12/11/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में निश्चित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सचका), जिला-सोणवाण्ड के द्वारा अनांक/368/खनिज/ख.ति./रा/खदान/2020-21 सोणवाण्ड, दिनांक 10/11/2020 के अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर की भीतर उपस्थित अन्य रैट खदानों की संख्या निरंक है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय इन्स्पेक्टर (खनिज सारण), जिला-कोण्डागाम के डायन क्रमांक /441/खनिज /2020-21 कोण्डागाम, दिनांक 07/01/2021 द्वारा जारी प्रथम एवं अनुसार तथा खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एंटीकॉट, वायुमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. की अधिकृत नुमा के नाम पर है जो कार्यालय इन्स्पेक्टर (खनिज सारण), जिला-कोण्डागाम के डायन क्रमांक /88/खनिज/नेता खदान/2020-21 कोण्डागाम, दिनांक 27/05/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता दृष्टि करवाकर, वैध एल.ओ.आई. की प्रति प्रेषित की जाएगी।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-गलारी 0.4 कि.मी., स्कूल धन-मसौरा 2 कि.मी., एवं अस्पताल कोण्डागाम 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0387 कि.मी. एवं राजमार्ग 32 कि.मी. दूर है। पुल खदान के 387 मीटर की दूरी पर कावमरहीम में स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संबंधित क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में जैववैज्ञानिक क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रदूषण नियंत्रण कोई द्वारा घोषित किरिगली पॉस्टग्रेड एरिया, पारिस्थितिकीय संबंधित क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
10. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 138 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 1,020 मीटर, न्यूनतम 1,018 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 87 मीटर, न्यूनतम 25 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 28 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर है, जबकि इतकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर तथा नदी के घाट की चौड़ाई का 50 प्रतिशत होगा खनिज।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की महत्व - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित महत्व - 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा - 42,800 घनमीटर है। रेत कायमान हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सारण की मोटाई पालने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 मीटर तबल एवं 3 मीटर महत्व के 3 गड्ढे (Pits) कोटकर जीव क्षेत्र पर महत्व का आवेदन किया गया है। उपर से प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की वार्षिक मोटाई की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। अतः रेत की वार्षिक मोटाई की किमी हेतु नवीन अध्ययन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्वी में सरसों, धान पंचायत मल्लौर के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 478, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, आयत - 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोल्हागांव द्वारा दिनांक 31/10/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- ii. पूर्वी में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों के पालन में जोड़े गई कार्यावाही की कार्यावाही प्रस्तुत की गई है। नए अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (समिज सख्त), जिला-कोल्हागांव को डायम क्रमांक /440/समिज /रेत (मूल)/2020-21 कोल्हागांव, दिनांक 07/01/2021 को अनुसूच विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017-18	8,825
2018-19	928
2019-20	निराक
2020-21	निराक

- iv. निर्धारित शर्तानुसार कृषादीपन नहीं किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह को लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 28 मीटर के सिंक बिन्दुओं पर दिनांक 28/10/2020 को रेत सतह को वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, सभी समिज विभाग की प्रशासकीय उपरान्त फोटोप्राप्त सहित जलकारी/परापेज प्रस्तुत किये गये हैं।
  14. क्वॉरिंटेड पर्यावरणीय प्रॉफाइल (C.E.M.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से वर्षों उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
45	2%	0.90	Following activities at Nearty Government Higher Secondary School, Village-Masora	
			Rain Water Harvesting System	0.90
			<b>Total</b>	<b>0.90</b>

15. बीर माईनिंग क्षेत्र -

i. नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 136 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर है, जबकि खदान लटी घाट के किनारे अधिकतम 29 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर है। नदी

दिए गए निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माइनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई से न्यूनतम 10 मीटर छोड़कर पर्याप्तन किण्व जाना प्रस्तावित है, जिसमें 200 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. राष्ट्रीय राजमार्ग में पुल खदान से 387 मीटर की दूरी पर डायमन्स्टीम में स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित करने के दौरान बताया गया कि नये ग्राइंडलाइन अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में मुख्य पुल स्थित होने के कारण कम से कम 5 कि.मी. दूरी छोड़ी जानी आवश्यक है। अतः पुल के डायमन्स्टीम में अतिरिक्त 813 मीटर दूरी को छोड़ा जाएगा। संशोधित माइनिंग प्लान अनुसार 28,000 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माइनिंग प्लान में कुल गैर माइनिंग क्षेत्र 28,200 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेल डायरेक्शन का आई खदान के अंतर्गत 2-18 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वशक्ति की निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. एन.डी.आई की विगत वृद्धि संबंधी प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाए।
2. रेल डायरेक्शन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेल की चौड़ाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पू) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, उचित विधान से समायोजित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की वास्तविक गहराई हेतु पर्याप्त भी प्रस्तुत किया जावे।
3. रेलक में दिये गये सहमति अनुसार सख्त परिमर्श के तहत एक प्यारोपण का कार्य शामिल करते हुए एन.डी.आई का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त उचित जानकारी प्राप्त होने पर अंतिम कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मैसर्स श्री रविशंकर जायसवाल (रुनियावाडी बिल्ट अर्थ वर्क क्वारी एण्ड किन्सा विनरी प्लांट), पान-रुनियावाडी, तहसील व जिला-सुरजपुर (सविधानिक का नस्ली क्रमांक 1482)

ऑनलाइन आवेदन - एन.डी.आई नम्बर - एसआईए/ सीपी/ एमआईएन/ 174324/2020, दिनांक 22/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध ऑनलाइन आवेदन में समिती होने से ज्ञापन दिनांक 07/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक 27/11/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संशोधित मिट्टी पर्याप्तन (सीम खनिज) खदान एवं किन्सा विनरी ईट उत्पादन इकाई है। खदान पान-रुनियावाडी तहसील व जिला-सुरजपुर स्थित खदान क्रमांक 1273, कुल क्षेत्रफल - 0.87 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता - 1,073.23 फन्टमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

**(क) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020**

समिति द्वारा उद्योग की नयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण एवं परस्पर सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. घान पर्यावरण को अनापत्ति प्रमाण पत्र की पर्याय प्रती (बैठक दिनांक सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण संसाधन निदेशन प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णता अधक जिला स्तरीय पर्यावरण संसाधन निदेशन प्रधिकरण (बी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णता द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती एवं अधिवेधित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटोप्राप्त सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुआरोपन की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटोप्राप्त सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्ष में किए गए उद्योग की वास्तविक मात्रा की जानकारी उचित विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटोप्राप्त) के साथ आगामी मंत्र की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समानुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., उत्तीर्णता के द्वारा दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ख) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021**

प्रस्तुतीकरण हेतु की स्वीकार्यता जांचकाल, प्रीपारेंट्स उपस्थित हुए। समिति द्वारा नयी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तुतीकरण की दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदन में मिट्टी उखानन (ग्रीन खनिज) क्षमता 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर में डिट्ट उखानन अधिकतम क्षमता - 5,76,400 का प्रतिवर्ष का भी प्रमाण है। अतः पर्यावरणीय स्वीकृति मिट्टी उखानन (ग्रीन खनिज) क्षमता 1,073.23 घनमीटर (डिट्ट उखानन क्षमता - 5,76,400 मग) प्रतिवर्ष हेतु जारी किने जाने का अनुरोध किया गया जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।
2. घान पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उद्योग के संबंध में घान पर्यावरण कनिगाठीक का दिनांक 08/08/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उखानन योजना - जारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड अन्वी कन्वेज प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के पृ. क्रमांक/230-31/खनिज/खनिज/2016 बैंगलपुर, दिनांक 20/05/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - भारतीय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक 832/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक



28/10/2020 को अनुसार अपेक्षित खदान से 800 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरुक्त है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूदरपुर के ज्ञापन क्रमांक 832/सखिज/2020 सूदरपुर, दिनांक 28/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मत्शाला, गुरुद्वारा, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एम.एन.ए. एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. लीज का विवरण - भूमि एवं लीज की रजिस्ट्रेशन जायसवाल के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष की दिनांक 28/03/2008 से दिनांक 27/03/2018 तक थी। संप्रश्नात लीज क्षेत्र में 20 वर्ष की दिनांक 28/03/2018 से 27/03/2038 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वेन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणधिकारी, वन विभाग सरगुजा समनकाल, अजमेरपुर के ज्ञापन क्रमांक /सा.वि./1288/2005 अजमेरपुर, दिनांक 19/04/2005 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-सुनिवाडीह 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-सुनिवाडीह 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-सुनिवाडीह 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 54 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव-वैविध्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित प्रतिकूलता संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खदान संधारण एवं खनन का विवरण - विद्यमान खनन विस्तार लगभग 11.101 घनमीटर, माइनिंग विस्तार 6.479 घनमीटर एवं रिकॉन्सिल विस्तार 5.831 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा बट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 384.79 वर्गमीटर है। खनन आरंभ के लिए खनन विधि से खनन किया जाता है। माइनिंग प्लान अनुसार वर्तमान में 5.838.68 वर्गमीटर क्षेत्र में लगभग 1 मीटर की गहराई तक खनन किया गया है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। स्थापित लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भूखण्ड (किल्ला) प्रस्तावित है, जिसकी किल्ला चिननी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत बलाई एर का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 13 टन कोयला की आवश्यकता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का उपयोग किया जाता है। माइनिंग प्लान में पर्यावरण प्रस्तावित खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित खनन (घनमीटर)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	631

प्रथम एवं द्वितीय बंध	581
द्वितीय	582
तृतीय	583
चतुर्थ	518
पंचम	518
षष्ठम	519
सप्तम	519
अष्टम	519
नवम	520
दशम	528

नोट: तालिका में इसमूल्य के बाद के अंकों को सरण्डशुद्ध किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बीरोल के मध्यम से किया जाता है। इस बाबत सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड असीरिटी से स्थापित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में बाई ओर 1 मीटर की गहरी में 100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-**

- पूर्व में सिटी कार्पोरेशन द्वारा अगस्त 1273, संख्या-087 डीसेम्बर, अगस्त-1073223 घनमीटर (9,47,581 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्रधिकरण, जिला-सुरजपुर द्वारा दिनांक 19/12/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (सबि सचिव), जिला-सुरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 8325/सबिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 28/10/2020 के अनुसार निम्न वर्षों में किये गये सखनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वार्षिक उत्पादन (नग)	वार्षिक सखनन (घनमीटर)
2017	60,000	100
2018	6,25,000	1,000
2019	2,70,000	540

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से कार्य संस्था निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation





			(in Lakh Rupees)	
32	2%	0.64	Following activities at Govt Primary School, Village-Runiyadh	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Total	0.70

समिति द्वारा निम्न विवरण विनयां उपरोक्त कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- परिष्कारणा प्रस्तावक को विगत वर्षों में पर्यटन किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) समिति विभाग से प्राप्तित तब तक प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- आरोपित उत्खनन समता 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष है। जबकि माइनिंग प्लान में प्रथम वर्ष में उत्खनन 1,182 घनमीटर बताया गया है। इस संबंध में सिराते स्पष्ट की जाए।

परिष्कारणा प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

- मेसर्स सहसपुर जोलीमाईट कार्बी (पं.) की प्रयोग विधायी, धाम-सहसपुर, सहरील-जोरगी, जिला-मुंगेरी (सचिवालय का नरती क्रमांक 1477)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एनआईए / सीडी / एनआईए / 182887 / 2020, दिनांक 27 / 11 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित जोलीमाईट (पीएल खनिज) खदान है। खदान धाम-सहसपुर, सहरील-जोरगी, जिला-मुंगेरी निम्न खसरा क्रमांक 38/1, 48/2, 48/3, 50/4, 51/1 एवं 51/2 कुल क्षेत्रफल-2.04 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आरोपित उत्खनन समता-8,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020।

समिति द्वारा प्रकल्प की नरती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा वास्तविक कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- यदि पूर्व में आरोपित खदान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निरोधक प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) अलीकण्ड अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निरोधक प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) अलीकण्ड द्वारा पर्यावरणीय सौकरिता की गई है, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय सौकरिता की प्रति एवं अधिलेखित जारी के पत्रों में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटोप्राप्त सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुटनीकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटोप्राप्त सहित प्रस्तुत की जाए।



2. यदि खदान पूर्व से संयोजित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक भांति की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित बना कर प्रस्तुत की जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विभाग के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. त्रिघोषणा प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दरखास्त (अखान फोटोग्राफ) के साथ आगामी मंड की आवेजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

अनुसार त्रिघोषणा प्रस्तावक को एसईएसी, उत्खनन के आयुक्त विभाग 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी प्रवेश विधायी प्रोपर्टाईटर अवस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. खान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में खान पंचायत दिल्ली का दिनांक 10/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — जारी प्लान विथ स्कीम ऑफ माइनिंग गॉर्न फर्स्ट फाईव ईयर एंड जारी स्कीम प्लान प्रस्तुत किया गया है जो एच सीआर (सी.एस.ए), जिला-बिलासपुर के आयुक्त क्रमांक 1442/खनि/बीलेन्ड/उ.पी./2020 बिलासपुर, दिनांक 28/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 300 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के आयुक्त क्रमांक/758/खनि/न.क/2020 मुंगेली, दिनांक 28/10/2020 के अनुसार आवेजित खदान से 300 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की सूची निकाली है।
4. 300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सरकार — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के आयुक्त क्रमांक/759/खनि 03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेलसाईन, लवन, स्कूल, खनिज खान, मरुपट्ट, आवासीय क्षेत्र, अस्पताल, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्मारक आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। उक्त स्थल से 300 मीटर की परिधि में स्टीम ड्रम अवस्थित है।
5. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — एल.ओ.आई. की प्रवेश विधायी के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के आयुक्त क्रमांक/387/खनि.03/न.क.04/2020-21 मुंगेली, दिनांक 31/08/2020 द्वारा जारी की गई जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की जति प्रस्तुत की गई है।
7. खान विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, मुंगेली वनसम्पदा, जिला-मुंगेली के आयुक्त क्रमांक/ना.दि./2841.2020/मुंगेली, दिनांक

25/11/2020 से जारी अनायोजित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र का क्षेत्र की 14 किमी की दूरी पर है।

2. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी घाट-सहस्रपुर 0.73 कि.मी., स्लूज घाट-सहस्रपुर 1 कि.मी. एवं अल्पकाल घाट-सहस्रपुर 0.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है। सागर नदी 130 मीटर दूर है।
3. परिसिध्दिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय पट्टान्, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉइन्टोफ इरिफ, परिसिध्दिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिक्रियित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिपसोलॉजिकल रिजर्व 3,19,710 टन एवं साईनेबल रिजर्व 1,84,338 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा परती (उत्खनन के लिए प्रतिक्रियित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,078 वर्गमीटर है। अयोग साइट सभी मॉडर्नाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,880 वर्गमीटर है। इस मिट्टी को सीमा परती (7.5 मीटर) के क्षेत्र में फैलाकर पुनरोपन के लिए उपयोग किया जाएगा। बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 35 वर्ष है। जैक ड्रैगर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु धार का डिजाइन किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,000
द्वितीय	8,000
तृतीय	8,000
चतुर्थ	8,000
पंचम	8,000

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर की सहाय से की जाएगी।
12. पुनरोपन कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में बाकी जोर 7.5 मीटर की परती में 1,700 वर्ग मीटर पुनरोपन किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के कर्ण विभाग से चर्चा समयांत निम्नानुसार विलुप्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

			Following activities at Govt Primary School, Village-Sahaspur	
40	2%	0.00	Rain Water Harvesting System	0.00
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation with Fencing	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.00</b>

15. समन्वय एन.जी.ओ., डिग्रीजल वेज, नई दिल्ली द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (संविधान संशोधन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) से दिनांक 13/09/2018 को पत्रित आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज खाद्य), जिला-मुनेली के द्वारा क्रमांक/798/खलि/न.क./2020 मुनेली, दिनांक 29/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (घान-सहसपुर) का रकबा 2.04 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में खोद/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की शर्तें पूरी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से आवेदक - मेसर्स सहसपुर कोलकोआईट प्राई (प्री- बी प्रोवा सिवरी) की घान-सहसपुर, तहसील-जोसी, जिला-मुनेली के खाना क्रमांक 38/1, 40/2, 40/3, 50/4, 51/1 एवं 51/2 में स्थित कोलकोआईट (मीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल- 2.04 हेक्टेयर, क्षमता - 6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिफ्ट-02 में खनिज शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण (एसआईएए), पल्लोलाड़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स बी जय अम्बे बिजस इन्फ्रस्ट्रक्चर मारगांव-2 आर्किमरी स्टीन माईन (प्री- बी मनीज कुमार धीन), घान-वारगांव, तहसील-डीवरगांव, जिला-राजगावगांव (सावितालय का नस्ती क्रमांक 1263)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एम्आईएन/ 182478/2020, दिनांक 04/06/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन



अवैधता में कनिष्ठ होने से ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** - यह पूर्व से संचालित सार्वजनिक पर्यटन (ग्रीन सफिड) परियोजना है। परियोजना नाम-मरगांव, तहसील-डीभरगांव, जिला-राजसमंद जिला वर्ग 3000 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल 442, कुल क्षेत्रफल-9 हेक्टर में है। परियोजना की आवेदित लागत अनुमानित रूप से 14,400 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** -

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की गति एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. काम प्रगति का अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित लाल पर खसम हेतु राज्य स्तर पर पर्यावरण समाजवादी मिशन प्रतिकल्प (एस.ई.आई.ए.ए.) परीक्षण अथवा जिला शारीय पर्यावरण समाजवादी मिशन प्रतिकल्प (डी.ई.आई.ए.ए.) परीक्षण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अप्रिस्टिफाई शर्तों के मातल में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशांतरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विद्या वर्षों में किए गए परियोजना की वार्षिकी साज की जानकारी अतिरिक्त विवरण से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटेशन) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. परीक्षण के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी समिति उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री जय अम्बे डिकस इम्प्लस्ट्रीज गारबाय अडिनिरी स्टोन माईन (प्री- श्री मनीज कुमार जैन), ग्राम-मारवाच, तहसील-डीगरवाच, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नक्शे क्रमांक 1290)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एस्आईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 152430/2020, दिनांक 02/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियाँ होने से जापन दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/11/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पाथन (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मारवाच, तहसील-डीगरवाच, जिला-राजनांदगांव स्थित प्लॉट अंक 442, कुल क्षेत्रफल-4.43 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-15,995 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नक्शे एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सर्वसम्पत्ति सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण वनाछत निर्धारण प्रधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण वनाछत निर्धारण प्रधिकरण (जी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिदेयित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विनाय शर्तों में किन्हीं नए संशोधन की कार्यादेश मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत त्रस्तव पूर्व विवरण की साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटेशन सहित) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के जापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र ज्ञाप्य होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स श्री दामोदर दास भूउदा (बीजामाता आर्बिनरी स्टीन माईन),  
ग्राम-बीजामाता, तहसील-डींगरगांव, जिला-राजनांदगांव (राजिबालम का  
पत्ता क्रमांक 1291)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए / सीजी / एनआईएन /  
152427 / 2020, दिनांक 02 / 08 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन  
आवेदन में त्रुटियाँ होने से कारण दिनांक 27 / 08 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने  
हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक  
30 / 11 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित सार्वजनिक क्षेत्र (वीए खनिज) खदान  
है। खदान ग्राम-बीजामाता, तहसील-डींगरगांव, जिला-राजनांदगांव जिला भई ऑफ  
प्लाना क्रमांक 32, कुल क्षेत्रफल-3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित आकलन  
क्षमता-18,720 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जलकारी का परीक्षण तथा तत्समय  
सर्वसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. ज्ञान संशोधन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. सू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की पर्याप्त प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. पूर्व में आवेदित स्थल पर खदान हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संसाधन निर्देशन  
प्रतिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संसाधन  
निर्देशन प्रतिकरण (सीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई  
है, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्तित्त जारी की गलन  
में की गई कार्रवाही की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही  
पुनरावेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्ष में किए गए आकलन की वार्षिक मात्र की जानकारी सहित  
विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण पूर्व  
दिएला हो साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को पर्यवेक्षक समक्ष पूर्व जानकारी / दस्तावेज (खदान  
कोटेशन) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण विधि जारी  
हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईआईसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक  
02 / 01 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08 / 01 / 2021

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। अतिरिक्त प्रस्तावक द्वारा  
कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्बन्धि से निर्णय लिया गया कि  
परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जलकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी  
कार्रवाही की जाएगी।

परिचालन प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स अमित कन्स्ट्रक्शन (प्री.- श्री राजीव कन्दवनी, तालपुर लाईन स्टीम टैंम्परी परमिट क्वारी), ग्राम-तालपुर, तहसील-साहसपुर जोहास, जिला-कबीरवाह (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 1483)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीपी / एमआईएन / 188611 / 2020, दिनांक 04 / 12 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कुल पत्थर (ग्रीन खनिज) की अल्ट्राई खदान है। खदान ग्राम-तालपुर, तहसील-साहसपुर जोहास, जिला-कबीरवाह स्थित खसरा क्रमांक 54/1 एवं 54/2 कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-54,862.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्पादन संबंधी शर्तों के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रतिकल्प (एनईआईएए), तहसीलगत अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रतिकल्प (डीईआईएए), तहसीलगत द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के मातल में ही गई कार्यवाही की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशाचार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्पादन की वार्षिक मात्रा की जानकारी सहित विवरण से प्रमाणित करार कर प्रस्तुत की जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण से तैयार प्रस्तुत किया जाए।
4. परिचालन प्रस्तावक को उपरोक्त शर्तों पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटेशन) के साथ आगामी मही की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परिचालन प्रस्तावक को एनईआईए, तहसीलगत के ज्ञान दिनांक 02 / 01 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08 / 01 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव कन्दवनी, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अडलेशन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. प्राय पंचावत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्पादन की शर्तों में प्राय पंचावत तालपुर का दिनांक 27 / 01 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. वार्षिक योजना - टीपी क्वारी प्लान इन्फोर्मेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रा.)



जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1728/स.नि./स.प./संरक्षण/प.स./2020  
दिनांक 02/12/2020 द्वारा अनुसूचित है।

3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (समिज शाखा),  
जिला-कबीरपान्त के ज्ञापन क्रमांक/781/स.नि./समिज/स.अ./2020  
कबीरपान्त, दिनांक 03/12/2020 के अनुसार अर्जित खदान से 500 मीटर के  
भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 3.188 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षणाए - कार्यालय  
कलेक्टर (समिज शाखा), जिला-कबीरपान्त के ज्ञापन क्रमांक/782/स.नि./  
समिज/स.अ./2020 कबीरपान्त, दिनांक 03/12/2020 द्वारा जारी ज्ञापन  
पर अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र  
जैसे मंदिर, मस्जिद, परमट, अनामोल, पुल, बांध, एनीकट, वेल्डलाईन एवं जल  
आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.जी.आई. का विवरण - एल.जी.आई. कार्यालय कलेक्टर (समिज शाखा),  
जिला-कबीरपान्त के ज्ञापन क्रमांक/789/स.नि./समिज/2020 कबीरपान्त,  
दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
6. भू-स्वामित्व - भूमि की जखन के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पर  
प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey  
Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनामोलि प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणविभागी, कक्षा  
वनसंरक्षण, जिला-कर्मण के ज्ञापन क्रमांक/स.अ.स.नि./7282 कर्मण, दिनांक  
30/07/2020 से जारी अनामोलि प्रमाण पत्र अनुसार अर्जित क्षेत्र वन क्षेत्र से  
10 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम कक्षाधी वान-बालपुर 0.83 कि.मी.  
न्यून वान-बालपुर 1.4 कि.मी. एवं अन्ततम सहरपुर-जीहारा 2.9 कि.मी. की  
दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 183 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.58 कि.मी. दूर  
है।
10. पारिस्थितिकीय/जीवविकिधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा  
10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिगली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय  
संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जीवविकिधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया  
है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - डिस्ट्रिक्टलिक्वल रिजर्व 2,50,000 टन,  
आईनेखन रिजर्व 1,14,875 टन एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व 1,09,220 टन है। जीज की  
7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए अधिभूत क्षेत्र) का क्षेत्रफल  
0.388 हेक्टेयर है। खनन क्वॉट सेमी मेवेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया  
जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। जीज क्षेत्र में  
ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 12,720 घनमीटर है।  
साईनिंग प्लान अनुसार उत्खनन के दौरान निकलने वाली ऊपरी मिट्टी 12,720  
घनमीटर से 2,720 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन कवरग्री) क्षेत्र  
में तथा क्षेत्र 10,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को बांध की संरक्षण मिट्टी भूमि

सा सतर्कता रखने हेतु सख्त उपदिश्टी से अनुमति उपरोक्त नकारित किया जाएगा। बीच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संरक्षित आयु 2 वर्ष है। जीक क्षेत्र से खदान स्थानित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। डिजिटल एवं प्लानिटेड किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का प्रियकाय किया जाएगा। सर्वोच्च प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	54.602
द्वितीय	54.364

नोट: तात्काल से प्रशासन को बाढ़ की खतरों को राजस्थानीय किया गया है।

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.44 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति घास पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत घास पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य - जीक क्षेत्र की सीमा में सतई और 7.5 मीटर की पट्टी में 764 का वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय नवीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय नवीकृति जारी नहीं की गई है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - अनियोजित प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को समझ विस्तार से कार्य उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
47.53	2%	0.95	Following activities at Govt Primary School, Village-Talpur	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.15
<b>Total</b>			<b>1.10</b>	

16. सामूहिक एम.जी.टी. डिजिटल बीच, नई दिल्ली द्वारा सार्वभौम पर्यावरण विरोध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अनियोजित एपिलोडेशन नं. 186 जीएम 2018 एच अन्य) में दिनांक 13/06/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्भय किया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-कबीरपूर में आपन क्रमांक / 791 / ख.नि. / अग्निज / व.अ. / 2020 कबीरपूर, दिनांक 03 / 12 / 2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे 1 खदान, क्षेत्रफल 3.129 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-तालपुर) का संख्या 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-तालपुर) को मिट्टयान कुल संख्या 4.109 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघातित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की गानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से आवेदक - मेसर्स अमित कन्स्ट्रक्शन (प्री- बी स्टांग कन्वर्सी, तालपुर लार्ज स्टोन टेम्पलरी परमिट वर्कर्स) की ग्राम-तालपुर, तहसील-तहसील-कबीरपूर जिला-कबीरपूर में खदान क्रमांक 54/1 एवं 54/2 में किया हुआ पाथर (ग्रीन क्वार्ट्ज) खदान कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर, संख्या - 54,882 टन प्रतिवर्ष 02 वर्षों में कुल संयोजित 1,09,228 टन) हेतु परिसिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुरोधों की गई।

3. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व कम्पली मिट्टी 12,728 घनमीटर की सम्बन्धित हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए. प्रतिलिपि की प्रेषित की जाए।

सम्बन्धित पर्यावरण सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रियाएं (एस.ई.आई.ए.ए.) प्रतिलिपि की तदनुसार सुधारा किया जाए।

12. मेसर्स बीघाड़ी कौशिल्या देवी कंकरी (ईरा सोईल/ऑर्डिनरी कले कार्डिन), ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्टी क्रमांक 1277)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन संख्या - एसआईए/ बीसी/ एम्आईएन/ 150980 / 2020, दिनांक 20 / 03 / 2020। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से आपन दिनांक 05 / 05 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा तदर्थित जानकारी दिनांक 22 / 05 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन क्वार्ट्ज) खदान है। खदान ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खदान क्रमांक 542/1, 550(पार्ट), 551(पार्ट), 553, 554/1,2 555/1,3,4 557, 558/2, 559(पार्ट), 560(पार्ट), 561(पार्ट), 577(पार्ट), 578(पार्ट), 581/1(पार्ट), एवं 578/2(पार्ट) कुल

संख्या-4411 हेतुद्वारा में प्रस्तुत है। प्रकल्प की आवेदित मिट्टी संरक्षण (सीन एक्टिव) समाप्त-4,300 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020**

समिति द्वारा प्रकल्प की नवीं एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्सवगत सर्वसम्मति से निर्णयानुसार निर्णय लिया गया था-

1. पूर्व में आवेदित स्थल को जारी कार्यालयीय सीएलटी की अधिसूचित सीटी के प्रकल्प से की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कार्यालय की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए संरक्षण की वार्षिक माह की जानकारी एक्टिव विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से जी. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समाप्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) को साथ आगामी बैठक की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीरगढ़ के द्वारा दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उत्सवगत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आवेदित बैठक में पूर्व में जारी गई सूचित जानकारी एवं सम्बन्धित समाप्त जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीरगढ़ के द्वारा दिनांक 28/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ग) समिति की 337वीं बैठक दिनांक 01/09/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उत्सवगत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिसूचित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीरगढ़ के द्वारा दिनांक 29/10/2020 के अधिसूचित में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 03/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा नतीजा प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. कार्पोरेट कार्पोरेट (अग्नि हावा) जिला-राजनांदगांव को प्रमाण क्रमांक/2780/स.सि.03/2019 राजनांदगांव दिनांक 06/11/2019 को अनुसूचित आवेदन खदान से 500 मीटर की नीचे अवस्थित 1 खदान होलफेल 11.50 एका है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि अवस्थित खदान की 500 मीटर की नीचे अन्य खदान अवस्थित है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. कार्पोरेट कार्पोरेट (अग्नि हावा) द्वारा उक्त खदान की 500 मीटर की परिसर में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण पूर्ण विवरण (प्रमाणित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यालय कार्य का विवरण) को साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) को साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवस तक हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, राजनांदगांव को प्रमाण दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

अनुसूचित हेतु की विवरण सकारणी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उक्त द्वारा बताया गया कि आवेदित जानकारी (पर्यावरण सलाहकार का साक्षात्करण होना) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। उक्त आगामी माह के आवेदित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को करारी माह के आवेदित बैठक में पूर्व में जारी गई प्रतिष्ठित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवस तक हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

13. वेसर्ट ईरा कले माईन (पी- सी अग्निशैल पड़धारी), घाम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1278)

अनुसूचित आवेदन - प्रमाण क्रमांक - एसआईए/ सीसी/ एचआईएन/ 150646/2020, दिनांक 30/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित मिट्टी (जीन खनिज) खदान है। खदान घाम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खदान क्रमांक 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465.

466, 467, 468/2, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496, 498, 499 एवं 525, कुल क्षेत्रफल- 4.682 हेक्टर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-3,000 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

#### बैठकों का विवरण -

#### (अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नवीं एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. यदि पूर्व में आवेदित खेत पर खान हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जलकटौती फोटोडॉक्युमेंट सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरायोग की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोडॉक्युमेंट सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व में संचालित है, तो विना खर्च में किए गए प्रदूषण की वास्तविक मात्रा की जलकटौती समिष्ट विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. ग्राम सभागत द्वारा जारी जलकटौती प्रमाण पत्र (अव्यवहारी बैठक सहित) की कल्प / गहनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के को.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जलकटौती / पर्यावरण (अद्यतन फोटोडॉक्युमेंट) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई जलकटौती पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आवेदित बैठक में पूर्व में जारी गई समिष्ट जलकटौती एवं समस्त सुसंगत जानकारी/पर्यावरण सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (ग) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदित शर्तों से

समिति को सम्बन्ध बैंक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। उक्त दिनांक 03/07/2020 एवं दिनांक 04/07/2020 की आयोजित बैठक में सम्बन्ध प्रदान करने हेतु अनुसंध किया गया है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवर्तन प्रस्तावक की आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में जारी हुई व्यक्ति जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / समस्त सही प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अनुसार परिवर्तन प्रस्तावक की एआईएसी, फर्नीचर के प्रदान दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 337वीं बैठक दिनांक 01/09/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अभिलेख चक्रवर्ती, प्रोपर्टी इंटर क्लिफ्ट हुए। समिति द्वारा नली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. धान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — प्रदान की संख्या में धान पंचायत ईरा का दिनांक 25/08/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्राचिन योजना — कच्ची धान अनापत्ति विद्य. जारी जारी प्रदान एवं इन्वॉयस मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रदा), जिला-रावपुर के प्रमाण क्रमांक /खनि/तीन-8/2018/223, रावपुर, दिनांक 08/02/2018 द्वारा अनुसंधित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्पोरेशन कलेक्टर (खनि रावपुर, जिला-राजनादगांव के प्रमाण क्रमांक 2781/खनि, 03/2019 राजनादगांव, दिनांक 04/11/2019 को अनुसंध आयोजित खदान में 500 मीटर की भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.411 हेक्टर को प्रदान किया गया है। जिसमें कोल विद्यारथीन खदान की सीमा सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों की 500 मीटर की भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं। ईआईए, नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार कोई क्लस्टर इस समय बनाया जाएगा, जब एक सीमा के करिबों की बीच दूरी तक पहुंचा खनिज क्षेत्र में अन्य चट्टों के परिवार से 500 मीटर से कम है। अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनिजिड मिनेरल क्षेत्र में विद्यारथीन खदान की सीमा सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इसे प्रसार खनिज खदानों की सीमा सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को नहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सर्वसाधारण — कार्पोरेशन कलेक्टर (खनि रावपुर, जिला-राजनादगांव के प्रमाण क्रमांक 2781/खनि, 03/2019 राजनादगांव, दिनांक 04/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में नदिर, बरवा, अथवा, सतल, पुन, चंद, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं उक्त अनुसंधित आदि अधिभूत क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. सीमा का विवरण — सीमा पूर्व में श्री शिवराज चक्रवर्ती के नाम पर की जाई जाई का प्रमाणपत्र की अभिलेख चक्रवर्ती के नाम पर दिनांक 14/09/2017 को

किया गया है। लीज डीड 10 वर्ष अवधि दिनांक 10/10/2008 से 09/10/2018 तक की अवधि हेतु थी। उत्पात लीज डीड में 20 वर्ष की दिनांक 09/10/2008 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. मू-स्वामित्व - भूमि की अभिलेख राजस्वारी के नाम पर है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, वनसम्पदा राजनांदगाव, जिला-राजनांदगाव के द्वारा अनापत्ति/माफि/नक. 10-1/2020/12578 राजनांदगाव, दिनांक 10/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महासमुद्र सारवाभारती की दूरी - निकटतम आसटी घास-डोला 1.3 कि.मी. एवं स्कूल घास-डोला 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल घास-सोमनी 3.81 कि.मी. की दूरी का विवरण है। राष्ट्रीय राजमार्ग 324 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.5 कि.मी. दूर है। डिप्लोमा नदी 3.105 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/पैदायिकीय सर्वेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिष्टकारी पील्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय सर्वेदनशील क्षेत्र या घोषित पैदायिकीय क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संघदा एवं खनन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व लगभग 48,820 घनमीटर एवं गार्डेनेजल रिजर्व 47,688 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के कारी जोर 1 मीटर सेम्टी जोर का क्षेत्रफल 1,126 वर्गमीटर है। जोरल फास्ट मैग्जुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। अवशिष्ट मिट्टी की गहराई 2 मीटर है, इसका उपयोग ईट निर्माण में किया जाता है। वर्तमान में कुछ भागों में 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया जा चुका है। बेस की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र में स्थणित चिल्ली की ऊंचाई 38 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 3,300 वर्गमीटर है। लीज क्षेत्र के 100 वर्गमीटर क्षेत्र में फुल खडै है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी को साथ 50 प्रतिशत फसाई एर का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। गार्डेनिंग प्लान में वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)
प्रथम	3,000	1	3,000
द्वितीय	3,000	1	3,000
तृतीय	3,000	1	3,000
चतुर्थ	3,000	1	3,000
पंचम	3,000	1	3,000





**आवासीय वर्षों का उखनन योजना**

वर्ष	दीर्घकाल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आवाकन (घनमीटर)
छठवे	3,000	1	3,000
सातवे	3,000	1	3,000
आठवे	3,000	1	3,000
नौवे	3,000	1	3,000
दसवे	3,000	1	3,000

12. **जल आपूर्ति** – परिधीयता हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति कोस्टेल के माध्यम से किया जाता है।

13. **वृक्षारोपण करवाई** – तीस मंत्र की शीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में आगामी 08 माह में वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**—

- पूर्व में मिट्टी उखनन योजना क्रमांक 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/2, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 485, 486, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 498, 499, 499 एच 525, कुल क्षेत्रफल – 4,582 हेक्टर, अंश – 3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक राष्ट्रीय स्तर पर समझौता निर्धारित प्रक्रियात्मक, जिला-राज्यस्तरीय द्वारा दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक भी अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अंतर्गत में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- विगत वर्षों में किए गए उखनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

15. प्रस्तुत उखनन योजना में प्रतिवर्ष निर्यात की मात्रा 5.138 घनमीटर एवं स्वीकृत क्षेत्र का क्षेत्रफल 5.138 वर्गमीटर बताया गया है। स्पष्टता के लिए प्रतिवर्ष निर्यात की मात्रा इससे अधिक होगी। इस प्रकार उखनन योजना की मात्रा में पुष्टि है। जहां जहां पुष्टि को सुचारु रूप से संबंधित अनुमोदित उखनन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/05/2016 को अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

		Rupees)	(In Lakh Rupees)
			Following activities at Govt. Higher Secondary School Village - Khuter
40	2%	0.80	Rain Water Harvesting System
			Potable Drinking Water
			<b>Total</b>
			<b>0.80</b>

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. पूर्व से दिये हुए विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष में वर्षवार किन्तु राष्ट्र सरकार की वार्षिक बजट की जानकारी (वित्तीय वर्ष) सम्बन्धित विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. माइनिंग विभाग से क्लेस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व से दिये हुए विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्दिष्ट किया जाए।
4. प्लान की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना बताया गया है। सेक्टर काउन्सिल वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी माइनिंग प्लान अनुसार परीक्षण स्थल से भी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेक जॉन के अंतर्गत आने वाला जानकारी प्रस्तुत की जाए। काउन्सिल वॉटर बोरवेल करने हेतु सेक्टर काउन्सिल वॉटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. स्थल निरीक्षण के तहत एन.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण सम्बन्ध पूर्व जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने तहत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एन.ई.ए.सी. जलेश्वर के डायन दिनांक 29/10/2020 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 03/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 18/12/2020

समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्णय पाई गई—

1. कार्यालय क्लेस्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के डायन दिनांक/2019/ख.नि.03/2019 राजनांदगांव दिनांक 04/11/2019 के अनुसार अंशोदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान क्षेत्रफल 10.9 एकड़ है। उक्त प्रस्ताव पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि अवस्थित खदान के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान अवस्थित है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—



1. कार्पोरेट कॉलेक्टर (ग्रामिण शाखा) द्वारा उक्त खदान की 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की अपेक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (प्रस्तावित खड्ड का नाम, पता एवं कार्यवाही वर्षों का विवरण) के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अदालत फोटोकॉपी) के साथ अगामी मही की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिते जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सदरमुकाम हरियाणा प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, फासीबागड़ की द्वारा दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ई) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी शिवदास चडवाड़ी, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौ, प्रस्तुत जानकारी का अपेक्षित एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. संशोधित अनुमति प्राप्त पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. कार्पोरेट कॉलेक्टर (ग्रामिण शाखा), जिला-हाउसिंग/ग्रामिण की द्वारा दिनांक 1548/ख.सि-02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 19/06/2020 द्वारा विगत वर्ष में किये गए उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2010	1,850
2011	1,400
2012	1,300
2013	900
2014	500
2015	600
2016	निरक
2017	1,830
2018	1,420
2019	1,750

3. कार्पोरेट कॉलेक्टर (ग्रामिण शाखा) द्वारा उक्त खदान की 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की अपेक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. सेंट्रल हाउसिंग बोर्ड अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाइन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। हाउसिंग बोर्ड चण्डीगढ़ कनेक्ट हेतु सेंट्रल हाउसिंग बोर्ड अथॉरिटी से अनुमति के ताल में आवेदन किया जना बताया गया है।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

*(Handwritten Signature)*

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समझौता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परियोजना प्रस्तावक को लेख पत्र दिनांक 08/10/2020 को प्रति प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया कि-

"I am directed to refer to your letter dated 10<sup>th</sup> January, 2020 regarding above mentioned subject. The definition of cluster in the context of mining was defined vide notification S.O. 2269(E) dated 01.07.2016. In this regard, it is informed that applicability of provisions of above said Notification is applicable prospectively i.e. after 01.07.2016."

परियोजना प्रस्तावक का जवाब है कि लेख पत्र में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार परिभाषित क्लस्टर को लागू किये जाने का लेख किया गया है। अतः अधिसूचना अनुसार परिभाषित क्लस्टर में दिनांक 08/08/2013 के पूर्व स्वीकृत खदानों को क्लस्टर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली को द्वारा परियोजना प्रस्तावक को लेख पत्र दिनांक 08/10/2020 के परिपत्र में समिति द्वारा निम्नानुसार सख्तों की निर्दिष्ट की गई-

i. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक का.अ. 2269(अ), दिनांक 01/07/2016 में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा जब एक क्षेत्र के परिवारों के बीच दूरी कम से कम सख्त सख्त क्षेत्र में अन्य खदानों के परिसर में 500 मीटर से कम है, जो 08 सितम्बर, 2013 को और उससे पश्चात् अनुपलब्ध खान पट्टों का खदान अनुसंधानों को लागू होगी।"

ii. कानूनीय एन.जी.टी., डिप्टिमेंट ऑफ, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण विचार भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (असिस्टेंट एडिजिटल नं. 188 जीए 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को परिपत्र अधिसूचना में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha taking under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

iii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा कानूनीय एन.जी.टी., डिप्टिमेंट ऑफ, नई दिल्ली द्वारा असिस्टेंट एडिजिटल नं. 188 जीए 2018 एवं अन्य में दिनांक 13/08/2018 को जारी अधिसूचना के परिपत्र में ई.आई.ए. अधिसूचना 2008 में उल्लेख का संशोधन नहीं किया गया है तथा एम्प दिनांक 12/12/2018 के द्वारा कानूनीय एन.जी.टी. के उपरोक्त अधिसूचना का पालन किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है।

- iv. उक्त राबड़ी के परिच्छेद में समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ईआईए अविस्तृतता में कलक्टर को पर्यावरणीय प्रबंधन का हल्का विचारणीय खदान की लीज सीमा के 500 मीटर में आने वाले समस्त लघु खनियत क्षेत्रों की खदानों की पर्यावरणीय घटक की होने वाले एकीकृत एवं समग्र प्रभाव के आकलन प्रणाली प्रत्येक प्रभावी प्रसार (Material Movement) की समग्र रूप से लागू किया जा सके। उक्त माननीय एन.जी.टी. विधायक वेध, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश दिनांक 13/08/2018 एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नयाय, नई दिल्ली ओ.एम. दिनांक 12/12/2018 के आदेश पर 2 शर्तियां एवं उसमें उचित एकल खदान जल्दा कलक्टर बनने पर ऐसी प्रस्तावों को "बी-1" श्रेणी का मान्य माना उचित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. पूर्व में दिए हुए विवरण अनुसार संबंधित अनुबंधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
  2. कार्यालय कलेक्टर (खनियत शाखा) द्वारा उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की आकलन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
  3. प्राथमिक वाटर उपयोग करने हेतु रीट्रोल वाटर अव्यवस्था की अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
  4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारीता समस्त पूर्व जानकारी / बसतयोज प्रस्तुत किया जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक को उपानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स श्री शंतोष कुमार जोड़ानी (जीएलआई लाईन स्टोन माईनिंग), धाम-खोरावरस्ट, राहसील व जिला-राजमांदलाव (सचिवालय क्रम नम्बरी क्रमांक 1242)

ऑनलाईन आवेदन - प्रस्ताव नम्बर - एलआईए / बीजी / एमआईएम / 147891 / 2020, दिनांक 08/03/2020; परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमीषी होने से खान दिनांक 08/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कठिना जानकारी दिनांक 20/08/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित धूम प्रखर (भीम खनियत) खदान है। खदान धाम-खोरावरस्ट, राहसील व जिला-राजमांदलाव स्थित समस्त क्षेत्रांक 688/4, कुल क्षेत्रफल-1214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन शक्ति-18,287.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020

समिति द्वारा प्रकरण की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तदनुसार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आम संघर्षदाता द्वारा जारी अनधिकृत प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सदिश) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (पंचा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनया जाएगा, जब एक लीज के परिवर्ती के बीच दूरी कम-सादा स्थिति क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिवार से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु इन्फोर्मेशनियस गिवरल क्षेत्र में विभागाधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करने हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सार्वजनिक सहायता निर्धारण अधिकारण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णपत्र अथवा जिला सार्वजनिक सहायता सहायता निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णपत्र द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिकाधिक शर्तों के प्रारण में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसाफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रारंभिक एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसाफस सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्ष में किस तरह उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रदानित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार सार्वजनिक वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त सामग्री पूर्व जानकारी / वस्तावेज (अद्यतन फोटोसाफस) के साथ जगामी माह की अधिकाधिक बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णपत्र के ज्ञापन दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(4) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी अधिनिति उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तदनुसार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिन जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णपत्र के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 की परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / वस्तावेज दिनांक 02/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी को अद्यतन किया गया। समिति द्वारा उत्सव सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत अद्यतन पूर्ण विवरण (प्रस्तावित ब्लूट का नमू, प्लान एवं सर्वेक्षण सर्वे का विवरण) को साथ प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोर्टोप्राप्त) को साथ आगामी मंड की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. प्रतीसंग्रह के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को मंड दिनांक 08/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रमाणित साक्ष्यकार का स्वास्थ्य खराब होने) से समिति को समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी मंड की आयोजित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को करमवी मंड की आयोजित बैठक में पूर्व में जारी गई सूचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

एवम्बा आयटम क्रमांक-3

परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त इकरणों पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री धूम कुमार अद्यवाल (साहसपुरी रोड नकारी, धाम-साहसपुरी, लहरील व जिला-रायचंद), नंदरू चार्ज रोड, सूरजपुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 1179)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीपी / एसआईएन / 143881/2020, दिनांक 15/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान धाम-साहसपुरी, लहरील व जिला-रायचंद जिला समस्त क्रमांक 510/038, कुल लीज क्षेत्र 4.147 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन भाग्य नदी से किया जाता प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 38,740 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा संशोधन सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की जलस्तरों तथा जलजलस्तरों में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर का डिग बनाकर जांचकन में वेत मापक की लेवलिंग (Levels) लेकर डिग में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। उक्त लेवलिंग (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेरी वेत मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्पलेरी वेत मार्क (TBM) में आयतन, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किया जाये। डिग में टेम्पलेरी वेत मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनित विभाग से प्रमाणिकरण सहित फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।
3. नदीघाट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसकी अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नतीजे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को भी खनित विभाग से सीमांकन करवाकर, प्रमाण पत्र प्राप्ति किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति नदीय की दूरी बाकात जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान की जलस्तरों में न्यूनतम 200 मीटर तथा जलजलस्तरों में न्यूनतम 500 मीटर रखे जाया आवश्यक है। यदि जल क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अवसर पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नतीजे पर चिह्नित कर, उदाहरण मीके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाकात उल्लेख किया जाए।
5. वेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर जांचकन में उपरोक्त वेत की नोटबाई लगाने के लिए, प्रति होक्टोपर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनित विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की वास्तविक गहराई हेतु संशोधना भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संस्थागत निर्देशन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण संस्थागत निर्देशन प्राधिकरण (पी.ई.आई.ए.ए.), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय स्वीकृति हो गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से बाकात है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनित विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।





6. खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रोल के लेवल्स (Levels) होने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण विधि जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., धरलीसराइ के सम्पन्न दिनांक 06/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 319वीं बैठक दिनांक 13/05/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु भी विवेक अथवा/ अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण विधि जाना समभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 18/05/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 18/05/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ग) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 18/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि उपरिवाचे आगामी से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना समभव नहीं है। अतः अगामी माह की आयोजित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को अगामी माह की आयोजित बैठक में पूर्ण में वाली गई विहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण विधि जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., धरलीसराइ के सम्पन्न दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु भी विवेक अथवा/ अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा भर्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई -

1. धाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - इस दस्तावेज की संबंध में धाम पंचायत लखनपुरी पत्र दिनांक 25/03/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्हाकित/सौमहकित - कार्यालय कार्सेक्टर, खनिज साखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित/सौमहकित का घोषित है।



3. **उत्खनन योजना** - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो इन संघालक (खनि. प्रसा.) जिला-बोम्बे के आपन क्रमांक/415/खनि-8/2018, कोरक, दिनांक 25/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्पोरेट कॉलेक्टर (खनि. शाखा), जिला-रायगढ़ के आपन क्रमांक 2428/खनि-1/रेत नीलामी/2020 रायगढ़, दिनांक 10/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरव है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्पोरेट कॉलेक्टर (खनि. शाखा), जिला-रायगढ़ के आपन क्रमांक 2428/खनि-1/रेत नीलामी/2020 रायगढ़, दिनांक 10/01/2020 द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति जदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.जी.आई. का विवरण** - एल.जी.आई. कार्पोरेट कॉलेक्टर (खनि. शाखा), जिला-रायगढ़ के आपन क्रमांक 2003/खनि-1/रेत नीलामी/2019 रायगढ़, दिनांक 25/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिहारन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रणय में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी**- निकटतम आवासीय ग्राम-सहसपुरी 0.2 कि.मी., स्कूल ग्राम-नाहसपुरी 0.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-कांठावरी 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 120 मीटर की दूरी पर काचनस्टोम में स्थित है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबोधित किया है।
10. **खनन स्थल पर नदी के फाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के फाट की चौड़ाई - 440 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - 275 मीटर अधिकतम चौड़ाई - 145 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के पश्चिमी किनारे से दूरी मूलतः 42 मीटर है।
11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 68,740 टन/मीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सातह की मोटाई प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी कार्पोरेट गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित खननकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की कार्पोरेट गहराई हेतु पर्यन्तमा भी प्रस्तुत किया गया है।



12. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्ण में स्वयं, धाम संस्था सहस्रपुरी के नाम से रेल खदान कक्षा क्रमांक 810/838, क्षेत्रफल 4.147 हेक्टेयर, क्षमता—62,205 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तर पर्यावरण संस्था निर्धारण प्रक्रियामें, जिला-रायगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/10/2017 को प्राप्त जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।
  - ii. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। बाय अवयव रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
  - iii. वार्षिक बजट (खनिज खनन), जिला-रायगढ़ की क्षमता 3000/वर्ष लि.-1/रेल /2020 रायगढ़, दिनांक 12/06/2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में 12,600 घनमीटर उत्खनन किया गया है। उक्त प्रस्ताव में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के उत्खनन की जानकारी नहीं दी गई है।
  - iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षा रोपण नहीं किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेल सड़क के लेवलस - रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर मुग्ग 25 मीटर के सिविल डिग्रेडिंग दिनांक 20/02/2020 को रेल सड़क के सर्वेक्षण लेवलस (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय धारिता (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग, नई दिल्ली के अधिन. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष रिपोर्ट से सभी उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36.72	2%	0.71	Following activities at nearby Government Primary School, Village-Sahaepur	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.10
<b>Total</b>			<b>0.75</b>	

15. गैर माईनिंग क्षेत्र - कुल खदान से 120 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। गैर माईनिंग अनुसार कुल के अपस्ट्रीम में कम से कम 250 मीटर छोटा खान आवश्यक है। माईनिंग प्लान में अतिमिमा 120 मीटर लंबाई तक

18.370 वर्गमीटर क्षेत्र को नैव साहसिक क्षेत्र रखा गया है। अंतः रेत उत्खनन का कार्य अप्रैल 22, 2020 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. **पुनरावेषण कार्य** - प्रायद्वीप के आधा पर नदी तट पर कुल 1:800 मग पीछे - 800 मग अनुबद्ध क्षेत्र तथा क्षेत्र 800 मग (जामुन, करज, बाल, आदि) पीछे समतल कार्य है। इसके अतिरिक्त प्रमुख मार्ग पर 200 मग पीछे समतल कार्य है।

17. समिति द्वारा मॉड किया गया कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सहा की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर छोटे चूने गड्ढे (Pit) की प्रस्तुत फोटोग्राफ में रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1 मीटर अवलोकित हो रही है। अंतः वर्तमान में उपलब्ध रेत सहा की मोटाई जानने के लिए नवीन योजना एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा सतसमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्र की जानकारी समित्त विभाग से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक मोटाई का मापन कर समित्त विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक मोटाई हेतु नवीन योजना एवं फोटोग्राफ की प्रस्तुत किया जाये।
3. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का निरस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एच.ई.एच.सी, उत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/12/2020 के परिशोधन में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / प्रस्तावित दिनांक 24/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

**(इ) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:**

समिति द्वारा नशी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. अर्थात्प कलेक्टर (समित्त बरख), जिला-रायगढ़ के द्वारा जमांक 3210/ख. ति. 1/रेत/2020 रायगढ़, दिनांक 08/08/2020 को अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (मनमीटर)
2017-18	21,800
2018-19	28,700
2019-20	12,600

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सहा की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक मोटाई का मापन कर समित्त विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.02 मीटर है। रेत की वास्तविक मोटाई हेतु नवीन योजना भी प्रस्तुत किया गया है।



3. स्वयं निरीक्षण के उपरांत सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं मराई का कार्य लोकर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन सीमा में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं लाइसेंस की आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। भाबल नदी छोटी नदी है तथा इससे वर्षाकाल में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (पान-सहसपुरी) का रकबा 4.147 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्थित/संभावित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की नहीं गयी।
2. वृक्षाशीषण कार्य - जलनिकास के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 म<sup>2</sup> पीछे - 1,000 म<sup>2</sup> अर्जुन के पीछे तथा बीच 1,000 म<sup>2</sup> (जामुन, बरज, बंस, आम आदि) पीछे लगाने। इसके अतिरिक्त कुल क्षेत्र पर 400 म<sup>2</sup> पीछे लगाने।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गांव अध्ययन (Village Study) करायेगा ताकि रेत की पुनर्भरण (Replenishment) संबंध सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नवी, नवीकर, स्थानीय जनसंपर्क, जीव एवं कुल जीवी पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. जीव क्षेत्र की सतह का बेंचमार्किंग कार्य -
  - अ. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी दिवस बिन्दुओं में माईनिंग सीज क्षेत्र तथा सीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम से 100 मीटर तक तथा खनन सीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) को सही पूर्व निर्धारित दिवस बिन्दुओं पर किया जायेगा।
  - ब. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी दिवस बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस Levels का मापन किया जाएगा।
  - स. रेत सतह के पूर्व निर्धारित दिवस बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। फेब्रु-मानसून के आंकड़े विसंभर 2021, 2022, 2023 एवं वी-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एनईआई/ए. एनईएसए की प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से की चुन चुनात अर्थात् सहसपुरी क्षेत्र माईनिंग करारा क्रमांक 510/538, पान-सहसपुरी, एनपीए व जिला-रायगढ़, कुल जीव क्षेत्रफल 4.147 हेक्टेयर में से रेत माईनिंग क्षेत्र 18.370 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 2.21 हेक्टेर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकरण।

GW

मीटर की गहराई तक सीमित रखी जाए, कुल 22,100 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट-64 में उल्लिखित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 62 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई भूमिको द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सीज क्षेत्र में निम्न रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से अधिक माईट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर द्वारा किया जाएगा।

E. रेत माईनिंग क्षेत्र एवं आसपास माईनिंग क्षेत्र का मौजूदा पर्यावरण विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उद्देश्य से खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

F. आसपास द्वारा पोस्ट-मानसून सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर भू-रेखा के सर्वे (Levels) का पोस्ट-मानसून सर्वे कर, उसके आकड़े टक्काल एस.ई.आई.ए.ए. फ्लोचार्ट को प्रस्तुत किये जायें।

उपरोक्त शर्त पर्यावरण सन्तुलन निर्धारण प्रतिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), फ्लोचार्ट को तत्पश्चात् सुनिश्चित किया जाए।

2. मेसर्स श्री ध्रुव कुमार अथवाज (कृष्णर सोप्ट वार्डर्स, ग्राम-कछार, तहसील व जिला-रायचूर), मेहळु चार्ज रोड, कूरजपुर, जिला-सरयूजा (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 1177)

ऑनलाईन आवेदन - एप्लोड नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 143441/2020, दिनांक 19/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-कछार, तहसील व जिला-रायचूर जिला कचरल क्रमांक 838, कुल सीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मानस नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बीतकों का विवरण -

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020

समिति द्वारा प्रकल्प की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की खंदाई एवं खीटाई तथा नदी के किनारे की खंदाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का चिह्न बनाकर, परिसर में रेत सतह के लेवल (Levels) लेकर चिह्न मेष में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेस स्ट्रक्चर (Consolidated TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेस स्ट्रक्चर (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। चिह्न मेष में टेम्परी बेस स्ट्रक्चर (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से इजाजतपूर्वक फोटोवास्तु सहित जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. ग्रीनहाउस गैसों का स्तर की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का गैसों की घाट की सीमाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीन्डिकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्वतः से निकलता हुआ, बाध, एकीकृत एवं प्लान अनुसूची स्वतः की दूरी बाधों/खननक्षेत्री प्रस्तुत की जाए। प्लान / एकीकृत की दूरी खदान की अपरमिट में न्यूनतम 250 मीटर तथा डाउनमिनिंग में न्यूनतम 500 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अंतर पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को अखननकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका नीचे पर सीन्डिकन तथा माइनिंग प्लान में इस संबंध उल्लेख किया जाए।
5. वेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्वतः पर वर्तमान में उपलब्ध वेत की सीमाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिच) खोदकर जलवायु जलवायु नक्शे का स्थान कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की वास्तविक नक्शे हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में अपरमिट स्वतः पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्देशन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्देशन प्राधिकरण (जी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित सर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी शीटों/प्लान सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति की जानकारी शीटों/प्लान सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व में संयोजित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के आदेश, दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक की खदान में वेत की लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जानकारी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन शीटों/प्लान) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एत.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 08/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(4) समिति की 318वीं बैठक दिनांक 13/05/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति के अध्यक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समस्त अंशुनी जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिमा जाना संभव नहीं है। इस संबंध आवेदन समिति की दिनांक 18/05/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।



समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अदालत फोटोकॉपी) के साथ आशेषित बैठक दिनांक 18/08/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट किया जाए एवं इस बाबत दूभाष को मध्यम से सूचना दी जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को दूभाष को मध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/08/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी इतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/08/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आशेषित बैठक में समक्ष प्रदान करने हेतु अनुत्प्रेष किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आशेषित बैठक में पूर्ण में छोटी गई अधिक्त जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्रीखण्ड के ज्ञान दिनांक 29/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/08/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अहवाल, अधिकृत इतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी का अन्वेषण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेल अख्यतर के संक्षेप में ग्राम पंचायत जगत का दिनांक 29/08/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन-हाकित/सीमाकित - कार्यालय कलेक्टर, छानिद शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन-हाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. काखनन योजना - साईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है। श्री रम संभाजनक (छानि जगत), विजल-संनया के ज्ञानन क्रमांक/411/खलि-8/2018 कोषक दिनांक 29/01/2020 द्वारा अनुत्प्रेषित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (छानि शाखा), विजल-संनया के प्रमाण क्रमांक 2430/खलि-1/रेल मीलामी/2020 संनया दिनांक 10/01/2020 के अनुसार आशेषित खदान से 500 मीटर के मीतर अधिभूत अन्य रेल खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित साईजनिक क्षेत्र/हरधवाए - कार्यालय कलेक्टर (छानि जगत), विजल-संनया के ज्ञानन क्रमांक 2430/खलि-1/रेल मीलामी/2020 संनया दिनांक 10/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी साईजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, जलसाल, स्कुल, पुत, राष्ट्रीय राजमार्ग, बाघ, बीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि इतिभूत क्षेत्र निर्मित नहीं है।





6. एल.ओ.आर्डी का विवरण - एल.ओ.आर्डी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के डायन क्रमांक 2002/ख.सि.-1/रेत मीलानी/2018 रायगढ़ दिनांक 25/11/2018 द्वारा जारी की गई जिसकी अति 3 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भागा सतपुत्र पर्यवरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिलेखना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित अंश में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
8. महावृष्टि संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बघल 0.8 कि.मी., न्यून ग्राम-बघल 0.8 कि.मी. एवं जख्वाल ग्राम-बघल 15.8 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 148 कि.मी एवं राजमार्ग 148 कि.मी दूर है। पूरा खदान से अधिकतम 365 मीटर एवं न्यूनतम 280 मीटर अपग्राउंड में स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रमुख नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जैविकीय संरक्षित एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
10. खान सभल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट की दूरी - आवेदन अनुसार खान सभल पर नदी के घाट की चौड़ाई - 440 मीटर तथा खान सभल की लंबाई - 295 मीटर, चौड़ाई - 148 मीटर चौड़ाई नहीं है। खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 45 मीटर है।
11. खदान सभल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार सभल पर रेत की मोटाई - 3 मीटर तथा रेत खान की प्रस्तावित मोटाई - 3 मीटर चौड़ाई नहीं है। अनुसंधित माईनेबल स्थान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 80,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सभल की मोटाई जमाने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे 8x8x चौड़ाई खदान खानकी कार्यात्मक मोटाई का स्थापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुसार रेत की उपलब्ध अंशता मोटाई 3 मीटर है। रेत की कार्यात्मक मोटाई हेतु संशोधन की प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-
  - i. पूर्व में सचिव, डायन रायगढ़ बघल के भाग से रेत खदान गार्ड और खाना क्रमांक 038 क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर अंशता - 80,000 घनमीटर परिलक्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संसाधन विभाग प्रतिक्रिया, खजौलीगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/01/2014 के द्वारा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अति हेतु जारी की गयी थी।
  - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यालयी की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गार्ड अंशता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
  - iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के डायन क्रमांक 3091/ख.सि.-1/रेत/2020 रायगढ़ दिनांक 12/05/2020 के अनुसार वर्ष 2015-18 में 32,100 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

उपरोक्त प्रस्ताव पत्र में वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 के उत्खनन की जानकारी नहीं दी गई है।

13. निर्धारित सर्वानुसार पृथक्करण नहीं किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत साइट की संरचना - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपरटीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गूना 25 मीटर की गिरि किनारों पर दिनांक 20/02/2020 को रेत साइट की वर्तमान संरचना (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकृत उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये गये है।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - जिला सरकार, पहाड़वा, पन और उत्खनन विभाग नवलख, गढ़ जिल्ला के जोएएम, दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.58	2%	0.79	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Kachhar	
			Rain Water Harvesting System	0.55
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.85</b>

15. गैर माईनिंग क्षेत्र - गूल खदान से अधिकतम 365 मीटर एवं न्यूनतम 300 मीटर की दूरी पर अपरटीम में स्थित है। नये माइनिंग अनुसार गूल की डाउनस्ट्रीम में कम से कम 500 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। माईनिंग प्लान में वर्णित दूरी अधिकतम 28,000 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। जब रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 11,200 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. पृथक्करण कार्य - प्रभावितता के अभाव पर नदी तट पर कुल 2,000 मग पीछे - 1,000 मग जर्बून के पीछे तथा बीच 1,000 मग (जामुन, काला, बंस, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। इनसे अतिरिक्त पटुम मार्ग पर 500 मग पीछे लगाए जायेंगे।

17. समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत साइट की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर खोदी गये गड्ढे (Pit) की प्रस्तुत फोटोग्राफ्स में रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1 मीटर अवलोकित हो रही है। जब वर्तमान में उपलब्ध रेत साइट की मोटाई जानने के लिए नवीन परामर्श एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-



1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित करत कर प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की भौटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्राप्तित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्षिक गहराई हेतु नवीन संश्लेषण एवं लोदीघापण की प्रस्तुत किया जावे।
3. स्वतः निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

सदामुसार परियोजना प्रस्तापक को एच.ई.ए.सी. जलसिंचन के ज्ञापन दिनांक 07/12/2020 की परिधि में परियोजना प्रस्तापक द्वारा जानकारी / वार्षिक दिनांक 24/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021

समिति द्वारा भसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. फार्मास्य कलेक्टर (खनिज सखत), जिला-रायगढ़ की ज्ञापन क्रमांक 3271/ख. लि. 1/रेत/2020 रायगढ़, दिनांक 08/08/2020 की अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2015-16	32,100
2016-17	निरत

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत मात्र की भौटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्राप्तित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत भौटाई 3.06 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु नवीन संश्लेषण की प्रस्तुत किया गया है।
3. स्वतः निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं गड्ढों का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
5. परियोजना प्रस्तापक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मानी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अवलोकन कार्य एवं तटसंरक्षी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। माण्ड नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (खान-बाजार) का खनन 4 अक्टूबर से। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/समाहित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का प्रमाण लगाने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. बुझावोपन कार्य - प्रथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पैरे - 1,000 नग अर्जुन के साथ तथा शेष 1,000 नग (जामुन, कपज, बंगल, आम आदि) पैरे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पशुधन मार्ग पर 500 नग पैरे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रभावक से खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत वाद अध्ययन (Disturbance Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःपूरण (Replenishment) बचाने वाली आवेदित रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की शुद्धता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाइन डाटा -
  - i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी दिवस बिन्दुओं में सर्वेक्षण लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (पानी और) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्ण निर्धारित दिवस बिन्दुओं पर किया जायेगा।
  - ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी दिवस बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरों (Levels) का मापन किया जायेगा।
  - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित दिवस बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरों (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आवेदित दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आवेदित अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अतिरिक्त रूप से एसईआईएए, इलीमन्ट को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से श्री सुब्रह्मण्यम अय्यर, कलकत्ता रोड मॉडर्न, खसरा क्रमांक 438, खान-बाजार, तहसील व जिला-रायचूर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से रेत माईनिंग क्षेत्र 28,800 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 1.12 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 11,200 वर्गमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट-08 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जमीन दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई बतिका द्वारा (Manually) की जाएगी। मिश्र बेड (Mixed Bed) में भारी बट्टों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में किया रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से अंतिम गार्डेट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
6. रेत माईनिंग क्षेत्र एवं अपराध माईनिंग क्षेत्र का सीकें पर स्थित विमान से स्पष्ट सीमांकन करने के उपरांत ही स्थित विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
7. अतिरिक्त द्वारा पोस्ट-मानसून सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित दिवस बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के



सर्वे (Levels) का पोस्ट-मॉन्ट्रिंग सर्वे कर, उसके आंकड़े तालिका एस.ई.आई.ए.ए. प्रकीर्णन में प्रस्तुत किये जायें।

उक्त सार पर्यावरण प्रभावित निर्माण अधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) प्रकीर्णन में तयानुसार सुविधित किया जाय।

2. मैसर्स रोहित कुमार कुमकार (काशीपुर बीम्ब साईन, ग्राम-काशीपुर, तहसील-ओड़गी, जिला-सुरजपुर), ग्राम-अरीय, सटाबीड, जिला-बाजीप (सविधानिक का नस्ती क्रमांक 1302)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीडी / एम्पसाईट / 130489 / 2020, दिनांक 17 / 05 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोप्य अधिकार) है। यह खदान ग्राम-काशीपुर, तहसील-ओड़गी, जिला-सुरजपुर स्थित खदान क्रमांक 167 / 2014 कुल क्षेत्र क्षेत्र 5 हेक्टर में प्रस्तावित है। प्रस्तावित खदान नदी से किया जाता प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-47,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बीडको का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तदनुसार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की जमाई एवं खोजाई तथा नदी के घाट की खोजाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित स्थल के आसपास तथा बाउन्ड्री में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 25 मीटर का विड स्क्वायर वर्तमान में रेत खदान के लेवल (Levels) लेवन सिड मैप में दर्शाया कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खदान क्षेत्र के ऊपर / नदी तट (दोनों ओर) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के स्तर (Levels) का भी सर्वे किया जायें। खदान लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आनप्ल, को-ऑर्डिनेट (Co-ordinate) अंकित किये जायें। सिड मैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनके समित्त विभाग से प्रस्तावित खदान कोर्टाफास सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की बीम्ब की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी से घाट की खोजाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) सही जानें है। यदि इसकी अनुमति खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जायें तबत न हो तो उसकी मर्यादा कर, नदी पर दर्शाकर, इत्यादि जलसंधि नदीतट प्लान में अनिवार्य रूप से दर्शाया जायें। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रस्तावित क्षेत्र को भी नदी पर समित्त विभाग से सीमांकन करवाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायें।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बांधत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के आसपास में न्यूनतम 500 मीटर तथा बाउन्ड्री में न्यूनतम 250 मीटर तथा जल आपूर्ति स्कीम है। यदि क्षेत्र उत्प्रेषणानुसार दूरी के अंतर विद्यत हो, तो उपरोक्त आधार

के खनन हेतु अधिबोधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार सर्वेक्षे पर विहित कर, उदाहरण मीले पर तीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान पर वास्तव में उपाखण्ड रेत की माईनिंग खनने के लिए, प्रति हेक्टर पर कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में अधिबोधित खान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की जति एवं अधिबोधित खानों के खनन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पृथकीकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संपादित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के सी.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रसाधक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अथवाी मात्र की अधिबोधित बैचल में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदात्तुक्त खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रसाधक को एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णगढ़ के ड्राफ्ट दिनांक 29/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुविधा किया गया।

**(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रविश सिंह, अधिवक्ता प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौ, प्रस्तुत जानकारी एवं अपरीक्षण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. प्राप्त पंचनामा का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्खनन के संबंध में प्राप्त पंचनामा संमत का दिनांक 03/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. किन्दाकित/सीमाकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज राज्य के प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान किन्दाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना — माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, (खनिज राज्य) जिला-कोरिया के ड्राफ्ट संख्यांक 1782/खनिज/2019 कोरिया, केदुपपुर, दिनांक 13/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज राज्य), जिला-सूरजपुर के ड्राफ्ट दिनांक 20/12/2019 के अनुसार अधिबोधित खदान में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।



5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्पोरेट कॉम्प्लेक्स (व्यक्तिगत संपत्ति), जिला-सुरजपुर के आदेश दिनांक 20/12/2018 द्वारा जारी आदेश पर अनुमान उक्त अधिनियम के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, पार्क, पब्लिक एरिया आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं हैं।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्पोरेट कॉम्प्लेक्स (व्यक्तिगत संपत्ति), जिला-सुरजपुर के आदेश दिनांक 18/02/सी.ए.ए./दि.आई./स.क.ए./2018 सुरजपुर, दिनांक 18/11/2018 द्वारा जारी की गई, जिलाओ.आई. 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा जारी आदेश में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय इलाका-बनोपुर 0.85 कि.मी., स्कूल काशीपुर 0.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 32 कि.मी. दूर है। एकीकृत आवास की 100 मीटर की दूरी पर आवासीय क्षेत्र में स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - पारिस्थितिकीय प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैववैविध्य प्रमाण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकल लीफ्टस्ट्रेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
10. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं आवास की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 1,000 मीटर, न्यूनतम 840 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - 200 मीटर, अधिकतम चौड़ाई - 150 मीटर दर्शाई गई है। आवास की नदी तट से की दूरी 38 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
11. आवास स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई - 1 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित मोटाई - 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग परमिट अनुसार आवास में माइनिंग रेत की मात्रा - 47,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनन में उपलब्ध रेत मात्रा की मोटाई खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर 1 मीटर तथा सीढ़ियां उखाड़ी प्रस्तावित मोटाई का समान कर, स्थिति विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.5 मीटर है। रेत की वार्षिकिक मोटाई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
12. आवास क्षेत्र में रेत साहज के लेवलिंग - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अधःस्थ तथा आवासीय क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गूणा 25 मीटर के बीच बिन्दुओं पर दिनांक 22/02/2020 को रेत साहज के माइनिंग लेवलिंग (Levelling) लेकर, उन्हें स्थिति विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत प्रोटीगेशन सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गए हैं।
13. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एल.ओ.आई.ए.ए.), पर्यावरण अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट

निर्धारित प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.) अतीसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, सर्वोच्च न्याय और अल्पसंख्यक परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार के साथ अपना रिपोर्टनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.85	2%	0.49	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Kantipur	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Running water facility for Toilets	0.20
			<b>Total</b>	<b>0.50</b>

समिति द्वारा श्रीवोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि स्वतः निर्देशन के अन्तर्गत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. **नैऋत्य नदी क्षेत्र -**

- वर्तमान में खदान की नदी के किनारे से दूरी 38 मीटर है। नदीनिर्णय प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से 100 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना इलाजित है, जिससे नैऋत्य नदी क्षेत्र का प्रत्येक नहीं किया गया है, जबकि नदी दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 10 मीटर अलग नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। अतः खनन क्षेत्र की नदी तट से दूरी नदी की चौड़ाई के अनुरूप 100 मीटर छोड़कर नैऋत्य क्षेत्र की गणना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- इन्फिन्ट की डाउनस्ट्रीम में खदान 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। नदी गाढ़वासाईन अनुसार पूरा की डाउनस्ट्रीम में कम से कम 250 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। अतिरिक्त 80 मीटर लंबाई को नैऋत्य क्षेत्र घोषित कर गणना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- वर्तमान में स्वीकृत लीज क्षेत्र के जगह-जगह पर पथक आउटक्रॉप अवस्थित है। अतः खनन क्षेत्र को नैऋत्य क्षेत्र घोषित कर गणना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- खनन के अन्तर्गत नैऋत्य क्षेत्र की पृथक पृथक गणना किया जाना तथा उपरान्त नदीनिर्णय प्लान में संशोधन किया जाना आवश्यक है।





18. समिति द्वारा यह नोट किया गया कि एनोपेट, प्रस्तावित खनन क्षेत्र को बहुत समीप है। प्रकृत स्थल पर खनन करना होना स्वभाविक है। आत क्षेत्र में खनन किया जाना संभव नहीं होगा।

समिति द्वारा संशोधन सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. माईनिंग प्लान में एनोपेटा को अन्तर्गत पर संशोधन कराकर नैर माईनिंग क्षेत्र एवं अन्वेषी माईनिंग क्षेत्र की संख्या कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण विभाग प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), जलियांगढ़ जिल्ला नदीय पर्यावरण संरक्षण विभाग प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), जलियांगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोडाफ्त सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेक्षण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोडाफ्त सहित प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्तावित क्षेत्र में खनन हेतु जल संसाधन विभाग से अनुमति प्रदान एवं प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
4. स्थल निर्देशन को करारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

समानुसार एस.ई.ए.सी., जलियांगढ़ के द्वारा दिनांक 18/08/2020 एवं दिनांक 28/12/2020 को परिषद में परीषोजना करारपत्र द्वारा दिनांक 24/12/2020, 28/12/2020 एवं 07/01/2021 को जलकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021

समिति द्वारा गली, प्रस्तुत जलकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर गिनत स्थिति गई गई—

1. संशोधित संरक्षण योजना — सी.ई.आई.ए.ए. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जमि अधिकारी, जिला-कोरिया के द्वारा पृ.क्रमांक 3658/खनिज/2020 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में सारथेय, धाम पंचायत लेमरा (धाम-काटीपुर) की गांव से दक्षिण पश्चिम क्रमांक 167/354, क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर, क्षमता - 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला नदीय पर्यावरण संरक्षण विभाग प्राधिकरण, जिला-सुरजपुर की द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 08/02/2017 को द्वारा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- iii. पर्यावरण कनेक्टर (खनिज बाण्ड), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक 118/खनिज/रेल/2020 सुरजपुर, दिनांक 02/06/2020 को अनुमान वर्ष 2017 में 4,200 घनमीटर, वर्ष 2018 में 613 घनमीटर एवं 2019 में निरंक रेत का संरक्षण किया गया है।

3. निर्देशित शर्तानुसार पुनर्स्थापन नहीं किया गया है।

8

3. लाहौल एवं स्पीति जल संयंत्र, जल संयंत्र विभाग, जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक 2060/सक./2020/सुरजपुर, दिनांक 18/11/2020 द्वारा शर्तों के अंतिम उल्लंघन बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

4. स्वयं निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) का निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को नदी के घाट से रीर माइनिंग क्षेत्र एवं अवरोध माइनिंग क्षेत्र की पूरी प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बेड रॉक (Bed Rock) की उपलब्धता के साथ ही मोटाई संबंधी पर्याप्त गहिराई जानकारी एवं समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटिंग्स) के साथ आगामी आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेजर श्री विजय कुमार गुप्ता (स्टोन माइनिंग ऑफ वेकिंग नि.टी.), घान-बोकी, लाहौल-जहापुर नगर, जिला-जहापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1121)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एलआईए / सीजी / एमआईएम / 136/25/2020, दिनांक 10/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संयोजित संधारण पाथर (पीन खनिज) खदान है। खदान घान-बोकी, लाहौल-जहापुर नगर, जिला-जहापुर स्थित खसरा क्रमांक 1 एवं 102 कुल क्षेत्रफल - 3.76 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता - 1,08,200 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 300वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नस्ती एवं प्रस्ताव जानकारी का परीक्षण तथा तत्सम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. विगत वर्षों में किए गए उल्लंघन की वारंवारिक शिकायतों की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित कर कर प्रस्तुत की जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को अपरीक्षा समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटिंग्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार शक्ति निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., परतीसगढ़ के द्वारा दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय कुमार गुप्ता, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्ताव जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-



1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्तरांचल की संख्या में ग्राम पंचायत बोर्डों का दिनांक 10/01/1997 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - रिवाइज्ड क्लॉस प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.उ.) जिला-जसपुर के द्वारा क्रमांक 1402-03/खनिज/2018 अम्बिकापुर, दिनांक 16/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कर्माजीय कारेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के द्वारा क्रमांक 388/खनिजा/2020 जसपुर, दिनांक 07/01/2020 से अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर की मोटाई अवधिगत अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कर्माजीय कारेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के द्वारा क्रमांक 395/खनिजा/2020 जसपुर, दिनांक 07/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, बीज, एनईकॉट राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति अदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण - लीज बीड की विजय कुमार गुप्ता के नाम पर है। लीज बीड 10 वर्षों अवधि 06/03/1997 से 04/03/2007 तक की अवधि हेतु थी। लीज बीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 09/04/2007 से 08/04/2012 तक एवं द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 09/04/2012 से 08/04/2017 तक की अवधि हेतु किया है। तालमाल लीज बीड दिनांक 09/04/2017 से 04/03/2021 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम अथवा ग्राम-बोकी 0.45 कि.मी., शहर जसपुर नगर 10 कि.मी., स्कूल ग्राम-बोकी 1 कि.मी. एवं अस्पताल 10 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राजमार्ग 9.7 कि.मी. दूर है। निम्न गरी 0.32 कि.मी. दूर है।
8. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतराजतीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रकृत्य निवारण बोर्ड द्वारा घोषित किरिकाली पॉल्कूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
9. विद्यार्थीसंख्यक सिजन लगभग 5,78,784 टन एवं सर्दियोंक सिजन 3,07,600 टन है। लीज क्षेत्र के लार्ज ओन 7.5 मीटर (24.77 इंच) के कुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट लोपी मेडनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 1.5 मीटर एवं प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। नू-माच की 8724 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन हुआ है। जहाज लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है। समरी मिट्टी की मोटाई 0.1 मीटर है। बेंग की मोटाई 1.5 मीटर एवं लीज की 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 3 वर्ष है। डिजिटल एवं कंट्रोल करणित किया जाता है। पर्यावर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-



वर्ष	प्रस्तावित उपखनन (टन)
प्रथम	1,09,200
द्वितीय	1,09,200
तृतीय	1,09,200

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 15 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोल के की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का मिश्रण किया जाएगा।

11. वृक्षादीपन कार्य – सीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 300 गम क्षेत्रों लगाया जाया प्रस्तावित है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- पूर्व में खदान खनन क्रमांक 1 एवं 102 क्षेत्रफल 3.76 हेक्टेयर, क्षमता—15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला वार्षिक पर्यावरण सन्तुलन निर्धारण प्रक्रियाएं, जिला—जहापुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/02/2017 द्वारा जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- वर्माला कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—जहापुर के द्वारा क्रमांक 481/खनिज/2020 जहापुर, दिनांक 25/02/2020 के अनुसार जनवरी, 1988 से फरवरी, 2018 तक 14,568 घनमीटर उपखनन किया गया है।

13. कालीय एन.जी.टी. इंजिनियर डी. नई दिल्ली द्वारा सर्वेड सम्बंधित विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अधिकतम प्रतिशत न. 188 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SETAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सन्तक विचार से धारा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Coror)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 1.09	2%	Rs. 2.16	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Boki	



			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.70
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.22
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.30
			Plantation	Rs. 1.04
			<b>Total</b>	<b>Rs. 2.16</b>

15. समिति के संज्ञान में यह लक्ष्य आया कि यह प्रकल्प लगभग विकसित का है। वर्तमान में संरक्षण इलाका में वृद्धि का 15,000 टन प्रतिवर्ष से 1,09,200 टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु कार्योदन किया गया है।

16. समिति की संज्ञान में यह लक्ष्य आया कि लीक होक लगभग 40 से 50 प्रतिशत कुओं से आच्छादित होक है। परियोजना प्रस्तावक अनुसार इन कुओं में प्राचिनन कार्य नहीं किया जाएगा। सड़कनिग प्लान में रिजर्व की मरम्मत में इन कुओं को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार रिजर्व की मरम्मत उपयुक्त नहीं है। अब लीक होक में कुओं से आच्छादित होक को गैर सड़कनिग होक घोषित कर सड़कनिग रिजर्व की मरम्मत कर संशोधित सड़कनिग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा परामर्श सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भ्रमा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सीधे कार्यालय, नगरपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
2. लीक होक में कुओं से आच्छादित होक को गैर सड़कनिग होक घोषित कर सड़कनिग रिजर्व की मरम्मत कर संशोधित सड़कनिग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी. पर्यावरण को ज्ञान दिनांक 08/06/2020 द्वारा परियोजना प्रस्तावक एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नगरपुर को जलवायु/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु चर प्रेषित किया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलवायु/दस्तावेज दिनांक 02/07/2020 एवं 20/08/2020 को प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/08/2020:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/08/2020 एवं 20/07/2020 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सीधे कार्यालय, नगरपुर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु चर प्रेषित किया गया है। जो कि आज दिनांक तक अध्याप्त है। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सी.एम. दिनांक 07/08/2017 द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है:-

Regional offices of the Ministry are requested to submit certified compliance report within one month of receipt of such requests from the Member Secretary of the sectoral EAC. In case the inspection is not carried out within one month, the certified compliance report from the concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) of the Member Secretaries of the respective State Pollution Control Boards shall also be accepted for deliberations by the sectoral EAC.

2. जीव शोध में पूर्ण से आवधिकित शोध को रीर माईनिंग शोध घोषित कर माईनेबल रिजर्व की रचना कर भरोषित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार जियोलीजिकल रिजर्व आभम 5,76,794 टन, खनिज रिजर्व 4,30,794 टन, माईनेबल रिजर्व 1,66,000 टन एवं रिकवरेबल 1,40,400 टन है। प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.1 मीटर है। वेन की मोटाई 1.5 मीटर एवं सीजई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 3 वर्ष है।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त ओ.एम. को अनुसार पूर्ण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर को अनुरोध किया जाए।

तदनुसार एसईएसी, छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 13/10/2020 के परिपत्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 31/12/2020 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(द) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:**

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई कि पूर्ण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमें जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिसूचित शर्तों के बिन्दु क्रमांक 2, 4, 7 एवं 10 का अधिक पालन तथा बिन्दु क्रमांक 8, 9, 11 एवं 13 का पालन अपूर्ण होने का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन पूर्ण रूप से किये जाने के उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. वेनर्स की बबलू साहू (जरेकला सीप्ट माईनिंग, धाम-जरेकला, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़), धाम-तमनार, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नशी क्रमांक 1387)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ 072497/2020, दिनांक 11/09/2020।

संज्ञा

**खदान का विवरण** - यह पूर्ण से संघालित रेत खदान (नीच खनिज) है। यह खदान ग्राम-जोकेला, तहसील-रामनगर, जिला-उपमंडल सिंधु खसरा क्रमांक 605-कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में है। उखानन-पाइल नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उखानन क्रमांक-12,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बीठकी का विवरण** -

(अ) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 08/10/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा हस्तमम सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उखानन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुना 25 मीटर का चिह्न बनाकर, वर्तमान में रेत पाइल की लेवल (Levels) लेकर चिह्न में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। इसकी अतिरिक्त खान लीज के बाहर / नदी तट (घांसी जीर्) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी काठ की सारी (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी वेग मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी वेग मार्क (TBM) में आरएन, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। चिह्न में टेम्परी वेग मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रत्येक वर्ष अथवा फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 25 मीटर या नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (10%) भी अधिक हो नहीं जानी है। यदि इसके अनुसार खदान की कुछ क्षेत्र में उखानन किया जाता समय न हो तो इसकी सफल तट नदी पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में अतिरिक्त रूप से कराया जाये। खदान की खान क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को भी पर अतिरिक्त विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल झरूरी स्थल की दूरी बांध/ जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अथवा पर खान हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नदी का चिह्नित कर, इसका सीमा पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बांध/ उल्लेख किया जाए।
5. रेत उखानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की लंबाई खान के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मीटर (1m) खानन द्वारा तात्कालिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की पारंपरिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. पूर्ण से आवेदित स्थल पर खान हेतु राज्य स्तर पर्योक्त क्रमांक निर्धारण प्रधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.), राष्ट्रीय अथवा जिला स्तरीय पर्योक्त समाचार निर्धारण प्रधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), राष्ट्रीय द्वारा पर्योक्त स्वीकृति दी गई हो, पूर्ण से जारी पर्योक्त स्वीकृति की प्रती एवं अतिरिक्त सारी के पासन में

की गढ़ू, जयपुरवाही की जयपुरवाही फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही  
प्लानेटरीय की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

7. अद्यतन पूर्व से संशोधित हुए जो विवाद वर्षों से चिदू गए चरखनन की वास्तविक  
मापद की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित करा जाव प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व  
विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को अद्यतन से एन.के. लेवल (Levels)  
लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आशुचित बैठक में  
अपनीका समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित  
प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.टी., जयपुरवाही के  
आपन दिनांक 28/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 04/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बबलू साहू, डेवलपमेंट सर्किलरिया हुए। समिति द्वारा मसौ, प्रस्तुत  
जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. घास पंचायत का अन्तर्गत प्रमाण पत्र — रेल चरखनन की संख्या में घास  
पंचायत जयपुरवाही का दिनांक 10/01/2014 का अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत  
किया गया है।

2. विन्दाकिस/सीमाकिस — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण  
पत्र अनुसार पत्र अद्यतन विन्दाकिस/सीमाकिस कर घोषित है।

3. चरखनन योजना — माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी,  
जिला-रायपुरवाही के आपन क्रमांक 4096/ख.नि.-1/रा. / 2020 रायपुरवाही,  
दिनांक 06/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित अद्यतन — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा),  
जिला-रायपुरवाही के आपन क्रमांक 4099/ख.नि.-1/2020 रायपुरवाही, दिनांक  
08/08/2020 को अनुसार आशुचित अद्यतन से 500 मीटर की सीमा अन्तर्गत  
अन्य रेल अद्यतनों की संख्या निकल है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय  
कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-रायपुरवाही के आपन क्रमांक 4100/ख.नि.  
-1/2020 रायपुरवाही, दिनांक 08/08/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त  
अद्यतन की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल,  
स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, एमिडेट एवं पाल आदिकी आदि  
अशुचित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एन.ओ.आई. का विवरण — एन.ओ.आई. श्री बबलू साहू के नाम पर है, जो  
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुरवाही के आपन क्रमांक 3012/ख.  
नि.-1/रेल नीलामी/2020 रायपुरवाही, दिनांक 28/04/2020 द्वारा जारी की गई,  
विस्तारी अन्तर्धि 2 पन्ने हेतु है।

7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey  
Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।



8. महात्त्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम जलकरी घास-जंगलका 0.5 कि.मी., स्कूल घास-जंगलका 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल समान 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजस्वार्ग 8 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव-वैविध्य प्रयुक्त नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेकलो पील्फुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
10. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अतिक्रमण 20 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - अतिक्रमण 2000 मीटर एवं गौराई - औसत 20 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 5 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 1.5 मीटर तथा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार खदान पर रेत की मोटाई - 1.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा - 12,800 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत मात्रा की मोटाई जमाने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 पट्टे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, स्थिति विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.40 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पथनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
- पूर्व में राष्ट्रीय, राज्य सरकार जल संयंत्र जल संयंत्र के नाम से रेत खदान पर 2018 अक्टूबर 05, बीएनएल 4 डेक्टोर, समान - 4488/2018 घनमीटर प्रतिदिन हेतु जिला पर्यावरण पर्यावरण समाधान निदेशक प्रतिनिधित्व, जिला-राजगढ़ की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/05/2018 के द्वारा जारी किया गया है।
  - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के तालिका में की गई अनुरोधों को जानकारी प्रस्तुत की गई है। यह अनुरोध लिस्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
  - कार्यालय सलेक्टर (जिला राजगढ़, जिला-राजगढ़) के द्वारा अक्टूबर 05/2018/स.सि.-1/रेत/2020 राजगढ़, दिनांक 18/09/2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में 7,500 घनमीटर उत्खनन किया गया है।
  - निर्दिष्ट शर्तानुसार पुनर्स्थापना नहीं किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुण्डा 25 मीटर के दिश बिन्दुओं पर दिनांक 15/09/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस Levels लेकर, उन्हें स्थिति विभाग से प्रमाणित जल संयंत्र पर्यावरण निदेशक/सलाहकार प्रस्तुत किया गया है।



14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44.52	2%	0.89	Following activities at Hearty Government Primary School Village- Jankola	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Plantation	0.15
<b>Total</b>			<b>0.80</b>	

15. जलपूरिकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई लगभग 2,000 मीटर है, जिसमें लीज क्षेत्र में पुल स्थित है। कार्पोरेट कॉन्क्टर (खनिज खोज), जिला-रायगढ़ के डायम जमाक 4098/ख.सि.-1/2020 रायगढ़, दिनांक 08/08/2020 द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार नदी के घाट की औसत चौड़ाई 30 मीटर, खनन क्षेत्र की औसत लंबाई लगभग 2,000 मीटर एवं औसत चौड़ाई 20 मीटर बताई गई है तथा खदान की समीपतम सीमा से नदी के तट की न्यूनतम दूरी 5 मीटर होना बताया गया है। खनन स्थल की लंबाई अधिक होने के कारण नदी के घाट की चौड़ाई तथा खदान की समीपतम सीमा से नदी के तट की न्यूनतम दूरी विभिन्न स्थलों पर विभिन्न-विभिन्न है। अतः प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की वास्तविक दूरी एवं खदान की नदी तट से वास्तविक दूरी की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. नये गार्डरिलर्डिन अनुसार किसी भी मुलिया, स्टोपडेम, बंध, एनीकट, जल प्रवाह व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान की अपस्ट्रीम में न्यूनतम 800 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है। प्रस्तुत गार्डरिलर्डिन प्रमाण अनुसार पुल की अपस्ट्रीम में 250 मीटर एवं डाउनस्ट्रीम में 800 मीटर छोड़कर रखखनन किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिससे रखखनन क्षेत्र का विन्दावन कर रखखनन किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।
17. रेत रखखनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का चिह्न बनाकर, वरीमाल में रेत साहब के लेयर्स (Layers) लेयर चिह्न रीप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया गया है। नदी के घाट की औसत चौड़ाई 30 मीटर बताई नहीं है। अतः 25 मीटर गुना 25 मीटर के चिह्न पर रेत साहब के लेयर्स (Layers) हेतु सम्पुष्ठा काटा प्राप्त नहीं हो रहे है। अतः जकात नदी 5 मीटर गुना 5 मीटर का चिह्न बनाकर किया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा आवश्यक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की वार्षिक दूरी एवं खदान की नदी तट से वार्षिक दूरी की प्रारंभिक जानकारी प्रस्तुत किया जाए। तटनुसार गैर माइनिंग क्षेत्र एवं माइनिंग क्षेत्र को स्पष्ट विभाजन कराती हुई संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. रेत खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुण्डा 5 मीटर का विच बन्धक वर्तमान में रेत साठह के लेवल (Levels) लेकर दिक् क्षेत्र में इतिहास कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साठह के गार्ड (Levees) का भी सर्वे किया जाये।
3. गुण्डा/एनोफ्ट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि जीव क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नष्टी पर विनियत कर, उत्पन्न बीज पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाबत कार्रवाई किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्रवाई की जाएगी।

साधारण परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी, जयपुर के द्वारा दिनांक 07/12/2020 को पर्यवेक्ष से परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 02/01/2021 प्रस्तुत की गई है।

(स) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अंशोक्तन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि से चर्चा हुई -

1. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - जांचेदत अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की औसत चौड़ाई - 30 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई - 2,000 मीटर एवं औसत चौड़ाई - 20 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 5 मीटर है।
2. खदान क्षेत्र में रेत साठह के लेवल - रेत खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के बाईं तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुण्डा 5 मीटर के विच विन्दुओं पर दिनांक 10/11/2020 की रेत साठह के वर्तमान लेवल (Levels) लेकर, सभी खनिज विभाग में उपरोक्तानुसार उपरोक्त प्रोटोकाल अर्थात् जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
3. गैर माइनिंग क्षेत्र -
  1. नदी के घाट की औसत चौड़ाई 30 मीटर है, जबकि खदान नदी तट से किनारे 5 मीटर है। नदी किनारे निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माइनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 2,700 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।

- ii. कुल खदान क्षेत्र में स्थित है। नये गाइडलाइन्स अनुसार कुल की दूरी खदान के जलस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा जलजलस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। अतः कुल की तरफ से जलस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तथा जलजलस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। माइनिंग प्लान अनुसार 2-35 हेक्टेयर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।
- iii. नगरपालिकाद्वारा माइनिंग प्लान में कुल की माइनिंग क्षेत्र 3.12 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। अतः सेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 0.88 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा को अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में सेत की उपलब्ध औसत गहराई 1.48 मीटर है। प्लान पंचनामा से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 1.48 मीटर गहराई के नीचे सेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्बन्धि से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बेस रोक (Bed Rock) के उपर अदखिला सेत की गहराई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तबानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री वैभव सज्जवा (बी-1 बोरली सीम्स माइनिंग, राम-बोरली, लहरील-बाधा, जिला-जांजगीर-बाधा), भारतीय फ्लोर, बीडबानिया रिजेंसी, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1307)

ऑनलाइन आवेदन - उपरोक्त नाम - एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 184304/ 2020, दिनांक 25/08/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में समिति होने से उत्पन्न दिनांक 08/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/10/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

पंचनामा का विवरण - यह प्रस्तावित सेत खदान (गोला खनिज) है। यह खदान राम-बोरली, लहरील-बाधा, जिला-जांजगीर-बाधा स्थित खदान क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हलदेव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

नोट्स का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रकरण को नस्ती एवं प्रस्तुत जलजलस्ट्रीम का परीक्षण तथा संरक्षक सर्वसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के जलस्ट्रीम तथा जलजलस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का डिब्

अनुसार, वर्तमान में वेत सहाय के लेवलस (Levels) लेवल सिस्टम में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खण्ड जीज के बाहर / गदी लह (दोमो जेव) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में गदी सहाय के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में कोऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। सिस्टम में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण प्रस्ताव फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर का नदी के बाढ़ की भीड़ों का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसकी अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नदी पर दर्शाकर, इतका उल्लेख माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से करना पड़े। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र धीं नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खान से निकटतम पुल, बाढ़ एनीकट एवं जल आयुर्वी स्वोत की दूरी बावजू जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा बावतनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि जीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त खान पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नदी पर विधित कर, उक्तका भीड़ पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इत बावजू उल्लेख किया जाए।
5. वेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान पर वर्तमान में उल्लेख देत की भीड़ों जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्वत पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण प्रभावत विभागत प्राधिकरण (एसई.आई.ए.ए), उत्तीसगड् अध्याय विगत राष्ट्रीय पर्यावरण प्रभावत निर्धारण प्राधिकरण (डीई.आई.ए.ए), उत्तीसगड् द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अति एवं अधिरीमित अती के मानन में की गई कार्यवाही की अनिवार्य फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरीक्षण की अवगत स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विगत अती में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सीई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक की खदान में वेत के लेवलस (Levels) जेने माले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की अधोदित वेतक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सद्वानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक की एसई.ए.सी., उत्तीसगड् के शासन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/12/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कैला साहूजा, डेप्युटीटा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. ग्राम मंचाघर का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेल वास्तुनम के संघ में ग्राम मंचाघर बीरसी का दिनांक 26/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्हाकित/सीमाकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार गा खदान विन्हाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. वास्तुनम योजना — जमीनी प्लान (सारी कन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम संचालक (खनिज), जिला-बीरसा के द्वारा क्रमांक/ 917-18/ खनि-4/ 2020 बीरसा, दिनांक 18/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिक्वा खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-पासा के द्वारा क्रमांक/ 3141/ खनि/ रेल/ 2019-20 जांजगीर, दिनांक 18/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवस्थित अन्य रेल खदानों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में रिक्वा सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-पासा के द्वारा क्रमांक/ 3141/ खनि/ रेल/ 2019-20 जांजगीर, दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार ग्राम खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्रियित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. श्री कैला साहूजा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-पासा के द्वारा क्रमांक /2001/ सीमा खनिज/ नीलानी/नक/2020 जांजगीर, दिनांक 31/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु तैय की। परिशोधन प्रशासक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी (खनिज विभाग) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। रेल एल.ओ. आई. की प्रति सीधे प्रस्तुत की जाएगी।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम जमीनी ग्राम-बीरसी 0.37 कि.मी., स्कूल ग्राम-बीरसी 0.8 कि.मी. एवं जलमाल सारवेरी 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.2 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 840 मीटर एवं एनीकट 825 मीटर की दूरी पर अवस्थित में स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परिशोधन प्रशासक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आंतरजतीय क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय वन्यजीव निर्यात क्षेत्र द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्डुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होता प्रतिक्रियित किया है।
10. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी — आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई — अधिकतम



242 मीटर, न्यूनतम 880 मीटर तथा खनन स्तर की लंबाई - अधिकतम 288 मीटर, न्यूनतम 242 मीटर एवं चौड़ाई - अधिकतम 234 मीटर, न्यूनतम 221 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नवी तरह के विन्यास से दूरी अधिकतम 230 मीटर, न्यूनतम 200 मीटर है।

11. खदान स्वयं पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्वयं पर रेत की मोटाई - 8 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित मोटाई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधान माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा - 1,00,000 प्रममीटर है। रेत का खनन हेतु प्रस्तावित खदान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सारों की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित खदान पर 8 गड्ढे (Pits) खोदकर उससे प्रस्तावित मोटाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इससे अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.8 मीटर है। रेत की प्रस्तावित मोटाई हेतु पर्याप्तता भी अनुसृत किया गया है।
12. पुरई में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पुरई में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सारों के लेवलिंग - रेत का खनन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर के त्रिक बिन्दुओं पर दिनांक 27/01/2023 को रेत सारों के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपलब्ध जोटीकरण सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - संबंधित प्रस्तावक द्वारा समिति के संबंध विस्तार से चर्चा उपरोक्त विन्यासगत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70	2%	1.52	Following activities at Nearby Government Middle School, Village-Borki	
			Rain Water Harvesting System	0.90
			Running water facility for Toilets	0.37
			Plantation	0.25
			<b>Total</b>	<b>1.52</b>

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया था कि एल.ओ.आई की पैदाइश वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने से उपरोक्त जलसंधी कार्यवाही की जाएगी।



पर्यावरण एस.ई.ए.सी. उत्तीर्णन हेतु बैठक दिनांक 07/12/2020 को परिशेखर में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / वसतिगत दिनांक 04/01/2021 प्रस्तुत की गई है।

(ख) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा नतीजा प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. एल.जी.वाड़ी का विवरण - संयोजक, संभालनालय भूमि की तथा सड़क, नया रायपुर अटल नगर के प्रान्त योजनांक 5687/खनिज/सांख्यिक/न.ज. 38/1886/नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/12/2020 द्वारा जारी आदेश पर की जारी की पूर्ति हेतु अधिविज्ञा सहायक प्रदान की गई जिसकी तिथि दिनांक 29/01/2021 तक है।
2. रेत उत्खनन नियुक्त विधि से एन मरई का कार्य लीजर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
3. परिशेखर प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति लीगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तालाबकी जानकारी का समावेश नहीं किया गया है। जांचाई-बागा क्षेत्र में इसदेव नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में साधनात 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. आवेदित खदान (घान-बोस्ली) का खनन 5 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में लीज्ड/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की माने ली।
2. वृक्षांतोषण कार्य - प्रथमिका के अन्तर्गत पर नदी तट पर कुल 2,000 म<sup>2</sup> पीछे - 1,000 म<sup>2</sup> जर्बुन के पीछे तथा क्षेत्र 1,000 म<sup>2</sup> (जामुन, कज, बंस, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। इसकी अधिविज्ञा महुन मार्ग पर 500 म<sup>2</sup> पीछे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) करायेंगे, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाध नही आये, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय स्तरपरि, जीव एवं स्थल जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घनी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की सके।
4. लीज्ड क्षेत्र की सहाह का बेसलाईन डाटा -
  1. रेत खनन उपरान्त सनसुन के पूरे (मई मास के अंतिम सप्ताह/जून के प्रान्त सप्ताह) इसी विश्व बिन्दुओं में माईनिंग लीज्ड क्षेत्र तथा लीज्ड क्षेत्र के अन्टीम एवं क्वानस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज्ड के बाहर / नदी तट (घोमा क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहाह के लोरी (Levels) का सर्वे पूरे निर्धारित विश्व बिन्दुओं पर किया जायेगा।





- ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन कार्य करने के पूर्व) इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत साह के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा।
  - iii. रेत साह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत साह के लेवल (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं पी-मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए. जारसीसाह को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से श्री केशव बालुजा, पी-1, बीरगी रोड, साईन, जसराज अमांक 01, राम-बीरगी, तहसील-जंजिरा, जिला-जाजगीर-बाघ, कुल क्षेत्र क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिनियम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट-08 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वच्छता, जल दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिए जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई धार्मिक द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में नदी बहावों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सीज बंध में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ड्रॉले द्वारा किया जाएगा।
6. आवेदनक द्वारा पोस्ट-मानसून सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन कार्य करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की साह के स्तरों (Levels) का पोस्ट-मानसून सर्वे कर उसके आंकड़े उपरान्त एस.ई.आई.ए. जारसीसाह को प्रस्तुत किये जायेंगे।

राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुलन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.), जारसीसाह को तदनुसार सूचित किया जाए।

**7. मेसर्स बिलाडी साईम स्टोन क्वारी (प्री- श्री संजय सहगल), राम-बिलाडी, तहसील-बिन्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1190)**

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एस.आई.ए./ सीजी/ एम्बलाईन/ 144140/2020, दिनांक 20/02/2020। परिसीजन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमीश्री होने से ज्ञान दिनांक 28/02/2020 एवं 17/07/2020 द्वारा जन्मवही प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिसीजन प्रस्तावक द्वारा बतौर जानकारी दिनांक 07/07/2020 एवं 19/08/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संचालित युवा क्वार (जीन खनिज) खदान है। खदान राम-बिलाडी तहसील-बिन्दा, जिला-रायपुर स्थित जसरा अमांक 108/1, कुल क्षेत्रफल-2.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन अमांक-3,500 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020।

समिति द्वारा प्रकरण की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सारसमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-



1. धाम संघाघट द्वारा जारी अनामलि प्रमाण पत्र (आरबीसी डेटा सही) की रण्ट / पतनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. जीव जीव से निरुद्धन वन क्षेत्र की सामाजिक पूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनामलि प्रमाण पत्र की रण्ट / पतनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदिता जगत पर खनन हेतु कम्प वन पर्यवेक्षण संघाघात निर्धारण अधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), जलसंग्रह अधिका विभा संघीय पर्यवेक्षण संघाघात निर्धारण अधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जलसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय लीकलि की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय लीकलि की प्रति एवं आवेदिता जगत के जगत में की गई कर्षवाही की जानकारी फोटोसंग्रह सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कर्षवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी अद्यतन सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्ष में पर्यावर किट वर रखनन की वार्षिक गजा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. सला संरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जो एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को कर्षवाही समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसंग्रह) के साथ आनमी वर की आवेदिता डेटा में प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., जलसंग्रह के जगत दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (4) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की राज्य सभगत, जलसंग्रह उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. धाम संघाघट का अनामलि प्रमाण पत्र — जलखनन के संघ में धाम संघाघट विलाही का दिनांक 08/05/2004 का अनामलि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. वरखनन योजना — जलसंग्रह प्लान एलांग विज वृष्याधरोभेट मेनेजमेंट प्लान वृषडा जवारी संशोधन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उर संसाजक (खनि प्रसा), जिला-राजपुर के जगत अनांक 04/ख.लि./लीन-8/रा.प./2017 राजपुर दिनांक 03/04/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यलय कलेक्टर (खनिज संसा), जिला-राजपुर के जगत अनांक /क/ख.लि./लीन-8/2018/2017 राजपुर दिनांक 25/08/2018 अनुसार आवेदिता खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या शिक्त है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यलय कलेक्टर (खनिज संसा), जिला-राजपुर के जगत अनांक /क/ख.लि./लीन-8/2018/2018 राजपुर दिनांक 24/09/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र



मंदिर, मस्जिद, सराफा, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एनिकेट एवं जल संपूर्ण आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।

5. **सीज का विवरण** - यह शासकीय भूमि है। पूर्व में सीज की शिव कुमार देवगन के नाम पर थी। सीज बीड 10 वर्षी अवधि दिनांक 27/11/2004 से 28/11/2014 तक की अवधि हेतु थी। सीज बीड का हस्तान्तरण भी राज्य सरकार के नाम पर दिनांक 02/09/2010 को किया गया है। प्रस्तुतकरण के दौरान परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सीज बीड की अवधि पूर्ति हेतु आवेदन किया गया है।
6. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र** - जम्मालय वनसंरक्षक/सहायक संचालक, राज्य सरकार, रायपुर को आपन क्रमांक /सा/रा/3025 रायपुर दिनांक 07/09/2020 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
8. **सहस्रपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी घास-बिलाड़ी 1 कि.मी. सड़क घास-बिलाड़ी 1 कि.मी. एवं अस्पताल सड़क 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र** - परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिली पील्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - जिब्रोसिडिफिकल रिजर्व 4,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 2,02,533 टन एवं सिन्थेटिक रिजर्व 2,71,919 टन है। जिब्रोसिडिफिकल रिजर्व की गहराई 8 मीटर गहराई तक की गई है। विषय 10 वर्षी में 0.83 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। सीज की 7.3 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर है। आपन क्वॉट सीमा नैकनॉइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर है। उपरी मिट्टी की मात्रा 1,888 घनमीटर एवं मोटाई 0.2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं मोटाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। सीज क्षेत्र में खनन स्वीकृत नहीं है एवं वर्तमान में इसकी स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जैक डैमर के डिजाइन एवं माटेरियल चरिटेड किया जाता है। खदान में आयु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का उपकरण किया जाता है। पर्यावरण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROOM (टन)
प्रथम	933	1.5	1,400	3,500
द्वितीय	933	1.5	1,400	3,500
तृतीय	933	1.5	1,400	3,500

*(Handwritten Signature)*

जल	833	1.5	1,400	3,500
घन	833	1.5	1,400	3,500

### आगामी वर्षों का संरक्षण योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित संरक्षण प्रकल्प (टन)
2020	833	1.5	1,400	3,500
2021	833	1.5	1,400	3,500
2022	833	1.5	1,400	3,500
2023	833	1.5	1,400	3,500
2024	833	1.5	1,400	3,500

नोट: तालिका में प्रस्तावित की गई कीमतों को लागू करने के लिए किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** - परिशोधन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल चिक्काव, कूड़ा-कचरा) हेतु जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में सहमति ली जाएगी।
12. **कूड़ा-कचरा कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी क्षेत्र 7.5 मीटर की गहराई में 1200 टन कूड़ा-कचरा किया जाएगा। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अपनी मिट्टी को प्रथम वर्ष में संरक्षण कर 7.5 मीटर की गहराई में संरक्षण/संरक्षित कर प्रथम वर्ष में ही पूर्ण कूड़ा-कचरा किया जाएगा।

### 13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- a. पूर्व में पूरा पथर खदान परिसर क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल - 28 हेक्टेयर, समूह - 300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण सलाहकार निदेशन प्रतिक्रम, प्रादेशिक द्वारा दिनांक 12/08/2015 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/10/2018 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- b. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों को पालन में ली गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- c. निर्धारित शर्तानुसार कूड़ा-कचरा नहीं किया गया है।
- d. कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-राजपुर के द्वारा दिनांक 06/10/2020 द्वारा दिनांक पूर्व में किये गये संरक्षण की जानकारी किम्बदुसार है:-

वर्ष	अवधि (टन)
2010	350
2011	500
2012	निरंक
2013	500
2014	निरंक

- e. प्रस्तुतिकरण के दौरान परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि संरक्षण कार्य वर्ष 2014 से बंद है। भुक्ति लीज की 10 वर्षों अवधि दिनांक 27/11/2004 से 28/11/2014 तक की अवधि हेतु की।



14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिचयना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव में शासकीय स्कूल, डाम-बिलाड़ी में प्रस्तावित रेल वॉटर हावीस्टिंग एवं पुशरोपण की उपयुक्त गणना तथा कुल लागत में प्रस्तावित ऊपर की लागत को समावेश नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण की दौरान यह तथ्य साझा में आया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ब्लॉक रिजर्व की गणना में प्रस्तावित ऊपर क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है एवं उक्त क्षेत्र की ब्लॉक रिजर्व की गणना भी नहीं की गई है। साथ ही प्रस्तुत लेम्ब ग्राउ वेटने में सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया गया है। अतः उपयुक्त की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्काल्य सर्वसाधन से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त विवरण अनुसूत रिजर्व की विलुप्त गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रसार में कुल लागत में प्रस्तावित ऊपर की लागत को समावेश किया जाए एवं प्रस्तावित रेल वॉटर हावीस्टिंग, पुशरोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित विलुप्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परिचयना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत अगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., उत्तराखण्ड के आपन दिनांक 07/11/2020 के परिचय में परिचयना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/01/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का व्यवहोवन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में दिनांक 03/04/2017 को प्रस्तुत अनुमोदित जलही प्लान में डिप्लोमेटिकल रिजर्व 4,39,000 टन, माईनिंग रिजर्व 3,22,139 टन एवं डिप्लोमेटिकल रिजर्व 2,71,919 टन हीना बताया गया है, जबकि गणना में प्रस्तावित ऊपर क्षेत्र में ब्लॉक रिजर्व को शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में प्रस्तुत संशोधित माईनिंग प्लान में डिप्लोमेटिकल रिजर्व 4,23,950 टन एवं माईनिंग रिजर्व 2,97,100 टन है। साथ ही ब्लॉक रिजर्व की गणना में प्रस्तावित ऊपर क्षेत्र (ब्लॉक रिजर्व 22,500 टन) होना बताया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि गणना में त्रुटि है। इस संबंध में विधि स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

2. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रसार में कुल लागत में प्रस्तावित ऊपर की लागत को समावेश करते हुए प्रस्तावित रेल वॉटर हावीस्टिंग, पुशरोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित निम्नानुसार विलुप्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70.04	2%	1.40	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Biladi	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation with fencing	0.20
<b>Total</b>			<b>1.40</b>	

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को बिन्दु क्रमांक 1 के संघ में स्पष्ट जानकारी एवं समझा पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (संपादन फोटोकॉपी) के साथ अगामी आवेदित बैठक में प्रस्तुतकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

- II. मेसर्स श्री राम रोलिंग मिल (पार्टनर- श्री संदीप निदानी), प्लॉट नं. 13बी, राजभाठा इन्धस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर (समिवाजव का नसीब क्रमांक 1304)

ऑनलाईन आवेदन- प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीपी/ आईएनसी/ 171761/ 2020, दिनांक 07/08/2020।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा राजभाठा इन्धस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर स्थित प्लॉट नं. 13बी(पार्ट), कुल क्षेत्रफल - 0.452 हेक्टेयर में एन.एन. बिल्ड (यू इन्धस्ट्रीयल पार्क) क्षमता - 22,000 टन प्रतिवर्ष से 44,000 टन प्रतिवर्ष एवं सी-ग्रेड स्टील प्रोडक्शन क्षमता - 8,000 टन प्रतिवर्ष (यू बिल्ड सि-हीटिंग) से 23,380 टन प्रतिवर्ष (41,380 टन प्रतिवर्ष यू हीट चार्ज एवं 8,000 टन प्रतिवर्ष यू बिल्ड सि-हीटिंग) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नसीब एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तरावक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. परियोजना में स्थापित इकाईयों हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संश्लेष मंडल द्वारा जारी सम्मति पत्रों के प्राप्त न होने की गई कार्यवाही को बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।

2. भूमि स्वामित्व / भूमि आवेदन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये। यह स्पष्ट किया जाये कि भूमि इन्धस्ट्रीयल एरिया में अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि भूमि

इन्टरनैट्रियल एजेंडा के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पूर्ति हेतु कर्मिण्य एवं एचएस विभाग द्वारा जारी प्रत्येक रमरवेज प्रस्तुत की जाये।

3. वर्तमान रोडिंग मिल में सी-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? समता विस्तार के तहत रोडिंग मिल में सी-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? सी-हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो सी-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रदूषण ईंधन के अक्षार पर विन्नी की कड़ाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। वर्तमान में स्थापित इन्वैस्टेशन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इनमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित विन्नी की कड़ाई संबंधी जानकारी गणना सहित। समता विस्तार के तहत रोडिंग मिल में यदि सी-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो सी-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रदूषण ईंधन के अक्षार पर विन्नी की कड़ाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. समता द्वारा स्थापित समता से उत्पादन की दशा में एवं समता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण मात्र की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, पृथिवी जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न कोस आदि) प्रस्तुत की जाये।
5. सेन्ट्रल हाउसिंग बोर्ड अधीनस्थों द्वारा जारी गाइडलाइन्स अनुसार परिवर्तन व्यवस्था सीमा विधिकतम अथवा विधिकतम अथवा सीमा जैन के अंतर्गत जाने वाला जानकारी प्रस्तुत की जाये। हाउसिंग बोर्ड उपयोग करने हेतु बोर्डल हाउसिंग बोर्ड अधीनस्थों से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
6. वर्तमान में स्थापित एवं समता विस्तार के तहत प्रस्तावित हाउसिंग बोर्डल विचारों व्यवस्थाओं एवं इन बोर्डल हाउसिंग व्यवस्थाओं का विवरण (संख्या एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाये।
7. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / रमरवेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी मास की आदेशित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

साधारण परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीसगढ़ के अद्यतन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु बुधित किया गया।

(ब) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 08/11/2020-

प्रस्तुतीकरण हेतु की सकल निवेदन, फर्नेस उपस्थित हुए। समिति द्वारा संबंधी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि गई गई-

1. जल एवं वायु सम्बन्धि -

- क्षेत्रीय पर्यावरण, उत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, राधपुर में सी-हीटिंग प्रोजेक्ट क्षमता-8,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, एनएस, इगाट क्षमता-18,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं एनएस, मिलेट्स क्षमता-7,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्बन्धी नदीनीकरण दिनांक 28/08/2019 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 30/08/2019 तक वैध है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु जलसंचयन पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी सन्मति पत्रों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. समीपस्थ स्थित जिन्याकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ जलवाही विस्तरण 1 कि.मी. एवं सहर रायपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकलाना नदी बटेवाज रायपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानवाहन, राणा रायपुर 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। ब्यालन नदी 5 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्तराज्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।

3. भूमि प्रयोग स्टैट्यूट –

S.No.	Land use	Existing Area (In SQM)	Proposed Change Area (In SQM)	After proposed expansion Area (In SQM)
1	Rooftop/ Bulup Area	2060	273	2333
2	Area under road and paved	389	-150	239
3	Green Belt	1491	497	1988
4	Open Area	1050	-620	430
	Total	4970	0	4970

4. रॉ-मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Existing Capacity (TPA)	After proposed expansion Capacity (TPA)
<b>For Induction Furnace, CCM and In expansion Hot Charging Rolling Mill</b>			
1	Sponge Iron	20,400	38,280
2	Scrap	8,000	10,547
3	Ferris Alloys	220	331
4	Ingot Mould	70	0
<b>For Billet Re-heating Furnace Rolling Mill (Based on Pulverised Coal)</b>			
1	Billets	8,800	8,800
2	Coal	800	800

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Existing Capacity (TPA)	After Expansion Capacity (TPA)
1.	Induction Furnace 7 MT x 1 Nos with CCM to produce MS Ingot/ Billet of Capacity - 22,000 TPA	Induction Furnace + Hot Charging RM 7 MT x 2 Nos to produce MS Ingot/ Billet of Capacity - 44,000 TPA and/or 41,380 Hot Charged Rolled Product





2.	Re-rolling Mill with BRF 1 No. with 8,000 TPA	Re-rolling Mill with BRF 1 No. with 8,000 TPA
3.	Coal Consumption 120 Kg/Ton of Re-rolled steel	Coal Consumption 100 Kg/Ton of Re-rolled steel

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - वर्तमान में इण्डियान फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सघनत दूध, वेद स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का अन्वयन कर सघनत दूध तथा वेद स्क्रबर लगाए जाये प्रस्तावित है। वर्तमान में सी-डिस्टिंग फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेद स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के लिए प्रस्तावित नई व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से घटकर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर होता प्रस्तावित है। हीट भाजिंग अस्थापित सीडिंग मिल एवं इंधन का उपयोग नहीं करने के कारण सीडिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंध एवं चिमनी की स्थापना किया जाने प्रस्तावित नहीं है। अप्रतिष्ठित अस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अन्वयित जायेगी।

7. बॉक्सा अपशिष्ट उपचयन व्यवस्था - वर्तमान में इण्डियान फर्नेस से बॉक्सा - 2,200 टन प्रतिवर्ष एवं सी-सीडिंग मिल से मिल स्कॉल 1,500 टन प्रतिवर्ष, मिल कास्ट 1,100 टन प्रतिवर्ष, मिल रोल/एण्ड कटिंग 400 टन प्रतिवर्ष एवं बॉक्सा रेश 384 टन प्रतिवर्ष बॉक्सा अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। अन्वयत विराट उपरोक्त इण्डियान फर्नेस से स्लेग - 4,400 टन प्रतिवर्ष एवं सी-सीडिंग मिल से मिल स्कॉल 1,280 टन प्रतिवर्ष, मिल कास्ट 880 टन प्रतिवर्ष, मिल रोल/एण्ड कटिंग 4,280 टन प्रतिवर्ष एवं बॉक्सा रेश 320 टन प्रतिवर्ष बॉक्सा अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। स्लेग को मेटल रिफायरी इकाईयों को उपयुक्त करवाया जाएगा। मिल स्कॉल को सीरी एसीडज एवं फ्लैट फ्लाट इकाई को विक्रय किया जाएगा। मिल कास्ट/मिल रोल/एण्ड कटिंग को स्वयं के इण्डियान फर्नेस में पुनःउपयोग किया जाएगा। बॉक्सा रेश को ईट निर्माण इकाईयों को उपयुक्त करवाया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अन्वयित नहीं है।

8. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल क्षय एवं रबीत - वर्तमान में परिचालन हेतु कुल 18 घनमीटर प्रतिदिन (जरेलु उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 14 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जा रहा है। इसका विचार उपरोक्त परिचालना हेतु कुल 23 घनमीटर प्रतिदिन (जरेलु उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 21 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से की जायेगी है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल प्रायमरी वीटर कन्वर्टिटी से संपूर्ण राशन आवेदन किया गया है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल अन्वयन नहीं होता। कृत्रिम सघनत द्वारा दूषित जल को ठंडा कर पुनः कृत्रिम हेतु

*(Handwritten signature)*

अवशेष में जला जाएगा। धरेनु दूषित जल के उपचार हेतु सेंट्रिक टैंक एवं सोवलिड निर्माण किया जाएगा। शुद्ध निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- न्यू-जेल उपयोग प्रबंधन - उद्योग स्वस सेटल प्राउपण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सभी क्रिटिकल जॉन में जला है। जिससे अनुसूच-  
(अ) शुद्ध एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःप्राप्ता एवं पुनःउपयोग किया जाना है।  
(क) प्राउपण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वीनिंग / ऑटोक्लिविजल जल रिचार्ज के अन्वय पर न्यू-जेल निकाले जाने की अनुमति सेटल प्राउपण्ड वाटर बोर्ड द्वारा देने जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वीनिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- रेन वाटर हार्वीनिंग व्यवस्था - उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल वननीय 3,313 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वाटर हार्वीनिंग व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में 2 नम रिचार्ज वेल (व्यास 2 मीटर, गहराई 3 मीटर) स्थापित है तथा 2 नम रिचार्ज वेल (व्यास 2 मीटर, गहराई 3 मीटर) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वाटर हार्वीनिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना उचित प्रावधानों अनुसार नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परिसर के बाहर भी 2 नम रिचार्ज वेल (व्यास 2 मीटर, गहराई 3 मीटर) एवं 2 नम रिचार्ज पिट (गहराई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 1 मीटर) की स्थापना प्रस्तावित किया गया है।

9. कोयले की मात्रा - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान स्थापित सी-हीटिंग आधारित बोलिंग मिल में प्रति टन सील्ड ब्रीकड्रस के निर्माण हेतु 120 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकाल में तादात उक्त स्थापित सी-हीटिंग फर्नेस में डिजाईन में सुधार किया जाना, ऑक्सीजन एनीलाईजिंग, वेस्ट हिट रेक्यूवरीटर की स्थापना, इन्फ्रारेड, कोयले कीटिंग एवं कोयले इंधनन सिस्टम का चालन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे बोलिंग मिल में प्रति टन सील्ड ब्रीकड्रस के निर्माण हेतु 100 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता होगी।

10. प्रदूषण भार संबंधी जानकारी - स्थापित इन्फ्रारेड फर्नेस एवं बोलिंग मिल से उत्सर्जन की दशा में एवं प्रस्तावित कार्यकाल उपर्युक्त उत्सर्जन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/मुसामता, प्रदूषण के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न होस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में उक्त उत्सर्जन की मात्रा 1.47 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं विमनी से चर्टीकुलेट मेंटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाने से उक्त उत्सर्जन की मात्रा 1.197 टन प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शुद्ध निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 3,304 टन प्रतिवर्ष टॉस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं प्रस्तावित कार्यकाल में वायदा कुल 8,160 टन प्रतिवर्ष टॉस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी टॉस अपशिष्टों का अपघटन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपर्युक्त (1) प्रतिवर्ष प्रस्तावित होने वाले चर्टीकुलेट मेंटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने

वाले टॉस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में वृद्धि होना सम्भावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 38 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता है। समस्त विस्तार उपरोक्त परियोजना हेतु 8 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति भारतीय राज्य विद्युत निगम कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट की एकीकृतकनी इंसोलेशन में स्थापित किया जाएगा।
12. **पुनारोपण संबंधी जानकारी** – हरित परियोजना की विस्तार हेतु कुल क्षेत्रफल को 0.128 हेक्टेयर क्षेत्र में पीछे खींचा किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना में 30 प्रतिशत क्षेत्र में पुनारोपण किया जाना बताया गया है, जिसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत प्रस्तावित है।
13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सख्त विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
200	2%	4.0	Following activities at Government Primary School & Middle School (Shaktopara) Village - Urkura	
			Rain Water Harvesting System	4.00
			Potable Drinking Water Facility	
			Running Water Facility	
			Plantation	

समिति द्वारा उल्लेख्य सर्वसम्झौते से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. आसपास वाले उपयोग करने हेतु सीटों पर आसपास वाले अधिस्ति के अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान में स्थापित एवं समस्त विस्तार की तुलना प्रस्तावित क्षेत्र वाले इकीकृत व्यवस्थाओं को ले-आउट में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए। परिसर की बाह्य प्रस्तावित 2 मग रिफार्स पैर (ब्रडस 2 मीटर, गहराई 3 मीटर) एवं 2 मग रिफार्स सिट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 1 मीटर) की स्थापना करवा स्थापित नुमि का विवरण एवं चर्चा के कुल पर्यावरण की समस्त प्रस्तुत की जाए।
3. स्थापित 8-डीटिंग कनेक्शन में प्रस्तावित स्थापना कर्मी का तकनीकी विवरण समस्त सहित प्रस्तुत की जाए।
4. पर्यावरण विवरण अनुसार स्थल निरीक्षण के उपरोक्त सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. स्वीडिश प्रस्तावक की उपरोक्त सफल पूर्व जानकारी / एसटीएस प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी सार्वजनिक की जाएगी।

सदरनुसार एसईएस, स्वीडिश के प्राग विनांक 14/12/2020 के परिधि में परिशिष्ट प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/01/2021 की जानकारी / एसटीएस प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा वाली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. एसटीएस वाटर उपरोक्त करने हेतु सीटल एसटीएस वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वेबसाइट दिनांक 20/12/2020 तक है।
2. प्रायोजन में स्थापित एवं अगला विस्तार के एहत प्रस्तावित सेन वाटर हावीस्टिंग व्यवस्थाओं को ले-आउट में उभारते हुए प्रस्तुत किया गया है। परिवार के बाहर (1) सामुदायिक भवन, भोजपुरी समुदाय ट्रांसफॉर्म मगर, बाबाभांड, (2) आर्यसभाड़ी केन्द्र सहित मगर, उपजुग, (3) राजकीय हाई स्कूल उरकुग एवं (4) सामुदायिक भवन, लविशमन पीक में प्रस्तावित किया गया है। उद्योग परिवार एवं परिवार के बाहर प्रस्तावित सेन सीटल हावीस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत मरणा (कुल रमधीय की मात्रा प्रस्तावित व्यवस्था उपरोक्त हावीस्टेड जल की मात्रा आदि) प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. स्थापित से-हीटिंग कनेस में प्रस्तावित उन्नयन कार्य का तकनीकी विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार से-हीटिंग कनेस की इन्सुलेशन में सुपर, कोर्सीजल एन्वायरमेंट का उपरोक्त, वेस्ट हीट सिमुलेटर की स्थापना एवं कोल प्रतिद्विष्ट सिस्टम में सुधार किया जाएगा, जिससे कोयले की मात्रा एन टन प्रतिवर्ष से घटकर 800 टन प्रतिवर्ष होगी। उक्त हेतु मरणा प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. स्वच्छ निरीक्षण के उपरोक्त सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही कोल रैफल व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, जो कि पूर्व में प्रस्तुत सीईआर प्रस्ताव से क्लिप्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. उद्योग परिवार एवं परिवार के बाहर प्रस्तावित सेन सीटल हावीस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत मरणा (कुल रमधीय की मात्रा प्रस्तावित व्यवस्था उपरोक्त हावीस्टेड जल की मात्रा आदि) प्रस्तुत किया जाए।
2. स्थापित से-हीटिंग कनेस में प्रस्तावित उन्नयन कार्य उपरोक्त कोयले की मात्रा में तीस कनी होगी इस बाबत विस्तृत मरणा प्रस्तुत की जाए।
3. समिति के सभ्य पूर्व में प्रस्तुत सीईआर प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित कार्य के लिए स्वच्छ निरीक्षण के उपरोक्त सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त लगत पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यापत कोटेशनपत्र) के साथ आगामी आगोष्ठित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार श्रुतित किया जाय।

5. वेस्ट रतिमा बिक कर्ष कने क्वारी एण्ड विन्स विन्नी बिक फाट (प्री - बी दिनेस जामसवाल), राम-रतिमा, लहरील न जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1410)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नाम - एसआईए/ सीपी/ एसआईए/ 173809/2020, दिनांक 27/08/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संश्लिष्ट मिट्टी उत्खनन (मीन खनिज) खदान एन विन्स विन्नी ईट प्रस्तावन इकाई है। खदान राम-रतिमा, लहरील न जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1298/1, 1298/2 एम 1297, कुल क्षेत्रफल - 1.081 हेक्टर है। खदान की आवेदित मीन खनिज उत्खनन क्षमता - 675 टनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईट उत्पादन क्षमता - 6.81,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा लक्षणात्मक सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. राम प्रस्तावक के अश्लिष्ट प्रमाण पत्र की पंजीय प्रती प्रस्तुत की जाय।
2. पूर्ण में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यवेक्षण समिती के अधीकरण (एन.ई.आई.ए.ए), उत्तरीप्रदेश स्वयंसेवा जिला लहरील पर्यवेक्षण समिती के अधीकरण (सी.ई.आई.ए.ए), उत्तरीप्रदेश द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती एवं आवेदित शर्तों के अन्तर्गत की गई पर्यावरणीय की जानकारी कोटेशनपत्र सहित प्रस्तुत की जाय। साथ ही प्रस्तावक की अद्यापत स्थिति की जानकारी कोटेशनपत्र सहित प्रस्तुत की जाय।
3. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की आन्तरिक मात्रा की जानकारी सहित विभाग से प्रामाणिक कथन एवं प्रस्तुत की जाय।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाय।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त लगत पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यापत कोटेशनपत्र) के साथ आगामी माह की आगोष्ठित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तरीप्रदेश से खान दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु श्रुतित किया गया।

(ब) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीनदत्त राजवाड़े, अविभूत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. **झांग पंचायत का अनाथालि प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में झांग पंचायत दलिया का दिनांक 05/03/2010 का अनाथालि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** - काशी क्वीम् इन्व्हायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड ज्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दलिया के द्वारा क्रमांक 2884/खनिज/खनि.2/2020 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक/685/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 22/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरुक्त है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक/685/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 22/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जद, अस्पताल, स्कूल, गुफा, बंध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **सीज का विवरण** - गुफा एवं सीज की विवरण जयसवाल के नाम पर है। सीज क्षेत्र 10 वर्षी अर्थात् दिनांक 22/07/2010 से 21/07/2020 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् सीज क्षेत्र में 20 वर्षों की दिनांक 22/07/2020 से 21/07/2040 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
6. **विस्टीमट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2018 की विस्टीमट सर्वे रिपोर्ट (Detailed Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनाथालि प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनमन्त्रालयिकारी, दक्षिण संरगुजा वनमंडल, अम्बिकापुर के द्वारा क्रमांक/वा.वि/10/1475 अम्बिकापुर, दिनांक 11/05/2019 द्वारा जारी अनाथालि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **सड़कपूर्ण सड़कनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी घन-दलिया 0.7 कि.मी., स्कूल घन-दलिया 0.85 कि.मी एवं अस्पताल विशालपुर 5.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.75 कि.मी. एवं राजमार्ग 17.15 कि.मी. दूर है। रेलवे लाई 6.1 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अनाकारण, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिगरी पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतीकित किया है।
10. **खनन शिफ्ट एवं खनन का विवरण** - जिपेसॉजिकल रिजर्व 15.863 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 7.136 घनमीटर एवं रिक्लरेंबल रिजर्व 8.825 घनमीटर है। सीज क्षेत्र के कर्षी और 1 मीटर का क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर है। औषन वास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर है। डेप की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। प्रस्तावित सीज क्षेत्र के भीतर ईट निर्माण हेतु किचन चिमनी तथा किचन स्थित खेमा



किसका क्षेत्रफल 0.2 हेक्टर है। प्रस्तावित विभागों की ऊंचाई 22 मीटर है। कोयले की मात्रा 87.5 टन प्रतिवर्ष है। ईंधन निर्माण हेतु मिट्टी के मात्र 30 प्रतिशत परतों ईंधन का उपयोग किया जाता है। खदान की अनुमानित आयु 20 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का प्रियुक्ताप किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	मिट्टी उत्पादन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (मग)
प्रथम वर्ष	875	6,75,000
द्वितीय वर्ष	875	6,75,000
तृतीय वर्ष	875	6,75,000
चतुर्थ वर्ष	875	6,75,000
पंचम वर्ष	875	6,75,000
छठवे वर्ष	875	6,75,000
सातवें वर्ष	875	6,75,000
आठवें वर्ष	875	6,75,000
नौवें वर्ष	875	6,75,000
दसवें वर्ष	875	6,75,000

नोट: तालिका में उदाहरण के भाग को जहाँ को सार्वजनिक किया गया है।

11. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.34 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में पंचायत से सहमति लेई गई है।
12. बृक्षारोपण कार्य — सीज क्षेत्र की सीमा में जहाँ जौर 1 मीटर की मिट्टी में 200 मग बृक्षारोपण किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
  - i. पूर्व में मिट्टी खदान अमरा अनांक 1298/1, 1298/2 एवं 1297 क्षेत्रफल 1,081 हेक्टर पर अनांक-1077.75 घनमीटर (30,08,081 मग) प्रतिवर्ष वायु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात नियंत्रण अधिकरण, जिला-सुरजपुर द्वारा दिनांक 18/12/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
  - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
  - iii. निर्धारित बर्तानुसार बृक्षारोपण नहीं किया गया है।
  - iv. मासोत्पन्न बालेबटर (खनिज तेल) जिला-सुरजपुर के आपन अनांक 838/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 22/09/2020 के अनुसार विगत वर्ष में किसी भी उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वार्षिक उत्पादन (मग)
2017	4,48,000
2018	8,00,000
2019	8,00,000

12. वित्त वर्षों में किये गये वित्तीय व्ययक्रम का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय मामलों (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को संपन्न विस्तार से कार्य उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.84	2%	6.58	Following activities at Government Primary School, Village-Catima	
			Rain Water Harvesting System	0.77
			Plantation with fencing	0.10
			Total	0.87

समिति द्वारा संतुष्टमय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को वित्त वर्षों में वर्षवार किए गए व्ययक्रम की वार्षिक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित कर का प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी. कारीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/12/2020 के परिच्छेप में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / वस्तुवैज दिनांक 08/01/2021 प्रस्तुत की गई है।

(स) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा नती, उपरोक्त जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर से ज्ञापन क्रमांक 888/खनिज/2020 सुरजपुर दिनांक 23/11/2020 के अनुसार वित्त वर्षों में किये गये व्ययक्रम का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	वार्षिक वित्तीय व्ययक्रम (घनमीटर)
2017	800
2018	1,200
2019	1,600

2. माननीय एन.जी.टी., डिग्रीजल वेज, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च प्राथमिक शिक्षा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (औद्योगिक एवं परिवहन म. 188-डीएफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-



- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. जलसिंचन कालेक्टर (समिति बाबा), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक / 485 / समिति / 2020 सुरजपुर, दिनांक 22 / 09 / 2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है। आवेदित खदान (घान-दलिया) का रुकवा 1.091 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर था उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गई।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से आवेदन - मेसर्स दलिया डिक अर्ब नर्स अर्बले एण्ड किलस विमर्श डिक प्रांट (प्री.- श्री दिनेश जयसवाल) की घान-दलिया, तहसील व जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक 1298 / 1, 1298 / 2 एवं 1297 में सिद्ध मिट्टी (नीम समिति) खदान, कुल क्षेत्रफल - 1.091 हेक्टेयर, क्षमता - 678 पनमीटर (ईट उत्पादन क्षमता - 8.61 500 नगा) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-07 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

सबसे पहले पर्यावरण सहायता विभागत्य अधिकार्य (एन.ई.आई.ए.ए.) जलसिंचन को सचानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री आनंद कुमार अग्रवाल (बनाडोगरी जार्डिन स्टोन क्वारी), घान-बनाडोगरी, तहसील-बरवाडी, जिला-बिलासपुर (समिवालय का नक्शे क्रमांक 3388)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 14/08/2020, दिनांक 14 / 08 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित गुना गज्ज (नीम समिति) खदान है। खदान घान-बनाडोगरी, तहसील-बरवाडी, जिला-बिलासपुर सिद्ध करण क्रमांक 1248 / 1.5 एवं 1248 / 1.3.5.14, कुल क्षेत्रफल 0.81 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-5,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02 / 09 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नक्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा संतुलन सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वारंवारिक पूर्ण संरक्षी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनुमति प्रमाण पत्र की सहायता प्रति प्रस्तुत किया जाए।



2. पूर्व में जारी पब्लिसिटी रवीकृति में उल्लिखित शर्तों के पालन में जी. एन. कार्पोरेशन की जानकारी कोटीघामस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पब्लिसिटी की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटीघामस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में परिवार किए गए इलाक़ान की वार्षिक मात्र की जानकारी (द्वितीय वर्ष) स्थानिक विभाग से प्रमाणित करत कर प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, भारतीय प्रेम और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जी. एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. कोटीघामस प्रसन्नक की उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / प्रस्ताव (अद्यतन कोटीघामस) के साथ अगामी मात्र की उल्लिखित बैठक में प्रस्तुतीकरण विधि जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सदामुखार पब्लिसिटी प्रसन्नक की एसाई.ए.सी. प्रतीक के सामन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 340वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज अहवाल, अधिवृत्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मन्ती, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. इम संभावत का अनापदिष्ट प्रमाण पत्र — इलाक़ान के संबंध में इम संभावत अनापदिष्ट का दिनांक 20/10/2009 का अनापदिष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. इलाक़ान योजना — जारी प्लान प्लानिंग विध संबंधी कलेक्टर प्लान एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संभालक (स्थानिक प्रशा.) जिला-बिलासपुर द्वारा अनुमोदित है।
3. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (स्थानिक प्रशा.) जिला-बिलासपुर के इलाक़ान क्रमांक 811/ख.सि./म.क./2020 बिलासपुर, दिनांक 17/07/2020 के अनुसार अनापदिष्ट खदान से 800 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (स्थानिक प्रशा.) जिला-बिलासपुर के इलाक़ान क्रमांक 811/ख.सि./म.क./2020 बिलासपुर, दिनांक 17/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरुपट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एन.के.ए. एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण — लीज श्री जगद कुमार अहवाल के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 20/07/2010 से 21/07/2020 तक है। एतदनुसार लीज क्षेत्र में 20 वर्षों की दिनांक 22/07/2020 से 21/07/2040 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
6. नू-स्वामित्व — नू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।



8. नमूना विभाग का अनुमति प्राप्त प्रमाण पत्र - कार्यालय वनस्पतः/वन्यजीविकारी, नरवाही वनस्पतः/वन्यजीविकारी के द्वारा अनुमति/डी.एन./एन./54 पंजीकरण विभाग 01/01/2010 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।
9. महावृक्ष संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी घाट-बनवाही 3 कि.मी., स्थूल घाट-बनवाही 2 कि.मी. एवं अस्थूल नरवाही 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है। सीमा लंबी 15 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव-वैविध्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली प्रोटेक्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबद्ध किया है।
11. खनन संघदा एवं खनन का विवरण - माइनिंग प्लान अनुसार विद्यमान/विद्यमान विजरी 1,30,000 टन एवं माइनिंग विजरी 50,439 टन है। खनन में 2557 टन उत्पादन किया गया है। सीमा माइनिंग विजरी 42,581 टन सीमा की 1.5 मीटर गहरी सीमा गहरी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर है। खनन कार्य के दौरान/प्राथमिक विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.200 घनमीटर एवं मोटाई 2.5 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं मोटाई 1.5 मीटर है। खदान की लंबाई अनु 10 मी है। खनन क्षेत्र में खनन स्थिति नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैव हैमर से डिजिटल एवं स्टाटिस्टिक किया जाता है। खदान में अनु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का उपचार किया जाता है। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नांकित है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	1,350	1.5	2,000	9000
द्वितीय वर्ष	1,350	1.5	2,000	8,000
तृतीय वर्ष	560	1.5	840	2,100
	770	1.5	1,155	2,800
चतुर्थ वर्ष	1,350	1.5	2,000	8,000
पंचम वर्ष	1,350	1.5	2,000	8,000

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	400	1.5	675	1,687
	880	1.5	1,325	3,313
द्वितीय वर्ष	1,350	1.5	2,000	8,000
तृतीय वर्ष	620	1.5	900	2,250
	710	1.5	1,070	2,675
चौथे वर्ष	1,350	1.5	2,000	8,000
पंचम वर्ष	1,350	1.5	2,000	8,000

12. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति घास पघावा के माध्यम से की जाएगी। इस बावजूद घास पघावा से सतही जल लट्टी।
13. **दूधारोपम कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में धारी जोर 7.5 मीटर की गहराई में 1000 मग दूधारोपम किया जाएगा।
14. पर्यावरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के धारी जोर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग में उत्खनन किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 6 मग के भीतर पुनःराज कर दूधारोपम का कार्य किया जाएगा।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीम कोल मइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु सार्वक पर्यावरणीय सर्तें जारी की गई हैं। सर्तें क्रमांक 3113(1) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त भाग्य सर्तों के अनुसार नईम लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षा जेन में दूधारोपम किया जाना आवश्यक है।

16. **पूरु में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- पूरु में कुल पचस छापन खसरा क्रमांक 1248/1, 1248/3, 1249/1, 1249/2, 1249/3 एवं 1249/14, क्षेत्रफल 0.81 हेक्टर, क्षमता-5000 टन प्रतिघंटे हेतु जिला सार्वक पर्यावरण संरक्षण निर्धारण अधिकरण, जिला-बिलासपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 01/10/2016 से दिनांक 21/07/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- पूरु में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित सर्तानुसार दूधारोपम नहीं किया गया है।
- पर्यावरण कलेक्टर (जिला सार्वक), जिला-बिलासपुर के छापन क्रमांक 810/स.सि./म.क./2020 बिलासपुर, दिनांक 17/07/2020 के अनुसार विगत सर्तों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

दिनांक	संवत्सिक उत्खनन (घनमीटर)
01/07/2016 से 31/12/2016	67
01/01/2017 से 30/06/2017	286
01/07/2017 से 31/12/2017	234
01/01/2018 से 30/06/2018	313
01/07/2018 से 31/12/2018	218
01/01/2019 से 30/06/2019	658



01/07/2013 से 31/12/2013	352
01/01/2014 से 30/06/2014	679
01/07/2014 से 31/12/2014	653
01/01/2015 से 30/06/2015	1,063
01/07/2015 से 31/12/2015	310
01/01/2016 से 30/06/2016	374
01/07/2016 से 31/12/2016	125
01/01/2017 से 30/06/2017	649
01/07/2017 से 31/12/2017	258
01/01/2018 से 30/06/2018	633
01/07/2018 से 31/12/2018	186
01/01/2019 से 30/06/2019	469
01/07/2019 से 31/12/2019	-
01/01/2020 से 30/06/2020 तक	219

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार से क्या उपायों निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Chanadongri	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Plantation with fencing	0.20
			Total	0.50

समिति द्वारा उक्तसमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. परियोजना प्रस्तावक को नाम पर कमी हुई 2.5 मीटर चौड़ा ज़ोन को कुछ भागों में विभाजित करे अखंडता का विफल एवं इस क्षेत्र को पर्यावरणीय जांचों (Remedial Measures) का सम्बन्ध कमी हुए सार्वजनिक अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. अनुमोदित कटरी प्लान का जांचक अनांक एवं दिनांक सहित अनुमोदन पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. जीएच सीमा से निकटतम उन क्षेत्र को कार्यात्मक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वध विभाग से जारी अनाधिकृत प्रस्ताव पत्र को अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. जल की आयुर्वि हेतु घन पंपागत से सहमति प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
5. भू-सामग्रिय संबंधी दरखास्त प्रस्तुत किया जाये।

6. स्वतः निर्दिष्टान के उपरोक्त सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत ब्यौता प्रस्तुत किया जाये।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण योजनापत्री / ब्यौतापत्र प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जायेगी।

समानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, फ्लॉरिंगड के द्वारा दिनांक 07/11/2020 को परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जालकरी / ब्यौतापत्र दिनांक 08/01/2021 प्रस्तुत की गई है।

(स) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021

समिति द्वारा काली, भरतपुर जलकरी का आवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. सर्वोचित काली स्लीम अंतिम रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 7.5 मीटर सेप्टी जॉन में 1.5 मीटर की गहराई में 297 कर्बोनेटर क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। निकाले गये कचरे मिट्टी को 7.5 मीटर (सर्वुन बालगुड़ी) क्षेत्र में (2,240.5 घनमीटर) अलकन मुक्षारोपण किया जाएगा एवं क्षेत्र को कार्य की समीपस्थ निजी भूमि पर स्थान प्रतिक्रमों से अनुमति उपरोक्त भद्राहित किया जायेगा।
2. सर्वोचित काली स्लीम इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेलमेंट प्लान एवं काली अंतिम प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एक संशुद्ध (खप), जिला-बिलासपुर के जलन क्रमांक 1001/रानि/साब/उसी/2020 बिलासपुर दिनांक 25/12/2020 द्वारा अनुमोदित है। सर्वोचित काली स्लीम अनुसार जियोसॉडियमल रिजर्व 1,32,218 टन गार्डेनबल रिजर्व 36,040 टन एवं रिकॉम्बल रिजर्व 34,238 टन है। कचरे मिट्टी की मात्रा 2,868 घनमीटर एवं सेटाई 1.5 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है।
3. वन विभाग कर अनाश्रित प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलधिकारी, गन्वाही वनमण्डल पेशवारीय के द्वारा क्रमांक/साब.उसी/4304/पेशवारीय, दिनांक 28/10/2010 से जारी अनाश्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।
4. जल की आपूर्ति हेतु दिनांक 21/10/2020 का वन पेशवारीय व अनाश्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. नू-स्वास्थ्य - वसाय क्रमांक 1248/1, 1249/1, 1249/3, 1249/5 की वन रिजर्व एवं वसाय क्रमांक 1248/5, 1249/14 की वन पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वतः निर्दिष्टान के उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत ब्यौता प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

25	2%	0.50	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Chanadongri	
			Rain Water Harvesting System	0.97
			Plantation with fencing	0.10
			Total	0.97

f. माननीय एन.जी.डी., जियोप्लान बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च मास्टेय विच्छेद बनाया संस्कार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188-जीए 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय सलेक्टर (वन आखा), जिला-बिलासपुर की डायन क्रमांक 811/13 दि./न.अ./2020 बिलासपुर, दिनांक 17/07/2020 की अनुसार आवेदन खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरय है। आवेदन खदान (धाम-धनाडोगरी) का सतह 0.81 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से आवेदन - मेसर्स श्री आनंद कुमार उपग्रवाल (धामडोगरी आईन स्टोन कारी) की धाम-धनाडोगरी ताहसील-गलाही, जिला-बिलासपुर की खाना क्रमांक 1248/1.9 एवं 1249/1, 2, 3 एवं 14 में स्थित दूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.81 हेक्टेयर, क्षमता - 3,000 टन प्रतिदिन हेतु परिसिफ्ट-08 में पारित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

उक्त कार पर्यावरण सन्तुल्य निर्धारण प्रक्रियाएं (एनआईएए), भारतीय नदी सन्तुलन सुचित किया जाए।

11. मेसर्स धमोरी डिकस आई माईन (प्री- श्री धनेश धाम देशमुख), धाम-धमोरी, ताहसील व जिला-सुर (सचिवालय का नसीब क्रमांक 828)

ऑनलाईन आवेदन - उपग्रवाल मन्त्र - एनआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 24679/2018, दिनांक 13/04/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कठिपों होने से अपन दिनांक 08/05/2019 की द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पारित जानकारी दिनांक 02/08/2019 की ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव कर विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (सीम खनिज) खदान है। खदान धारा-बोलीरी, तहसील व जिला - दुर्ग जिला खण्ड क्रमांक 1117 से 1119, 1122 से 1125 एवं 1136 से 1141, 1148/1 एवं 1150, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (सीम खनिज) क्षमता-800 टन/मीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रस्ताव पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीम खनिज मिट्टी उत्खनन खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं-

1. धारा बंबासत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के श्रेष्ठ में धारा बंबासत बोलीरी का दिनांक 28/06/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - बोलीरी जाम प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अखिलरी, जिला-बालासोर के ज्ञापन क्रमांक 777/खनिज/खनिज/2018, बालीय दिनांक 28/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 40/ए/खनिज.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 05/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर वर्ष 2013 के पूर्व 01 खनि विधायक स्वीकृत है, जिसका क्षेत्रफल 1.15 हेक्टर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 40/बी/खनिज.02/खनिज/2018 दुर्ग, दिनांक 05/04/2018 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जमा खदान की 200 मीटर की परिधि में 50 मीटर से अधिक गहराई तक 300 मीटर में स्थित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त मंदिर, मठ, आश्रम, स्कूल, कुल, बांध, एन.के.ए. एवं अन्य स्वीकृत स्वीकृत यदि अतिरिक्त क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई, संबंधी विवरण - एल.ओ.आई, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 193/खनिज.02/ई-ओ.आई/2018 दुर्ग, दिनांक 28/04/2018 द्वारा जारी की गई जिसकी कियता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई की कियता समाप्त हो गई है।
6. वन विभाजन का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षक/अधीक्षक, दुर्ग वनसंरक्षक, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/वा.वि./2019/3236 दुर्ग, दिनांक 28/07/2019 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र से लगभग 40 कि.मी. की दूरी है।

बैतकों का विवरण -

(अ) सभिति की 201वीं बैठक दिनांक 22/08/2018

सभिति द्वारा सरकार की नसीब एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-



1. ऑर्डर-2 की बिन्दु क्रमांक 2 में निर्दिष्ट अधि अधिनियम स्टॉन माईन क्लब - 800 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में निर्दिष्ट उल्लेखन का उल्लेख किया गया है। अतः सिद्धी स्पष्ट की जाए।
2. एल.ओ.आई. क्लब का वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एल.ओ.आई. क्लब/समाज के द्वारा दिनांक 31/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019

प्रस्तुतीकरण हेतु भी धर्मेश राम देवगुज जोषणाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा समस्त प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धी हुई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की क्लब वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है। अतः आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समस्त दिये जाने के लिए अनुरोध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को स्वीकार करती हुए समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अवगत फोटोवास्तु) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार एल.ओ.आई. क्लब/समाज के द्वारा दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (स) समिति की 297वीं बैठक दिनांक 11/10/2019

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक की तब दिनांक 11/10/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. क्लब वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एल.ओ.आई. क्लब/समाज के द्वारा दिनांक 07/11/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (द) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक की तब दिनांक 20/11/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. क्लब वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आर्गेनाइज बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छातीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 09/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/12/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई) किया पृष्टि नहीं होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आर्गेनाइज बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आर्गेनाइज बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छातीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ई) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई) किया पृष्टि नहीं होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छातीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 09/06/2020 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक संचित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छातीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(उ) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 04/07/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई) किया पृष्टि नहीं होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एल.ओ.आई., छत्तीसगढ़ की जमान दिनांक 30/09/2020 को परिषद में परिषदात्मक प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 23/10/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(क) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. एल.ओ.आई. का विवरण — परिषदात्मक प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वेबसाइट सम्पन्न हो गई है। इस संबंध में परिषदात्मक प्रस्तावक द्वारा अर्जित प्रकरण क्रमांक एक 4-27/2019/2012 विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपराधक, सीनिकी तथा खनिकन, छत्तीसगढ़ की जमान दिनांक 15/07/2020 को जारी पारित आवेदों की प्रती प्रस्तुत की गई है। उक्त में विवेचना के परिषद में अर्जितकर्ता की धनेश राम देशमुख आलय भा. की सुरक्षा विद् देशमुख निवासी ग्राम-धनेशी, तहसील व जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत अर्जित आवेदन दिनांक 03/07/2018 को मान्य कारी सुबे प्रकरण करेक्टर, जिला दुर्ग को प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ सीमा खनिक नियम, 2015 पञ्जाबोहित के नियम 42(3) के प्राधान्यागतगत दून सीमा के अन्तर्गत निर्यातानुसार दिवार कर प्रकरण का निराकरण किया जाय।

समिति द्वारा उत्समम सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिषदात्मक प्रस्तावक को आगामी माह के आवेदित बैठक में पूर्ण में पाठी गई खनिक जानकारी एवं सम्पन्न सुरांगत जानकारी / दस्तावेज खनिक प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

सादानुसार परिषदात्मक प्रस्तावक को एल.ओ.आई., छत्तीसगढ़ की जमान दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ए) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की धनेशराम देशमुख, प्रोफेसर्डन उपस्थिता हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. परिषदात्मक प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रस्तुत सीमा — 02 में खुदिया उत्पाद सुना कथर अर्जित हो गया है। उक्त में आवेदन निदती उत्समम का है। उक्त प्रकरण पर अदिम कारेक्टरी की निदती उत्समम एवं ईट निर्माण इकाई का मान कथ किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

2. महाकपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवेदो ग्राम-धनेशी 1.5 कि.मी. एवं प्रस्तुत धनेशी 1.5 कि.मी. एवं अन्तर्गत आवेदो 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। नदी 120 मीटर दूर है।

3. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परिषदात्मक प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्देशीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्तर्गत, अन्तर्गत प्रमुख निवासी बोर्ड द्वारा घोषित खनिकनी जैवविविधता क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होता घोषित किया है।

4. खनन राफ्ट एवं खनन का विवरण - जिबोलेजिकल रिजर्व 4,730 घनमीटर एवं माइनेकल रिजर्व 2,778 घनमीटर है। सीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिक्रियित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,000 घनमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल डिडि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। प्रस्तावित सीज क्षेत्र की सीजर ईट निर्माण हेतु किचन चिमनी तथा चिमन स्थित रहेगा, जिसका क्षेत्रफल 0.14 हेक्टेयर है। प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 3 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धांत किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	मिट्टी (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (नव)
प्रथम वर्ष	900	8,00,000
द्वितीय वर्ष	900	8,00,000
तृतीय वर्ष	900	8,00,000

5. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी।
6. वृक्षारोपण कार्य - सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नव वृक्षारोपण किया जाएगा।
7. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से बड़ी स्तरों पर निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Govt Primary & Middle School, Village-Changori	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Plantation	0.05
			<b>Total</b>	<b>0.80</b>

8. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जैविकीय पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबद्ध किया है।



8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
10. 500 मीटर की चरिणि में अपने वाले खदानों की जानकारी कबल कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 40/ए/खनिजि.02/खनिज/2018 दुर्ग, दिनांक 05/04/2018 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि अद्यतन स्थिति में 500 मीटर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
11. ईट निर्माण हेतु आवश्यक खोदने एवं ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ प्रस्तावित प्लॉट्ट ईश की मात्रा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. खडनिग विभाग से कलेक्टर द्वारा 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी, पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किया जाए।
2. ईट निर्माण हेतु आवश्यक खोदने एवं ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ प्रस्तावित प्लॉट्ट ईश की मात्रा के संबंध में सगना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. परिशीलना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एन.ई.ए.सी. कार्यालय के बैठक दिनांक 10/12/2020 के परिणाम से परिशीलना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/01/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(९) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा मन्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 3201/ए/खनिजि.02/खनिज/2020 दुर्ग, दिनांक 10/12/2020 के अनुसार अवस्थित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1.15 हेक्टेयर है।
2. किस्त चिननी की उपाई 30 मीटर है। 4 लाख ईट निर्माण हेतु 22 टन कीचड़ा की आवश्यकता होगी। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 30 अतिरिक्त प्लॉट्ट ईश का उपयोग किया जाएगा। उक्त हेतु पत्र प्रस्तुत की गई है।
3. माननीय एन.जी.टी. डिप्लिन्ट वेव नई दिल्ली द्वारा क्लस्टर्ड पारमेट्रिक्स विस्तृत भारत सरकार, परीक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (जोडिजिस्ट रजिस्ट्रेशन नं. 100 ऑफ 2018 एवं अन्य) से दिनांक 13/09/2018 को मालि आवेदन से मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग की जापत क्रमांक 3201/ए/खनिज/02/खनिज/2020 दुर्ग, दिनांक 30/12/2020 को अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर की नीलम अवस्थित अन्व 1 खदान, क्षेत्रफल 1.15 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-चंगोरी) का रकबा 2 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-चंगोरी) की मिलाजब कुल रकबा 3.15 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में शीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की करी पाई।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स चंगोरी ड्रिन्स लॉड माईन्स (पे- सी एनएस राम देवगुड) की ग्राम-चंगोरी, तहसील व जिला-दुर्ग के खला क्रमांक 1117 से 1118, 1122 से 1128 एवं 1135 से 1141, 1148/1 एवं 1150 में स्थित मिट्टी (पीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 2 हेक्टेयर, क्षमता - 500 ममीटर (डिट चलावन क्षमता - 9,00,000 टन) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-09 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाचार निदर्शन प्रतिकल्प (एनईआईएए), खलीसगढ़ की तयानुसार सुविधा किया जाए।

12. मेसर्स सी प्रसाद कार्बोरिया (कलकत्ता लाईन स्टोन माईन्स), ग्राम-कलकत्ता, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (साधियालय का नरती क्रमांक 1280)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एएलआईए/ सीजी/ एएलआईए/ 148978/2020 दिनांक 14/03/2020। परिसीजन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में क्विरी होने से जापत दिनांक 23/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिसीजन प्रस्तावक द्वारा पेशित जम्मावरी दिनांक 28/06/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह कुई से संचालित चूना पत्थर (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कलकत्ता, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 102/2.6 एवं 108/2.4, कुल क्षेत्रफल-2.807 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित क्षेत्रफल क्षमता-12.7+2.4 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नसी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम पंचायत का अनुमति अन्व पत्र की पटनीय (बैठक दिनांक सहित) प्रति प्रस्तुत किटे जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के नीलम अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के कुई की भी खदानों का वल्लेख है) संबंधी जानकारी जांचक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।



3. पूर्व में आवेदित स्थल को जहाँ पर्यावरणीय सौकरिता की प्रति एवं अधिरोपित हार्ड को प्लान में की गई कार्यवाही की जानकारी भोटीदास सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पृथारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी भोटीदास सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किन्तु नए परखनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. माया सरकार पर्यावरण एवं जीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जो एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित वास्तव पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन भोटीदास) के साथ जगानी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सदामुसार परियोजना प्रस्तावक को एकईदती, जलोमनद के द्वारा दिनांक 27/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020

अनुतीकरण हेतु भी प्रस्ताव कोकरिया, प्रोफाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. पान बंधावत का अनापति प्रमाण पत्र — परखनन के संबंध में इस बंधावत बन्धेपुर का दिनांक 08/11/2008 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परखनन योजना — जहाँ पान विद्य क्वारी मलोजर प्लान एवं इन्हापरमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एक संयोजक (सुनिप्रस), जिला-राजपुर के द्वारा जमांक 3/खलि/जीन-8/2018/2022, राजपुर दिनांक 29/12/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — जहाँ जम्हेक्टर (सुनि प्रस), जिला-राजनादगाव के द्वारा जमांक/883/खलि 03/2020 राजनादगाव दिनांक 27/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की सूची लिया है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — जहाँ जम्हेक्टर (सुनि प्रस), जिला-राजनादगाव के द्वारा जमांक/883/खलि 03/2020 राजनादगाव दिनांक 27/05/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जहाँ खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मीटर नर्सिज, पदपथ, आस्पात, कुल, पुन, बांध, पनीकट एवं जल संपूर्ण जमीन अधिधीत क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. जीज का विवरण — जीज पूर्व में बीमरी परखनन अद्यतन के साथ पर जी जीज जीज का हस्तांतरण भी प्रस्ताव कोकरिया के नाम पर दिनांक 20/02/2014 की किया गया है। जीज जीज 08 वर्षों अवधि दिनांक 25/04/2012 से 27/04/2017 तक की अवधि हेतु थी। सत्यवत् जीज की विगत की आवधि वृद्धि की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

- 6. भूमि स्वाभिसल - भूमि की विवरण जिन के नाम पर है। उलखनन हेतु सहमति पर प्रस्तुत किया गया है।
- 7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- 8. वन विभाग का अनाथित प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलविभागी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदपुरा के द्वारा अनाथ/ना.वि./न.क. 25/1775 खैरागढ़ दिनांक 08/08/2020 से जारी अनाथित प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.9 किमी. की दूरी पर है।
- 9. महात्तपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवसी बाग-कलकत्ता 0.7 किमी, स्कूल प्राथ-बागकत्ता एवं शासकीय अस्पताल 1.2 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31.2 किमी. एवं राजमार्ग 2.87 किमी. दूर है।
- 10. पारिस्थितिकीय/जैवविकिरण संवेदनशील क्षेत्र -परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अनाथालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविकिरण क्षेत्र स्थित नहीं सीमा अतिरिक्त किया है।
- 11. खनन संभदा एवं खनन का विवरण - क्रियोलॉजिकल रिजर्व 3,18,573 टन एवं माइनेबल रिजर्व 1,58,700 टन है। औषण कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उलखनन किया जाता है। उलखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सम्भविता आयु 15 वर्ष है। जैक ड्रम से ड्रिलिंग एवं ब्लोस ब्लस्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का प्रिस्फरव किया जाता है। सर्वेयर प्रस्तावित उलखनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उलखनन ROM (टन)
प्रथम	850	1.5	1,275	3,187
द्वितीय	1,450	1.8	2,175	5,437
तृतीय	2,150	1.5	3,225	8,092
चतुर्थ	2,780	1.5	4,140	10,365
पंचम	3,380	0.8	5,085	12,712

नोट: तालिका में उलखनन की गहराई की ऊंचाई को सम्भविता के रूप में लिया गया है।

- 12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति दूरव जल से वाध्यन से की जाती है।
- 13. प्रदूषण नियंत्रण कार्य - सीमा क्षेत्र की सीमा में बाहरी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में प्रदूषण नियंत्रण किया जाएगा।
- 14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में पूर्ण पथक खदान खसत क्रमांक 102/2.8 एवं 108/2.4, कुल क्षेत्रफल - 0.007 हेक्टेयर, क्षमता - 12,712.5 टन क्षतिपूर्ति हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघत निर्धारण अधिनियम, जिला-



राजसंघर्षण द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। का सीईएल दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीईएल के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार मुआवजा नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (श्रीमि काका), जिला- राजसंघर्षण के द्वारा जमांक/ 072/श.सि. 03/2020 राजसंघर्षण दिनांक 03/08/2020 द्वारा निर्गत शर्तों में किये गये कार्रवाई की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन
2007-08	10
2008-09	248
2009-10	248
2010-11	480
2011-12	410
2012-13	0
2013-14	80
2014-15	230
2015-16	100
2016-17	3080
2017-18	5220
2018-19	6835
2019-20	10380

- कीर्षित पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - भारत सरकार, पर्यावरण एवं जल संचयन परिषद के संज्ञान में आई दिनांक 01/08/2018 की अनुसार कीर्षित (Corporate Environment Responsibility) हेतु शर्तों के समझ विस्तार से गयी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Govt Primary School Village - Kalkasa	
			Ren Water Harvesting System	0.30
			Potable Drinking Water	0.20
			Plantation	0.20
<b>Total</b>			<b>0.70</b>	

- शर्तों के पालन में निम्न कार्य आते-

- a. अनुमोदित माईनिंग प्लान में खदान की चानी और गैर उत्खनन क्षेत्र 4.5 मीटर का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना की गई है। जबकि खदान की चानी और 1.5 मीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाना आवश्यक है। इससे माईनिंग रिजर्व की मात्रा में कमी आएगी। अतः माईनिंग प्लान में संशोधन किया जाना आवश्यक है।
- b. खदान की चानी और 1.5 मीटर क्षेत्र को सुरक्षित चानी में उल्लेखन किया गया है।
- aa. माईनिंग प्लान में 21 मीटर चूड़वाई तक उत्खनन किया जाना है, परंतु खदान की एक ओर खदान की अधिकतम चौड़ाई 34 मीटर होने की परिस्थिति में खदान की चानी और 1.5 मीटर क्षेत्र छोड़े जाने पर विप्लानुसार सुरक्षा की उपायों को अपनाते हुये उत्खनन किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. सू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
3. सीज की रचना जल्द से जल्द की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. जंगल की अनुमति दस्तावेज तैयार हो किया जाना बताया गया है। सेक्टरल वाररन्ट सीज अधीनस्थ द्वारा जारी माईनसाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल जंगल क्रिटिकल जंगल सेज जोन को अंतर्गत आने बाधित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वाररन्ट वलर वाररन्ट करने हेतु सेक्टरल वाररन्ट वलर अधीनस्थ से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. स्वामित्व निरीक्षण की समस्त सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) का विवरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने समस्त आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एच.ई.ए.सी. प्रतीनगर के द्वारा दिनांक 30/09/2020 एवं 02/01/2021 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/01/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 264वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा नतीजा प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. संशोधित उत्खनन योजना - भौतिकदृष्टि जंगल प्लान विधु इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान एच.ई.सी. प्रतीनगर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उपरोक्त (ख.प्र.) संशोधित, भौतिक तथा खनिज, नया राकपुर अदालत नगर के द्वारा क्रमांक 4328 / खनिज / वा.प.अनुमोदन / न.ज.25 / 2019/20) नया राकपुर दिनांक 27/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

2. मू-स्वामित्व - भूमि करार क्रमांक 102/2,8 एवं 102/2 की मजदूरी करार क्रमांक 102/4 की प्रमुदास के नाम पर है। उल्लेखन हेतु समिति उस प्रस्तुत किया गया है।
3. लीज की वेधता अथवा वृद्धि की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार लीज बीच 20 वर्षों की दिनांक 28/04/2017 से 27/04/2037 तक है।
4. प्रधान ने विभिन्न क्रियाकलापों (जल सिंचन, वृक्षांशरण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निषिद्ध खदानों से एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति समीपस्थ दूध वेल के माध्यम से की जाएगी। अतः सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड अथॉरिटी से अनुमति की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की बरती में 100 जग वृक्षांशण किया जाएगा।
6. भारतीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल केब, नई दिल्ली द्वारा जारीयत चर्चक विरुद्ध भारत सरकार जांचक, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अधिकृतन सुदिकेसन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारीयत आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance
7. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय मानक (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विलान से चर्चा करारत निम्नानुसार विलान प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32	2%	0.64	Following activities at Government Primary School, Village- Kalkasa	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Running water Facility for Toilets	0.20
			Plantation with fencing	0.14
			Total	0.64

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. पर्यावरण कलेक्टर (सबि काला), जिला-राजनांदगांव के आदेश क्रमांक/883/सबि 03/2020 राजनांदगांव दिनांक 27/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर की सीमा अधिकांश अन्य खदानों की सीमा निकल है। आवेदित खदान (डाम-कलकल) का रकबा 0.607 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में सीक्रेट/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की नहीं रही।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेकर्स श्री प्रशांत कांठरिया (कलकला लाईन स्टोन माईन) की डाम-कलकल, लहसील-बेरागढ़, जिला-राजनांदगांव की लंबाई क्रमांक 102/2.8 एवं 106/2.4 में विस्तृत दूना खदान (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.607 हेक्टेयर, अंश - 12.712 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिद्ध-10 में वर्णित शर्तों से अंशिक पर्यावरणीय सीक्रेटि विद् जाने की अनुमति की गई।

संलग्न स्तर पर्यावरण सम्बंधित निर्धारित दायित्व (एच.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसाहक को तदनुसार भुविता किया जाए।

**पर्यावरण आवेदन क्रमांक-4** अथवा माहौल की अनुमति की अन्य विषय।

1. मेकर्स श्रीमती प्रतिभा कटरे (बरेला रोड माईन, डाम-बरेला, लहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर), सुपेला, मिलाई, जिला-दुम (सबिवालक का नस्ती क्रमांक 1423)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एचआईए/सीडी/एचआईए/178818/2020, दिनांक 18/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (ग्रीन खनिज) है। यह खदान डाम-बरेला, लहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर स्थित खदान क्रमांक 021/11, कुल क्षेत्रफल - 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन खान्डी नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 31,038.5 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्सामक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपरस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण्डा 25 मीटर का दिख बनाकर, वर्तमान में रेत तट के लेवल्स (Levels) लेजर किंग गैज में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाएं। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोली ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के लेवल्स (Levels) का भी सर्वे किया जाए। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्परी रेत नालें (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाएं। टेम्परी रेत नालें (TBM) में

आर.एल. को-ऑर्डिनेटर्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। विड नैप में टैम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर सभी खनिज विभाग से प्रत्यक्षीकरण कार्यों कोटोप्राक्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. मशीनट की खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या लकी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी मरम्मत कर, मशीन पर परीक्षक द्वारा परीक्षा पर्यटित स्थान में अधिवारों कायम की जायें। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौजूद एवं खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल संचयनी कालों की दूरी धारण जानकारी प्रस्तुत की जायें। पुल / एनीकट की दूरी खदान के आसपास में न्यूनतम 500 मीटर तथा आसपास में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपयोगानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपयोग आचार एवं खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शों पर चिह्नित कर उसका मौजूद पर सीमांकन तथा नईनिग ध्यान में इस कार्य परलोक किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टर में कम से कम एक गहरा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का अध्ययन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जायें।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य-स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्माण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), राष्ट्रीयसभद अथवा विगत राष्ट्रीय पर्यावरण सभायात निर्माण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), राष्ट्रीयसभद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित सर्ती के पाठन में की गई धारणाही की जानकारी कोटोप्राक्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पृथारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटोप्राक्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण-पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रशासक को खदान में रेत की संयोजन (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) की साथ आगामी मात की आगोदित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटोप्राक्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रशासक को एस.ई.आई.ए.ए. राष्ट्रीयसभद की ज्ञापन दिनांक 02 / 12 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 07 / 12 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की विवेक कुमार मण्डल, अधिवक्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रशासक द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु तैयारी अधूरी होने के कारण समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। आग आगामी मात की आगोदित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने का अनुदेश किया गया।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में सभी गई बाधित जापकारी एवं समस्या सुलभता जांचकारी / वसतयोज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी. कार्यालय के प्राप्ति दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक कुमार मन्डल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जापकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. धाम पंचायत का अनारबित प्रमाण पत्र - येत उल्लंघन के संबंध में धाम पंचायत बडेला का दिनांक 17/05/2019 का अनारबित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्हाकित/सीमाकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. उत्खनन सौधना - माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उ.प्र. कार्बन के प्राप्ति क्रमांक 688/खनिज/राज्य.सं.अनु./येत/2020-21 कार्बन, दिनांक 14/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.प्र. कार्बन के प्राप्ति क्रमांक 688(सी)/खनिज/येत(सुल)/2020-21 कार्बन, दिनांक 14/10/2020 के अनुसार आयोजित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित अन्य येत खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.प्र. कार्बन के प्राप्ति क्रमांक 688(सी)/खनिज/येत(सुल)/2020-21 कार्बन, दिनांक 14/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं उच्च आयुर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. सीमा डीप का विवरण - लीज सीमा की प्रतिना कटरे के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.प्र. कार्बन कार्बन द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निरखान आकारी धाम-बडेला 2.5 कि.मी, स्कूल एवं अस्पताल भानुप्रतापपुर 5.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 2.1 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 560 मीटर एवं एनीकट 235 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्तर्राज्यीय सड़क, प्रमुख निवास क्षेत्रों द्वारा घोषित जिरिफेरी सेन्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

CM

संचयनशील क्षेत्र का अधिकतम औद्योगिकता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।

10. खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट की दूरी - आवेदन अनुसार खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 180 मीटर, न्यूनतम 85 मीटर तथा खानन स्थल की लंबाई - 760 एवं चौड़ाई - अधिकतम 81 मीटर, न्यूनतम 38 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट के न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अर्थात नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई - 1.5 मीटर तथा रेत खनन की इलायत गहराई - 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में वर्द्धनकर रेत की मात्रा - 32,670 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वांछित में उपलब्ध रेत प्राप्त की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर गहरा 5m खोदकर उसकी पारंपरिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.5 मीटर से 2 मीटर है। रेत की पारंपरिक गहराई हेतु पथदर्शक भी प्रस्तुत किया गया है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- i. पूर्व में सार्वभू, ग्राम पंचायत चवेल्ला के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 821/11, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, अक्षांक-15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रक्रियामें, जिला-उत्तरांचल कालेज द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20/07/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- ii. एन.ई.आई.ए.ए. जलौभायक के द्वारा दिनांक 27/11/2019 द्वारा सार्वभू, ग्राम पंचायत चवेल्ला को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शीर्षक प्रतिना कटौती के नाम पर इलायतकरण किया गया है।
- iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी के नालक में की गई त्रुटियों को जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ उत्खनन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.प्र. कालेज के द्वारा क्रमांक 892/खनिज/रेत(मुन)/2020-21 जारी, दिनांक 15/10/2020 को अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017-18	7820
2018-19	7100
2019-20	3371
2020-21	1642

- v. वर्तमान में 730 तन वृद्धारोपण किया गया है। निर्धारित वार्षिक वृद्धारोपण नहीं किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत सहाय की संरक्षण - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के जारी संरक्ष में 100 मीटर की दूरी तक, 40 मीटर गुंजा 40

*(Handwritten signature)*

मीटर के विद्युत बिन्दुओं पर दिनांक 20/08/2020 का डी-मानसून लेवल (Levels) लेकर फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। येत सतह के वर्तमान लेवल हेतु दिनांक 06/09/2020 का लेवल (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। सन्धि द्वारा नोट किया गया कि येत सतह के वर्तमान लेवल हेतु दिनांक 08/09/2020 को लिए गये लेवल (Levels) पीस्ट-मानसून जटा मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः येत उत्खनन के पूर्व येत सतह के वर्तमान लेवल (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – खनिजोद्योग प्रस्तावक द्वारा सन्धि के समझौते के तहत से धारा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.77	2%	0.35	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Chavala	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Total	0.70

15. **नदी मार्गनिर्माण क्षेत्र** -

- i. नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 180 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है। नदी किनारे निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। मार्गनिर्माण प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई से न्यूनतम 7.5 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 5,490 वर्गमीटर नदी मार्गनिर्माण क्षेत्र रखा गया है।
  - ii. एनोकेट खदान से 325 मीटर की दूरी अपरस्ट्रीम में स्थित है। नदी मार्गनिर्माण अनुसार एनोकेट अपरस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से एनोकेट की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः एनोकेट की दूरी से खदान से 268 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार मार्गनिर्माण प्लान अनुसार 11,840 वर्गमीटर नदी मार्गनिर्माण क्षेत्र रखा गया है।
  - iii. उपरोक्तानुसार मार्गनिर्माण प्लान में कुल नदी मार्गनिर्माण क्षेत्र 17,330 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः येत उत्खनन का कार्य खदान के अर्थात् 3,267 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
16. येत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा को अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में येत की उपरान्त औसत गहराई 1.5 मीटर से 2 मीटर है। उक्त पंचनामा से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उत्खनन क्षेत्र में 1.5 मीटर से 2 मीटर



गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है जल्दा नहीं। अतः इस संघर्ष में निम्नलिखित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्सवगत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशिष्टित प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैंक रीक (Bank Rick) को उत्तर अवस्थित रेत की गहराई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत करने वाले हेतु निर्देशित किया जाय।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/प्रस्तावित दिनांक 08/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 08/01/2021।

समिति द्वारा नयी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत साह की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर पंचनामा सहित खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की गहराई 3 मीटर से 3.5 मीटर तक उपलब्ध किया गया, जिसके नीचे भी रेत उपलब्ध होना बताया गया है।
2. रेत उत्खनन हेतु निम्नलिखित विधि से एवं गहराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
3. परिशिष्टित प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उपलब्ध किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्जनन संबंधी अध्ययन कार्य एवं तात्काली जानकारी का समावेश नहीं किया गया है। वास्तविक नदी छोटी नदी है तथा इससे वर्षाकाल में सम्भाव्यता 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्जनन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (शाम-खेत) का सतह 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 300 मीटर की परिधि में स्वीचर/समाहित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का बताया कम होने के कारण यह खदान की-2 केपी की मानी गयी।
2. वृक्षांतोपन कार्य — प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 म<sup>2</sup> पीछे — 1,000 म<sup>2</sup> अर्जुन के पीछे तथा बीच 1,000 म<sup>2</sup> जलमुख, फरस, बांस, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रमुख मार्ग पर 150 म<sup>2</sup> पीछे लगाए जायेंगे।
3. परिशिष्टित प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्ष में विस्तृत मात्र अध्ययन (Investigation Study) करावेगा, ताकि रेत की पुनर्जनन (Replenishment) बाधित नहीं आवाये, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनजाति, जीव एवं स्थूल जीवों पर प्रभाव तथा नदी के तटों की पुनर्जनन पर रेत उत्खनन से प्रभाव की गयी जानकारी प्राप्त हो सके।
4. जीव क्षेत्र की सतह का बेसलाइन डेटा —

- i. रेत खनन उपरतत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून के प्रथम सप्ताह) इसकी चिह्न बिन्दुओं में माइनिंग लेवल क्षेत्र तथा लेवल क्षेत्र के आग्नेय एवं पश्चिम-पूरब में 100 मीटर तक तथा खनन लेवल के बाहर / मही 100 (दोनों ओर) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में मही सतह के तारी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जावेगा।
  - ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर / नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसकी चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का सर्वे किया जाएगा।
  - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के सर्वे का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के अंतिम दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के अंतिम अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.ए. अखीरगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिती द्वारा विचार विमर्श उपरतत सर्वसम्मति से कीवली प्रतिभा कट्टे, चोला रोड, भाईग, खनन अंकन 321/11, ग्राम-चोला, तहसील-मानुप्रधानपुर, जिला-बाँसवा, कुल लेवल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर में से रेत माइनिंग क्षेत्र 17,300 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 3,207 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रहते हुए, कुल 32,600 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट-11 में उल्लेख वाले के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई मनिगी द्वारा (Manually) की जाएगी। रिबर बेड (River Bed) में गहरी खानों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लेवल क्षेत्र में विद्यमान रेत खुदाई गडदे (Excavation pits) से अधिक गहराई तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा द्वारा किया जाएगा।
  6. रेत माइनिंग क्षेत्र एवं अखीर गहरी माइनिंग क्षेत्र का सीके पर खनिज विभाग से सफ्ट सीमांकन बनाने के उपरतत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
  7. आदेशक द्वारा पोस्ट-मानसून सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर मही में रेत की सतह के तारी (Levels) का पोस्ट-मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़े अखीरगढ़ एच.ई.आई.ए.ए. अखीरगढ़ को प्रस्तुत किये जायेंगे।

राज्य स्तर पर्यावरण-सम्बन्धित निर्धारित अधिकतम (एच.ई.आई.ए.ए.) अखीरगढ़ को तयानुसार सुचित किया जाए।

## 2. सभी अवधि से वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं करने वाले पुराने लघु प्रकरणों पर निर्णय।

समिति को राज्य विभागानुसार 12 लघु प्रकरणों की तस्मात् प्रस्तुत की गई जिनमें सभी अवधि से वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं कि गई है:-

क्र.	खदान/खदान का नाम एवं पता	प्रचीकरण क्रमांक	फाईल क्रमांक
1	मुख्य अखीरगढ़ अधिकारी, नगर पर्यावरण सचिव, ग्राम-सचिव, तहसील-सचिव, जिला-बाँसवा	24008	808

1	सत्यमेव, ग्राम पंचायत विहरीबंद, ग्राम-विहरीबंद, तहसील-राजिम, जिला-परियाबंद	34104	808
2	सत्यमेव, ग्राम पंचायत बकली, ग्राम-बकली, तहसील-राजिम, जिला-परियाबंद	34010	812
4	सिधोरी सेक्टर साईन सत्यमेव भी खोमन जाल बाटू, ग्राम सिधोरी, तहसील-राजिम, जिला-परियाबंद	34078	810
5	सत्यमेव, ग्राम पंचायत बीरली, ग्राम-बीरली, तहसील-कमंडोल, जिला-बलीदासजान-भाटापारा	34779	830
6	सत्यमेव, ग्राम पंचायत बरीया, ग्राम-बरीया, तहसील-मलरी, जिला-बलीदासजान-भाटापारा	35713	854
7	सत्यमेव, ग्राम पंचायत विंगरीद, ग्राम-विंगरीद, तहसील 8 जिला-महासमुद्र	36212	828
8	सेलर्स सोसायटीज लाईन स्टोन ओक साफार्ज इंडिया प्रा. लि, ग्राम-खपरी, तहसील 8 जिला-बलीदासजान-भाटापारा	18223	349
9	सेलर्स सोसायटीज इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड, फेस-2 के सहीद, सिलसला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-सिलसला, तहसील 8 जिला-रायपुर	37241	893
10	सेलर्स सोसायटीज इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड, सिलसला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2 ग्राम-सोमड़ा, तहसील 8 जिला-रायपुर	37370	898
11	सेलर्स इन्फ्रस्ट्रक्चर इत्याद इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड (युनिट-4), जसला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील 8 जिला-रायपुर	104574	860
12	सेलर्स इन्फ्रस्ट्रक्चर इत्याद इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड, ग्राम-गोविंदा, तहसील-कटपोर, जिला-बीरवा	37364	88

**बीठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 364वीं बीठक दिनांक 08/01/2020**

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रतिबंध एवं जानकारी का अपलोडिंग एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. उपरोक्त परीक्षण पर प्रस्तावकों से समिति द्वारा हुई बैठकों में मुख्य-पुस्तक जारी के ज्ञानकारी पायी गई थी, जो कि अज्ञान है।
2. सरल क्रमिक 1 से 7 तक के प्रकरणों के प्रतिबंध में समिति के सहज में यह तथ्य आया कि स्थिति सचम विभाग, धरतीसगढ़ शासन द्वारा रेल जालकरण नीलामी (रिसेल ऑक्शन) के माध्यम से प्राप्त अभियंता बीरवाकर के द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें निम्न तथ्य है-

L. स्थिति सचम विभाग, धरतीसगढ़ शासन की जम्बिदुवना दिनांक 18 अगस्त, 2019 को द्वारा राज्य में रेल स्थिति सचम रेल के जालकरण एवं व्यवसाय के विनिर्माण हेतु धरतीसगढ़ रेल स्थिति सचम रेल (उत्खनन एवं व्यवसाय) निरम, 2019 बनाया गया है। इस निरम में रेल उत्खनन नीलामी

(रिजल्ट ऑफिसर) के माध्यम से प्राप्त अधिमानी बोलीदार को द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

- ii. प्रतीकवाचक शासन द्वारा जारी "प्रतीकवाचक नीति अधिनियम सभ्यता से (प्रस्तावना एवं व्यवस्था) नियम, 2018" के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिलापक्षी द्वारा नीलामी की प्रक्रिया उपरोक्त उपयुक्त अधिमानी बोलीदारों को संबंधित कार्यालय कलेक्टर अधिनियम शाखा द्वारा एल.ओ.आई. जारी किया जाता है। जारी एल.ओ.आई. अनुसार अधिमानी बोलीदारों द्वारा सेत सम्बन्धन के पर्याप्तपूर्ण स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाता है।
- iii. उपरोक्त सभी खंडों का शासन द्वारा नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से निर्वहन किया जा चुका है।
3. प्रस्ताव संख्या क्रमांक 8 के प्रकरण में यह पाया गया कि समिति की 224वीं, 225वीं एवं 250वीं बैठक क्रमांक दिनांक 21/04/2017, दिनांक 18/05/2017 एवं दिनांक 20/07/2018 को प्रकरण पर विचार किया गया है। उक्त बैठकों की परिधेया में परिधेयानुसार प्रस्तावक द्वारा अधिमानी जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. संसद क्रमांक 8 के प्रकरण में यह पाया गया कि परिधेयानुसार प्रस्तावक द्वारा अपने पत्र दिनांक 04/01/2021 के माध्यम से आवेदन प्रकरण को वि-लिस्ट/निलस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।
5. संसद क्रमांक 10 के प्रकरण में यह पाया गया कि परिधेयानुसार प्रस्तावक द्वारा अपने पत्र दिनांक 06/01/2021 के माध्यम से अधिमानी प्रकरण को वि-लिस्ट/निलस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।
6. संसद क्रमांक 11 के प्रकरण में यह पाया गया कि समिति की 282वीं बैठक दिनांक 13/06/2019 में विधेय नये निर्देशानुसार परिधेयानुसार प्रस्तावक द्वारा अधिमानी जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
7. संसद क्रमांक 12 के प्रकरण में यह पाया गया कि समिति की 280वीं बैठक दिनांक 21/08/2018 के निर्देश अनुसार अधिमानी प्रकरण पर समिति के अध्यक्ष दिनांक 06/06/2019 को उद्योग के निरीक्षण हेतु स्वतः पर उपस्थित हुए। परिधेयानुसार प्रस्तावक द्वारा उप समिति को अवगत कराया गया कि निरीक्षण हेतु उनकी तैयारी नहीं है। उप समिति द्वारा परिधेयानुसार प्रस्तावक से आवश्यक जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किये जाने पर उन्हें द्वारा पत्र हेतु असमर्थता व्यक्त की गई। परिधेयानुसार प्रस्तावक की निरीक्षण हेतु तैयारी नहीं होने एवं आवश्यक जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण नहीं किया जा सका। उप समिति द्वारा परिधेयानुसार प्रस्तावक को आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उप समिति के निर्देशानुसार परिधेयानुसार प्रस्तावक द्वारा अधिमानी जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।



३. एका विषय में एक ही नि:पक्षीय प्रतिवेदन प्रस्तुत होना सम्भव है।  
सहायक सचिव को उचित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाये  
है।

सहायक सचिव को उचित या सविधि द्वारा विचार विमर्श प्रदान करने के लिए  
विशेष प्रयत्न किए जायेंगे। नि:पक्षीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उचित  
कार्रवाई की जाएगी।

एक ही विषय पर अलग-अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर (अनुपस्थिति में)  
सहायक सचिव को उचित विचार प्राप्त होगा।

दिए गए प्रस्ताव को एक-एक करें।



(अधीनस्थ सचिव)

उपस्थिति में

एक ही विषय पर अलग-अलग प्रतिवेदन  
प्रस्तुत करें।



(अधीनस्थ सचिव)

उपस्थिति में

एक ही विषय पर अलग-अलग प्रतिवेदन  
प्रस्तुत करें।

## वेसर्ल भी मिनरला

(श्री - श्री अशोक कुमार राठी, जीराईकला जो-चैड साईन स्टोन क्वारी)  
 को खनना क्रमांक 1027/1क, 1027/1ख, 1302/1क, 1303/1क, 1302/2,  
 1303/2, 1302/1ख, 1303/1ख, मुल जीज क्षेत्र 1.528 हेक्टेयर,  
 पाक-जीराईकला, तहसील-बलीदा, जिला-जांजगीर-बाघा में चूना पत्थर (सीम  
 खनिज) उत्खनन क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने  
 वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षमता (सीम क्षेत्र) 1.528 हेक्टेयर क्षमता वालीसंगठन शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत जीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 30,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। जीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कक्षागत पत्रों मुताबिक लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेतु दूषित जल (यदि कोई हो) को उपचार की दृष्टि एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. खनी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में सीमागत पुनरोपण की लिए उपयोग किया जाने को उपरांत, शेष खनी मिट्टी को साईनिंग प्लान अनुसार स्वयं को डिप्टा निर्माण इकाई में उपयोग किया जाए। आवश्यक द्वारा बिक निर्माण इकाई का पूर्ण विवरण 15 दिवस के भीतर एस.ई.आई.ए.ए. एलीसन्ड की प्रस्तुत किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. मोडिफिकेशन, 2008 (यहां संशोधित) के प्रावधानों को लागू रहेगी।
5. औद्योगिक दूषिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्काशित नहीं किया जाए, अतिसु इसे दूषिया में अथवा पुनरोपण हेतु पुन:उपयोग किया जाए। धरेतु दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्काशित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं पर्यावरण का जल अक्षय में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। सम्बन्धित दूषित जल की पुनरावस्था भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा एलीसन्ड पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा खनन क्षमता समाप्त हो जाने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुन:स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र, वनस्पतियों, जीवों आदि को उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन अधिकारी से अनुमोदित साईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।



7. मू-ऊतक से उपयोग हेतु केंद्रीय मू-ऊतक बोर्ड से उत्खनन आरम्भ करने से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी विनयी / वेद / प्लॉट सीमा से प्लॉट/प्लॉट में टन उत्खनन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनफुट से कम सुनिश्चित किया जाए। अतः, स्थिति अनुसार प्लॉट/प्लॉट (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इन्स्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम को साथ साथ उभारा जा वेग फिल्टर स्थापित किया जाए। स्थिति अनुसार सलिविडिग को विभिन्न स्तरों से उत्खनन क्यूबिटीव इन्स्ट उत्खनन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। गर्म, रैन्ड, संरक्षण बोध मट्टी एवं अन्य इन्स्ट उत्खनन विन्दुओं इन्स्ट कंटेनमेंट कम संवेदन सिस्टम एवं जल छिद्रकण की व्यवस्था की जाकर इन्स्ट साइट संयोजन / संभारण सुनिश्चित किया जाए। विषय स्थिति विल का निर्लेख सुनिश्चित किया जाए।
9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को कार्यालय संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 को तहत विनिर्दिष्ट मानकों को अनुसरण रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवर्तित वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, मन और जल वायु मंत्रालय के तहत, नई दिल्ली द्वारा अधिनियमित मानकों से अधिक नहीं होगी बरिष्।
10. लीज क्षेत्र की गहरी उत्खनन छोड़ी गई 3.5 मीटर की छोटी मट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में पुनर्स्थापित किया जाए।
11. उत्खनन प्रक्रिया को हीटल इटाई गई कपरी मिट्टी (टीप सीईल) को उपयुक्त उत्खनन हेतु उपयोग में न जाने वाली भूमि को पुनः प्रदान हेतु अथवा बाहरी जोवरकॉर्डन को फिल्ट (स्टेबिलिजेशन) करने में किया जाए। जहां पर कपरी मिट्टी (टीप सीईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (प्रीनकरेटरी) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
12. जोवरकॉर्डन एवं अनुपयोगी / बिड़ी अयोग्य स्थिति (वेस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से विनयीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार की भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। उन्ध की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्तरीय 28 डिग्री से अधिक न हो। जोवरकॉर्डन डम्प का क्षय रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से पुनर्स्थापित किया जाए।
13. जहाँ तक संभव हो जोवरकॉर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिड़ी अयोग्य स्थिति (वेस्ट रीक) को खनन को परकृत करे मट्टी में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
14. परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न मिट्टी लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्तरों में प्रवेशित न हो। इसी संदर्भ हेतु साईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / साइलेंड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. स्थिति वा पनियहन सेवनेवाली कच्छई वाहन से किया जाए, ताकि स्थिति वाहन से बाहर नहीं गिरे। स्थिति का परिचालन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु गिन्यानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

9

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.05	2%	0.81	Following activities at Govt Middle School, Village-Aorakala	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.95</b>

17. बी.ई.आर. को लक्ष निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अधिकांश रूप से पूर्ण किया जाए।
18. मासिक हेतु निश्चित क्षेत्र (पानी तक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र) डीएल रोड, जीएनआईएन जंक्शन आदि में स्थानीय प्रजाती की 1,000 कुर्मी का सफल वृक्षरोपण किया जाए। उचित धरती का विकास केन्द्रीय प्रवृत्त निरीक्षण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
19. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में कम से कम 200 नए प्रति हेक्टर नीच क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करज, सीसू, आम, इमली, जर्बुन, बीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने में लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कांटेदार तार के बाड़ अथवा टी गार्ड का उपयोग) किया जाए। खज उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित पत्र पंचायत द्वारा विन्टीय क्षेत्र में उपरीक्तानुसार वृक्षरोपण किया जाए। उपरीक्त वृक्षरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
20. वृक्षरोपण का सब-रिप्लैस आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए नूतन बीजों की प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
21. किये गये वृक्षरोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राममेट्रिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए अलीसंगर फॉरेस्टर्स संस्थान मण्डल एवं राज्य स्तर कार्यपालन सन्धान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), अलीसंगर को प्रेषित किया जाए।
22. परियोजना प्रभावक द्वारा ध्वनि प्रवृत्त की निरीक्षण हेतु आवश्यक उपकरण खरीदा जाए। ध्वनि का स्तर उत्पन्न क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले भण्डारों को इमारत/मक आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर सिस्टिमाकीय ध्वनि एवं जोखिमकता अनुसार उनका संपादन भी कराया जाए।
23. स्थान अधिकांश / डी.जी.पी.एस. से अनुमति उपरान्त सुरक्षित एवं नियमित विधि से क्षतिपूर्ति किया जाए। पक्षों के अंटे-प्रॉटे टुकड़ों (स्टाई बीज) को उठाने से रोकने



हेतु पर्याप्त एवं स्थान उपलब्ध किया जाए। वेद ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अस्थापित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का संसर्जन निवृत्त न रहे।

24. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर को तब प्रभावित प्रभाग में ली जाएगी एवं संरक्षणन अधिका भू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
25. प्राथमिक की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंख्या एवं जीव-समृद्धि पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गीप अधिनियम एवं संरक्षणन अधिनियम, गीप अधिनियम, 2016 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। भाईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
27. कार्य स्थल पर यदि जेनिम अधिनियम कार्य पर लागू लागते हैं तो ऐसे अधिकारों को अवरुद्ध हेतु जचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अस्थायी व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं को रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरे होने के पश्चात् हटाया जा सके।
28. अधिकारों को लिए जल स्थल पर स्वयं पेयजल विविधतापूर्ण सुविधा, नौकराल टाथलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
29. अधिकारों का समय-समय पर आउटरीचमल हेल्थ सर्वेलेस करना आवश्यक है।
30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, अधिनियम की भांति एवं अपेक्षित सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एच.ई.आई.ए.ए., अलीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य समिति पर अधिकार रहने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी किसी समिति को मुहताब पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानून / विधियों के अन्तर्गत हेतु अधिकृत करता है।
32. एच.ई.आई.ए.ए., अलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की अपेक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत रूप से पालन न करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संशोधन/निरास करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा संसर्जन / निरुद्धन को मानवी को और संरक्षण करने का अधिकार सुरक्षित संरक्षित है।
33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र के जल-जल व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करने का परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति एन की प्रक्रिया सम्बन्धित, अलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एन, ई.आई.ए.ए., अलीसगढ़ की वेबसाइट [www.sewacg.org](http://www.sewacg.org) पर भी किया जा सकता है।
34. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही नई शर्तों के पालन हेतु की गई शर्तों की अर्थ वार्षिक रिपोर्ट अलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय अलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एच.ई.आई.ए.ए., अलीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर को प्रेषित किया जाए।

35. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी। इस हेतु परिधीयता प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर को प्रेषित किया जाए।
36. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
37. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों को अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाई गई नियमों, परिसंरक्षण और अन्य अधिनियम (जबकि एवं सीमाकार संरक्षण) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) के अधीन निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
38. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को मुन-महीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों को तत्पुस्तक अथवा नवीन शर्तों निर्दिष्ट करने हेतु निर्णय ले सके। अतः में कोई भी विचार अथवा सम्पदन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों को इनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-ऑफिस एवं राईलाग बिल्डिंग एवं कलेक्टर / छत्तीसगढ़ कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
40. पर्यावरणीय स्वीकृति के विषय अर्थात् गैरानत चीन ट्रीम्बुल के सन्तान, गैरानत चीन ट्रीम्बुल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

**नेसर सहसपुर डीजेलमाईट क्वारी (पी - बी चट्टेरा शिफ्ट)**

की खसरा क्रमांक 38/1, 46/2, 46/3, 50/4, 51/1 एवं 51/2, कुल लीज क्षेत्र 2.04 हेक्टेयर, ग्राम-सहसपुर तहसील-जोरखी, जिला-बुनारी में डीजेलमाईट (पीपीएल) उत्खनन क्षमता-6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षमता (लीज क्षेत्र) 2.04 हेक्टेयर क्षमता प्रतिवर्ष तक वास्तव, खनिज वास्तव किण्व द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (पीपी) में से जो काम ही हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डीजेलमाईट का अधिकतम उत्खनन 6,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुन्ने लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार कर जलित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की किता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी डीजेलमाईट नोटिफिकेशन, 2009 (पीपीएल) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. औद्योगिक अक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा झरोही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्स्रावित नहीं किया जाए, अतः इसे अक्रिया में अथवा पुनःसोपन हेतु पुनःसोपन किया जाए। घरेलू दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सॉफ्टीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा झरोही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्स्रावित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल अपवहन में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल को पुनःसोपन द्वारा उपचार, पर्यावरण, वन और जलवायु विभाग, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अतिरिक्त मानक अथवा अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अतिरिक्त मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पट्टा खनन खान संचालन बंद करने के उपरान्त (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खननी संचालन-सक्रियताओं के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उगकी है-घासिन (re-grassland) की जाएगी एवं सुनि का पुनःसोपन इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह खरा, वनस्पतियों, जमीन आदि के उपरान्त हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित माईन बल्टेजर प्लान एक बरह को नीचे प्रस्तुत किया जाए।
6. नू-जल से उपचार हेतु केंद्रीय नू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी किमी / घंटा / प्वाइंट सोर्स से क्वैटिफाइड नेटव उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सांद्रण घनलीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। कठोर, खनिज, ट्रासफर पाइपिंग (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बस्ट एक्वाट्रिबल सिस्टम के साथ उच्च दबाव का वेग किल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन-सक्रियताओं के विभिन्न श्रेणियों से उत्पन्न क्वैटिफाइड बस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पर्युध मार्ग, वेग, संवहन संघ, भरवाँ एवं अन्य बस्ट उत्सर्जन

किन्तु भी बका बड़े-बड़े कम बड़े-बड़े बड़े-बड़े एवं जल प्रदूषण की व्यवस्था की जाये। इसका सफल समाधान / संयोजन सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. खनन, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1987 के तहत विनिर्दिष्ट मापकों को अनुसरण रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के निर्धारण, पन और जल वायु परिवर्तन नकारण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. जीवा क्षेत्र के बाहरी तट पर छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इन पट्टी में कृषिरोपण किया जाए।
10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान बरतई नई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि को पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डिंग को स्थिर (स्टेबिलाइज्ड) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को खनन प्रक्रिया के उत्खनन-समय (ऑनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, एवं इसी पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
11. ओवरबर्डिंग एवं अनुसंधानी/बिक्री उपयोग खनिज (वेस्ट रोक) को कृषक से पूर्व से विनीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ उत्खनन-समय की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढेर की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्तरीय 20 दिनों से अधिक न हो। ओवरबर्डिंग ढेर का आकार रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृषिरोपण किया जाए।
12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डिंग एवं अन्य अनुसंधानी/बिक्री उपयोग खनिज (वेस्ट रोक) को खनन के परिसर के सड़कों में सुरक्षित (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा बहिष्कृत वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
13. परिवेशीय प्रशासक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न रिफ्ट जीवा क्षेत्र से उत्खनन-समय के सड़की जल नालों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु सड़की पीट तथा जल क्षेत्र में रिटर्निंग बॉल / गारलैण्ड ड्रैन की व्यवस्था की जाए।
14. खनिज का परिवहन सेफनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से धूल नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को अनायास से अधिक नहीं बका जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पन कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Govt Primary School, Village-Sahaspur	

			Rain Water Harvesting System	0.80
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation with Fencing	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.90</b>

16. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 महीने में अंतिमार्थ रूप से पूर्ण किया जाए।
17. जलजनन हेतु निश्चित क्षेत्र (एकरी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हरित रोड, ड्रॉवरबैंक ड्रम आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,700 पौधों का सधान बुझारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय जलमन नियंत्रण बोर्ड की कार्यवाही के अनुसार किया जाए।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में कम से कम 200 बग प्रति ड्रॉवरबैंक लीज क्षेत्र के अनुसार बब, पीपल, नीम, करज, सीसू, आम, इमली, जर्बून, रीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जब्या काटेदार तार के बाड़ अथवा टी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित वाम पंचायत द्वारा किन्हीं क्षेत्र में उपरोक्तानुसार बुझारोपण किया जाए। उपरोक्त बुझारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. बुझारोपण का स्व-स्थाप आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करने हेतु नए पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
20. कियो लये बुझारोपण की सुष्टी हेतु डी.जी.एम.एस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्थात्किक रिपोर्ट में समाहित करते हुए पत्नीसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यवेक्षण समायोक्त निर्धारण अधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) पत्नीसमूह को प्रेषित किया जाए।
21. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण की नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर पर्यवेक्षण क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विविधस्तरीय जाँच एवं पर्यवेक्षणता अनुसार उनका परामार भी कराया जाए।
22. सक्षम अधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति परपत्नी सुरक्षित एवं निश्चित कियो से असाहित किया जाए। पाथर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग स्टोन) को पकड़ने से बचाने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। बस्ट ट्रिपिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था असाहित ट्रिपिंग किया जाए, जिससे बस्ट का असाजन नियंत्रण से रहे।
23. पर्यवेक्षण अधिकारी नू-जल स्तर की उपर असंतुष्टा प्रमाण में की जाएगी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी नू-जल स्तर की नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
24. पर्यवेक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंघीय एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।



- 25. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा वीन खमिल या उत्खनन छातीसमूह वीन खमिल नियम, 2015 में प्रावधानों, अनुसूचित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। नईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
- 26. कार्य स्थल पर यदि लेम्पिंग बगिके कार्ट पर लगाये जाते हैं तो ऐसे बगिकों को आवास हेतु उचित व्यवस्था परिशोधन प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था आवासीय संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिशोधन पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
- 27. बगिकों के लिए खानन स्थल पर साफ़ पेयजल विहितराशिय सुविधा, भौवाइल टावलेट जदि की व्यवस्था परिशोधन प्रस्तावक द्वारा की जाए।
- 28. बगिकों का समय-समय पर जासूसीमानल हेल्थ सर्किलस कन्दना अवसरक है।
- 29. उत्खनन की सपामीक कार्य शेष एवं अनुसूचित उत्खनन योजना के अनुक्रम सपामीक योजना, जिसमे उत्खनन खमिल की मास एवं अपशिष्ट खमिलित है, में किली भी प्रचार का परिचालन एमईआईएए, छलीसमसु / पर्यावरण, वन और जलसामु परिचालन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
- 30. इस पर्यावरणीय सौकुति को जारी करने का आरुप किन्ही व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पति पर अविश्वर वशाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय सौकुति किन्ही निजी सम्पति को नुकसान पहुचाने अथवा व्यक्तिगत अविश्वरों के अतिव्यय अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानुनों / विधियों के प्रत्येकन हेतु अतिव्यय कराना है।
- 31. एमईआईएए, छलीसमसु पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिशोधन की सपरेखा में परिचालन अथवा विनिदिष्ट शर्तों के संतोषकड रूप में पालन न करने की वशा में किन्ही भी शर्त में सशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा प्रसलीन / निरस्तोय के मानकों को और सख्त करने का अविश्वर सुरक्षित रखाता है।
- 32. परिशोधन प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्री में, जो कि परिशोधन क्षेत्र की आस-पास अवसरक रूप में प्रसुरित हो, पर्यावरणीय सौकुति प्राण होने को 7 दिनों के भीतर इस आवास की सृजन प्रसारित करेगा कि परिशोधन को पर्यावरणीय सौकुति प्राण हो गई है एवं पर्यावरणीय सौकुति वस की प्रतीर्ष सविवालय, छलीसमसु पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलीकन हेतु उपसख्य है। साथ ही इसका अवलीकन एम. ई.आई.ए.ए., छलीसमसु की वेबसाइट [www.ajkacq.org](http://www.ajkacq.org) पर भी किया जा सकता है।
- 33. पर्यावरणीय सौकुति में ही गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही परी अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छलीसमसु पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छलीसमसु पर्यावरण संरक्षण मण्डल, किलसपुर, एमईआईएए, छलीसमसु एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलसामु परिचालन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
- 34. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलसामु परिचालन मंत्रालय, भारत सरकार नागपुर द्वारा पर्यावरणीय सौकुति में अटल शर्तों के पालन की भीमिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिशोधन प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रसुरित किए गए वसतवेतों एवं आवेदन का पूर्ण रीट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलसामु परिचालन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
- 35. एमईआईएए, छलीसमसु पर्यावरण, वन और जलसामु परिचालन मंत्रालय, भारत सरकार, / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलसामु परिचालन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र / छलीसमसु पर्यावरण संरक्षण मण्डल



के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में भी जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

36. परियोजना प्रस्तावक भारतीयगण्ड पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धता और अन्य उपशिष्ट (एनए एवं सीमापार संरक्षण) नियम, 2010 तथा लोक संचालित बीमा अधिनियम, 1991 (यथा लागू) के अधीन निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयगण्ड में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विधान अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयगण्ड को पुनः मवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयगण्ड इस पर विचार कर शर्तों की उपपूर्वता अथवा नहीं होने निर्दिष्ट करने अथवा विनियम ले सके। अद्यतन में कोई भी विस्तार अथवा सम्पदन एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयगण्ड / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
38. भारतीयगण्ड पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों को उनके संबंधित कार्योत्तर, विला-अवगत एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील मेसजल वीन ट्रीअपुल के समय, मेसजल वीन ट्रीअपुल एक्ट 2010 की भाग 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

बैंगर्स अधिनियम कन्सट्रक्शन

(ब) - श्री राष्ट्रीय बन्दबन्धी, बालपुर आईम स्टोन टेम्पलरी परमिट क्वारी  
को खनन क्रमांक 54/1 एवं 54/2, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टर, ग्राम-बालपुर,  
तहसील-सहसपुर जिला-कनौज में घुना फल्टर (बीम खनिज)  
उत्खनन समता-54,882 टन प्रतिवर्ष (2 वर्षों में कुल समता 1,09,726 टन) हेतु  
पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षमता (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टर अथवा खलीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से घुना फल्टर का अधिकतम उत्खनन 54,882 टन प्रतिवर्ष (2 वर्षों में कुल समता 1,09,726 टन) से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कचकन चक्को नुसार जमाया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) को उपचार की रीति एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा खाड़ी जल खाती में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अनिवार्य रूप से प्रक्रिया में अथवा उत्खनन हेतु पुन:उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सीक्रेट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा खाड़ी जल खाती में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा खलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी ऊपर हो) को अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पदार्थ धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोइंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुन:स्थापना इस विधि तक किया जाएगा, जिससे यह खान संचालितियों जैसे आदि के समान हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्रतिकार से अनुमोदित कोई भी खोज प्लान एवं माप के भीता प्रस्तुत किया जाए।
6. नू-जल के उपयोग हेतु सैन्टीय नू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी विन्नी / गैट / पाईट सीमा से पर्येकुलेट गैटर उत्खनन की मात्रा 30 मिमीघाम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्वार, खनि, ट्रांसफर याइदस (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च एक्सहाउस सिस्टम के साथ उच्च दबाव का डेग डिस्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों की विभिन्न खाती से उत्पन्न गतिविधियों उच्च उत्खनन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पर्येक मार्क, रैन्ड, साइडिंग क्षेत्र, मर्राई एवं अन्य उच्च उत्खनन विन्डुओं उच्च इन्टेन्सिटी कम साइडिंग सिस्टम एवं जल सिडकवय की व्यवस्था की जाएगी।



इसका बालु संभालन / संभालन सुनिश्चित किया जाए; किच ब्रेकिंग बॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा निषेधन अधिनियम, 1987 के तहत विनियमित मानकों के अन्तर्गत रखा जाएगा। वायुमन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता स्थल सारकार के पर्यावरण, वन और जल वायु प्रदूषण नियंत्रण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. सीज क्षेत्र के बाहरी तरफ छोटी नई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कुत्तारोपण किया जाए।
10. वायुमन प्रक्रिया के दौरान इटाई नई ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग संरक्षण हेतु उपयोग में न लाने वाली जूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डिन को रिफर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (वीनकरेटाई) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे कुत्तार से भण्डारित वन भीषण में उपयोग हेतु रखा जाए।
11. ओवरबर्डिन एवं अनुपयोगी / बिड़ी उपयोग खनिज (वेस्ट रोक) को कुत्तार से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ अम-पल की भूमि पर विषैला प्रभाव न डाल सकें। उन्न की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्तूप 25 मिमी से अधिक न हो। ओवरबर्डिन ढांच का ढरन रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कुत्तारोपण किया जाए।
12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डिन एवं अन्य अनुपयोगी / बिड़ी उपयोग खनिज (वेस्ट रोक) को खनन के पराक्ता बने गड्डों में पुनःस्थाप (किंग पिपिल) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिन्ट सीज क्षेत्र के अम-पल के सही ढरन स्तरों में प्रचलित न हो। इसी रोकने हेतु माईन सीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटैनिंग बॉल / पारलेमैक ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
14. खनिज का परिपहन वैज्ञानिकी कठई ढाइन हो किया जाए, ताकि खनिज ढाइन से बाहर नहीं गिरे; खनिज का परिपहन खनन ही माहनों को अमल से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्ननुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
47.53	2%	0.95	Following activities at Govt Primary School, Village-Talpur	

			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.15
			<b>Total</b>	<b>1.10</b>

16. जीईआर को तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
17. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (धारी स्तर 1.5 मीटर पीछा क्षेत्र), होल रोड, जीएसटीएन जम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 200 फुटों का सफल वृक्षारोपण किया जाए। इच्छित नदरी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
18. प्रभाविकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में कम से कम 200 मग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, पीसू, आम, हल्दी, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पीपों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कंट्रीदार टार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्वतः उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्दीय क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. वृक्षारोपण का रक-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करने हेतु मृत पीपों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
20. किये नये वृक्षारोपण को चुटी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्थात्क निशेड में सम्बन्धित करने हेतु प्रतीसंगत पर्याप्त संख्या में सतह एवं सतह स्तर पर स्थित समाधान निर्धारण उपकरण (एस.ई. आई.ए.ए.) प्रतिस्थापित को प्रेषित किया जाए।
21. परिधीयक प्रभावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होगा ताहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को हेलमेट/मस्क आदि उपकरण दिए जाए एवं समय-समय पर विकिरणक्षीय लीज एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
22. सशम अधिकारी / डीजीएमएस से अनुमति उपरगत सुरक्षित एवं निश्चित विधि से प्राप्त किया जाए। पथक के छोटे-छोटे दुकानों (फ्लाइंग मीक) को खसने से रोकने हेतु नवीन एवं सशम व्यवस्था किया जाए। वेद ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अधानित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
23. उत्खनन प्रक्रिया नू-जल स्तर से उपर असंतुप्त प्रमाण में की जावरी एवं उत्खनन प्रक्रिया नू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि धनस्वीकरी एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।



26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तीन खण्ड का उत्खनन प्रतीकगत तीन खण्ड नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रकल्प योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
27. कार्य स्थल पर यदि खनिज खनिज कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे खनिजों के आवास हेतु खनिज व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था अनुसार संरचनाओं को संपन्न हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
28. खनिजों के लिए खनन स्थल पर सार्वजनिक विविधकारीय सुविधा, मोबाइल टॉवरलैंड जैदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
29. खनिजों का समक-समक पर आसुपेरेशनत होकर सविज्ञान करना आवश्यक है।
30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, विज्ञान उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं आविष्ट सम्मिलित है, ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकगत / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अर्थ किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार पेशाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी किसी सम्पत्ति को मुक्तकरन गर्नुमाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के अंतर्गत हेतु अधिकृत करता है।
32. एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीकगत पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना को रूपरेखा में परिष्कार अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषक रूप से पालन न करने की दशा में किसी को हटने में संतोषक/निरास करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा प्रस्तावित / निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
33. परियोजना प्रस्तावक प्युनातम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र के अंत-अंत व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करना कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रति सचिवालय, प्रतीकगत पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीकगत की वेबसाइट [www.seiaaeg.org](http://www.seiaaeg.org) पर भी किया जा सकता है।
34. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु जो नई कार्यवाही की अर्थ वार्षिक रिपोर्ट प्रतीकगत पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर क्षेत्रीय कार्यालय प्रतीकगत पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, मिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीकगत एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
35. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्तावित शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी। इसके हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समक-समक पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं अपेक्षा का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
36. एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीकगत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / क्षेत्रीय प्रमुख निर्देशक क्षेत्र / प्रतीकगत पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय

के विभागों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन को संस्था में की जाने वाली सीनिटिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण), अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनमें तहत बनाये गये नियमों, अधिसूचनाओं और अन्य उपनिषद (प्रथम एवं तीसरा संशोधन) नियम, 2016 तथा लोक सचिवालय सेवा अधिनियम, 1991 (यथा लागू) के अंतर्गत विनियमित की जा सकती हैं।
27. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एन.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एन.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एन.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने काय्य निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विस्तार अथवा उन्मथन एन.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ / पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
28. छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय परीक्षित की जाते को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं उद्योग बंध एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
29. पर्यावरणीय परीक्षित को विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संस्था गठन परीक्षित ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।

सदस्य सचिव, एन.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एन.ई.ए.सी.

श्री सुव कुमार अग्रवाल, राहवापुरी रोड गाईन  
की सारा कर्मांक 510/538, कुल लीज क्षेत्र 4.147 हेक्टर पर में से 2.21 हेक्टर  
प्राग-राहवापुरी, गहनील व जिला-राजमठ (छ.प.) में मान्य नहीं से रेत उत्खनन  
अर्थात् 22,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने  
वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विलुप्त गाद अध्ययन (Siltation Study) करावेगा, ताकि रेत की पुनर्स्थापन (Replenishment) वास्तु नहीं आसके, रेत उत्खनन का नहीं, लदीला, स्थानीय जनसंघी, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की सुधारा पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही अनुसंधान प्रभाव हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी आवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान स्थित विभाग द्वारा अधिसूचित किसी बलस्टन में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्थित रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 2.21 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 22,100 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। रेत ग्राहक क्षेत्र एवं आसने गाईनिंग क्षेत्र का सीके पर स्थित विभाग से स्पष्ट सीमांकन करने के उपरान्त ही स्थित विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित रिक्त बिन्दुओं पर नदी में रेत की सरतह के सतरी (Levels) का पोस्ट-मानसून सर्वे कर, उसके आसने उपरान्त एच.ई.आई.ए.ए. प्रतीनगर को प्रस्तुत किये जाये।
6. रेत खनन उपरान्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी रिक्त बिन्दुओं में ग्राहक क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अक्स्टीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक लम्बे खनन लीज के बचन / नदी सरत (टर्मो जेन) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सरतह के सतरी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित रिक्त बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी रिक्त बिन्दुओं पर रेत सरतह के लेवल (Levels) का सर्वे किया जाएगा। रेत सरतह के पूर्व निर्धारित रिक्त बिन्दुओं पर रेत सरतह के लेवल (Levels) के सर्वे का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आसने दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आसने अर्थात् 2021, 2022, 2023 तक अन्तिम रूप से एच.ई.आई.ए.ए. प्रतीनगर को प्रस्तुत किए जायेंगे।
7. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिक्त क्षेत्र में नदी घाटी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई यंत्रों

(Excavation pits) में लोडिंग-चाईट तक रेल का रिविजहन ट्रेक्टर द्वारा किया जाएगा।

8. रेल का उत्खनन क्षेत्र विन्हीट, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेल उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा कार्बन जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेल का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर से नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर चौड़ाई तक की रेल गद्दी सतह (हाई रील) के ऊपर जोड़ा जाना आवश्यक है।
9. रेल उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो जोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षय न हो। इसलिए उत्खनन गद्दी की सीमा से न्यूनतम 44 मीटर की दूरी कायम किया जाएगा। किसी भी मुजिया, स्टापडोन, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य क्वाथी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र जोड़ा जाना अनिवार्य है।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेल उत्खनन की कारण नदी जल का वेग, डिट्रिटस एवं जल प्रदाय के संलग्न पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन क्षेत्र जमीनी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्धारित न हो। कचुओं के प्रजनन इकाईयां / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है तथा इन क्षेत्रों के आस पास रेल उत्खनन नहीं किया जाए।
12. रेल उत्खनन एवं नचाई / रिविजहन दिव के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
13. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा रेल उत्खनन विभिन्न इमारतों तथा लोडिंग / अगलडिग आदि से उत्पन्न होने वाले कचुरितिय डस्ट उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेल उत्खनन क्षेत्र में भविष्यीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल तंत्र परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित स्तरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. रेल का रिविजहन कार्बोसिलेन अथवा अन्य उपयुक्त साधन से इतने दूर वाहन से किया जाए, ताकि रेल बालन से बाहर नहीं गिरे। रूफिंग का रिविजहन जब खे ताइनों की संख्या से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. उत्खनन क्षेत्र में आगि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
16. प्रत्यक्षता को अवधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट को कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर सीज क्षेत्र को अनुसार जर्बुन, जामुन, बड़, पीपल, भीम, करंज, सीसू, आम, इमली, नीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अधिष्ठित 400 नम पौधे पट्टीच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जथा कार्टेडार तार



की बाढ़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृत्तारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

17. वृत्तारोपण का एक-सकल आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करने दृष्टे मृत मीलों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

18. किये गये वृत्तारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्रामास अर्थोमेट्रिक सिस्टम में समाहित किये दृष्टे वृत्तारोपण प्रयोजन संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यटन समायात निर्धारित प्रविजन (एन.ई.आई.ए.ए.) वृत्तारोपण को प्रेषित किया जाए।

19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव का कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35.72	2%	0.71	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Sahaspur	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.75</b>

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप में पूर्ण किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन को विभागीय मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेल संरक्षण आरंभ करने के पूर्ण आवश्यक सभी अनुमति प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यटन संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र / राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / वृत्तारोपण प्रयोजन संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

22. वृत्तारोपण नीति अधिनियम, 2018, राज्य शासन द्वारा रेल संरक्षण हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित संरक्षण योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

23. कार्य स्वयं कर यदि कोमिशन अधिक कार्य पर समाप्त जारी है तो ऐसे कमियों को आगामी अति व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था

अस्थायी संरचनाओं को रूप में ही संकलित है, जिसे परिवर्तन पूर्ण होने की संभावना  
होना है।

24. शक्तियों के लिए परामर्श कक्षा पर स्वयंसेवक सेवाएं विकसित/सुविधा, मोबाइल  
एप्लेट आदि की संरचना परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा की जाए।

25. शक्तियों का समय-समय पर आवृत्त/नए कार्य सौंपे जायें।

26. प्राथमिक की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित संरचना को जमान के अनुसार वर्गीकृत  
कोशिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत  
सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति  
के बिना नहीं किया जाए।

27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य  
सम्पत्ति पर अधिकार दर्जित हो नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी  
निजी सम्पत्ति को सुरक्षित रखने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अंश  
को सुरक्षित रखने एवं स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने / विधियों के अन्तर्गत हेतु अधिकृत करता है।

28. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवर्तन की संभावना  
में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों को संतोषपूर्वक रूप से पालन न करने की वरत में  
किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा संशोधन /  
निर्वाह को मानकों को और संतुष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

29. परिवर्तन प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्वतंत्र समीक्षकों को, जो कि परिवर्तन क्षेत्र  
की अंतर-वर्षा परामर्श रूप से प्रस्तुत हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की 7  
दिनों के भीतर इन अंतर-वर्षा की सूचना प्रस्तुत करेगा कि परिवर्तन को पर्यावरणीय  
स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय,  
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही इनका  
अनुमोदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली  
की वेबसाइट [www.environment.in](http://www.environment.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट  
[www.ema.cg.org](http://www.ema.cg.org) पर भी किया जा सकता है।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही गई शर्तों को पालन हेतु भी नई कार्यवाही की अर्ध  
वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, तथा रायपुर अटल नगर,  
जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, रायपुर, एस.  
ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन  
मंत्रालय, भारत सरकार, नयापूर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापूर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति  
में प्रस्ताव शर्तों को पालन की निगरानी की जाएगी।

31. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत  
सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत  
सरकार, नयापूर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण





सम्बन्ध की वैधानिकता/अविवेकताओं की शर्तों के अनुपालन के लक्ष्य में की जाने वाली भीतिहारीय हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परिशोधन प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सचिव द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (अदूषण नियंत्रण तथा निष्कासन) अधिनियम, 1974 तथा (अदूषण नियंत्रण तथा निष्कासन) अधिनियम, 1981 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाई गई विधायी परिभाषक/समाप्ति अधिसूचना (प्रधान सचिव एवं सीनियर संचालक) नियम, 2008 (पंचा संशोधित) तथा श्रेष्ठ पर्यावरण विनियम, 1981 (पंचा संशोधित) की अंतिम विनियमित की जा सकती है।
33. प्रस्तावित परिशोधन के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ से प्रस्तुत विवरण में कोई भी विद्यमान अथवा परिवर्तन होने की वशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की अनुसूचित अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने काया निर्णय ले सके। सचिव में कोई भी विस्तार अथवा सम्बन्ध एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / कला सरकार पर्यावरण एवं और पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण, गई दिल्ली की पूर्ण अनुमति से बिना नहीं किया जाए।
34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय लक्ष्य की प्रति को उनके संशोधन कार्यलय, किला-ब्यापक एवं पर्यावरण संरक्षण एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यलय से 30 दिनों की अवधि के लिये प्रदत्त करेगा।
35. पर्यावरणीय लक्ष्य की विलम्ब अथवा नैसर्गिक वीर ट्रेडिन्स की लक्ष्य, नैसर्गिक वीर ट्रेडिन्स एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए आख्यानी अनुसार, 30 दिन की समय अवधि से की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

श्री धन कुमार अहवाल, कछार सींच भाईन

को कछारा कमारक 638, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टर में से 1.12 हेक्टर, पाल-कछार, महसील व जिला-शामगढ़ (छ.ग.) में साम्ब नदी से रेत उत्खनन क्षमता 11,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. साइट अध्ययन (मिस्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत साइट अध्ययन (Investigation Study) करवायेगा, ताकि रेत की पुनःपूरण (Replenishment) वास्तु सही आसकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघति, जीव एवं सूक्ष्म जीवी पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त साइट अध्ययन (मिस्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कलस्टर में है, अथवा 500 मीटर की सीमा स्वीकृत रेत खदानों का कुल क्षमता 5 हेक्टर में से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 1.12 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 11,200 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर भाईनिंग क्षेत्र एवं अर्थात् भाईनिंग क्षेत्र का भीके पर खनिज विभाग से साइट सीमांकन करने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व पर्यावरणनुसार निर्धारित विद्युत बिन्दुओं पर नदी में रेत की साइट के स्तरों (Levels) का मोस्ट-मानसून एवं वर्षा, उसके आसकड़े लम्बाय एन.ई.आई.ए.ए. अर्थात्समक को प्रस्तुत किने जाये।
6. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विद्युत बिन्दुओं में भाईनिंग सींच क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र की अक्सट्रीम एवं काउन्सट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (पैनी जॉन) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में गठी साइट के स्तरों (Levels) का सही पूर्व निर्धारित विद्युत बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी विद्युत बिन्दुओं पर रेत साइट के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत साइट के पूर्व निर्धारित विद्युत बिन्दुओं पर रेत साइट के लेवल (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। मोस्ट-मानसून के आसकड़े दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं ड्री-मानसून के आसकड़े आगामी 2021, 2022, 2023 तक अतिवाही क्षम से एन.ई.आई.ए.ए. अर्थात्समक को प्रस्तुत किए जायेंगे।
7. रेत की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण सप्लाय (Machinery) अदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। किल बेंक में सही जलनी का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में किल रेत खुदाई गड्ढे

(Excavation pits) से लीडिंग चाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल किन्हीं, सीमांकित एवं घालित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अधिक नहीं माना जायेगा तथा जो उपरी सतह, दोन्ही से से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर को नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गीटाई तक की रेत नदी तट (बाईं किनारे) को जमा होना आवश्यक है।
9. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो होना ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षय न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 44 मीटर की दूरी को माद किया जाएगा। किसी भी स्थिति, स्ट्रापडेड बॉट, एनीकर, जल प्रवाह यंत्रणा एवं अन्य क्वाली संरचनाओं से ज्वार को अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाता अनिवार्य है।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन को कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल तटी क्षेत्र में किया जाए जिसमें लक्ष्य जिसके जल-वाहक क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों को आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात में संध्य नहीं किया जाए।
13. परिवहन प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रकारों तथा लीडिंग / अनलीडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्लूइडिड अथवा सिल्टिंग को नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव तन्त्रा अन्य उपयुक्त साधनों को जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिलक्ष्य जल की गुणवत्ता भारत सरकार, मंत्रालय, एवं और जल जल पोलिटिन्, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. रेत का परिवहन सामूहिक अथवा अन्य उपयुक्त साधन से डके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। वाहनों का परिवहन जब लक्ष्य क्षेत्रों को क्षति को अधिक नहीं बना जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
16. प्राथमिकता के आधार पर साधान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट को कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नव प्रति हेक्टेयर लीड क्षेत्र को अनुसार अर्जुन, जामुन, बर, पीपल, नीम, करंज, शीशु, आम, इमली, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों को कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसको अतिरिक्त 500 नव पौधे पशुधन बांध में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (क्या कान्टेनर एवं

की बाक का उपवीन) किया जाए। उपरोक्त वृद्धारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

17. वृद्धारोपण का एक-सत्राय जगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पीछे को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
18. किये गये वृद्धारोपण की पुष्टी हेतु बी.पी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए प्रतीसमग्र पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण संसाधन निरीक्षण प्रधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.) प्रतीसमग्र को प्रेषित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पत्र जारी किया जाए-

Capital investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.58	2%	0.79	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Kachhar	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.80</b>

20. सी.ई.आर. की तहत निर्धारित कार्यवाही 03 महीने में अधिकांश रूप से पूर्ण किया जाए।
21. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन को विधायी मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेल शासनम आदेश करने से पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करने। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रतीसमग्र पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
22. प्रतीसमग्र ग्रीन कॉरिडोर नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेल शासनम हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित संरक्षण योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
23. कार्य स्थल पर यदि कोयला खनिक कचरा पर लगाये जले है तो ऐसे खनिजों को आधारा उपरिष्ठ संरक्षण परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही जाएगी। आतासीक व्यवस्था



अच्छा की संरचनाओं को बनाने में ही सहायता है, जिसे परिशोधना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

24. धर्मियों को लिए समान स्वतंत्र एवं स्वच्छ व्यवसाय विकल्पों की सुविधा, सेवाएं तथा प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था परिशोधना प्रशासक द्वारा की जाए।

25. धर्मियों का समाज-समय एवं आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त कराया जाये।

26. संरचना की तकनीक, कार्य शैली एवं अनुमोदित संरचना योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए.ए. प्रशासनिक / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्बन्धित पर अधिकार प्रदान करने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा शोषण, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

28. एन.ई.आई.ए.ए. प्रशासनिक पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परिशोधना की अपेक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन एवं नए शर्तों के अंतर्गत न करने की दृष्टि से किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नए शर्तों को जोड़ने अथवा पालाईय / निरस्त करने के मामलों को और सहाय करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।

29. परिशोधना प्रशासक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परिशोधना क्षेत्र के आस-पास व्यवसाय रूप से प्रकाशित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की मूख्य प्रसारित करेंगे कि परिशोधना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ पर्यावरण, प्रशासनिक पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट [www.epafor.nic.in](http://www.epafor.nic.in) एवं एन.ई.आई.ए.ए. प्रशासनिक की वेबसाइट [www.enaacg.org](http://www.enaacg.org) पर भी किया जा सकता है।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाई की एवं वार्षिक रिपोर्ट प्रशासनिक पर्यावरण संरक्षण मण्डल, तथा उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड, जिला-उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रशासनिक पर्यावरण संरक्षण मण्डल, उत्तर प्रदेश, एन.ई.आई.ए.ए. प्रशासनिक एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापूर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापूर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदान शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी।

31. एन.ई.आई.ए.ए. प्रशासनिक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापूर / क्षेत्रीय प्रमुख निदेशन बोर्ड / प्रशासनिक पर्यावरण संरक्षण

सम्बन्ध की विधानिका/अधिनियमों की शर्तों को अनुपालन को बाध में की जाने वाली नीतिगत हेतु पूर्व साधनीय प्रदान किया जाए।

32. परिचोदना प्रस्तावक छातीसंगठ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (अदूषण नियंत्रण तथा निष्पन्न) अधिनियम, 1974 तथा (अदूषण नियंत्रण तथा निष्पन्न) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बन्दों एवं नियमों, सार्वजनिक आश्रित (प्रधान इलाका एवं सीमावर्त संरक्षण) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक सचिवालय अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत निर्दिष्ट की जा सकती है।

33. प्रस्तावित परिचोदना के बारे में एन.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विधायक अथवा प्रतिनिधि होने की दशा में एन.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एन.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध निर्णय ले सके। छद्म में कोई भी विवरण अथवा चन्पन एन.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. छातीसंगठ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों को उनमें क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं छातीसंगठ एवं जलेश्वर/छातीसंगठ कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति को विरुद्ध अपील नेशनल पीन ट्रीब्यूनल को समझ, नेशनल पीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिवस की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एन.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एन.ई.ए.सी.

श्री वैभव सखुजा पी-1 बीरबी बीकनर मईन  
को खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टर, घाम-बीरबी, राहवीज-वांग,  
जिला-जांजगीर-बांग (छ.प.) में हसदेव नदी से रेत उत्खनन बाधता 75,000  
घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु की है।
2. ग्राह अवयमन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अवयमन (Estabon Study) करावेगा ताकि रेत के पुनःपूरण (Replenishment) बाधना नहीं आकर, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसमूह, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। ग्राह ग्राह अवयमन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पर्याप्त ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनित विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, जहाँ 500 मीटर की भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल कच्चा 5 हेक्टर से अधिक होना है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के सारों (Levels) का पोस्ट-मानसून सर्वे कर, उसकी आकड़े ताबतल एनईआईएए, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायें।
6. रेत खान खनित भागसून के पूर्व (गई गह के अंतिम सप्ताह/कुन के अंतिम सप्ताह) इसी विभिन्न बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज की बाहर / नदी तट (चौकी क्षेत्र) में 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी सतह के सारों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार भागसून के बाहर (अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम) में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व इसी विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का लेवल किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के लेवल का सर्वे आगामी 5 वर्ष तक निरन्तर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एनईआईएए, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायें।
7. रेत की खुदाई श्रमियों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रेत केक में भारी बहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लीजिंग मशीन तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।

- 8. रेत का उत्खनन केवल विन्हीट, सीमांकित एवं धोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी बाध, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर को नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (डार्क बैंक) को ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
- 9. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी को माप किया जाएगा। किसी भी पुलिया, ब्यापडैम, बांध, एन्लैकट, जल प्रपात, बंधवला एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
- 10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं तट पहाव को स्थूल पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
- 11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्धारित न हो। बाघुली के प्रजनन इलाक़ों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
- 12. रेत उत्खनन एवं गहराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि को समाप्त नहीं किया जाए।
- 13. परियोजना अंतर्गत द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रजाती अथवा लार्विम / स्पेसिफिक आदि से सम्बन्ध होने वाले अप्सुलिटिव इस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त माप प्रदूषण नियंत्रण आसथाएँ जैसे जल फिल्टरिंग अथवा अन्य उपयुक्त उपकरणों की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परियोजना कार्य की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल विभाग, परिसर, ब्याजल, नई दिल्ली द्वारा अधिकृतित मानकों से जांचित नहीं होगी ताकि।
- 14. रेत का परिवहन सार्वजनिक अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से बड़े हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत सड़क से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर ली गाड़ियों को समाप्त से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 15. उत्खनन क्षेत्र में अग्नि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
- 16. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीव क्षेत्र को अनुसार अर्धुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, खैरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 500 नग पौधे चट्टान मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कटेदार तट की बाध का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।



17. पुनरोपकरण का लक्ष-संख्या आनामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करने हेतु पुनः पौधा की प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
18. किसे नये पुनरोपकरण की पुष्टी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) वाले एवं फोटोग्राफस अर्थव्यवस्था रिपोर्ट में समाहित करने हेतु प्रकृतिशास्त्र पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण निदेशक प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रकृतिशास्त्र को प्रेषित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
76	3%	1.52	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Sorsai	
			Rain Water Harvesting System	0.90
			Running water facility for Toilets	0.37
			Plantation	0.25
<b>Total</b>			<b>1.52</b>	

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
21. परियोजना प्रस्तावक सम्बन्धित बौन्ड / राज्य सरकार के विभागों, कारखानों एवं अन्य संस्थाओं से रैलू आवाहन करके करने की पूर्ण आवश्यकता सभी अनुमतिपत्र प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समक-समक पर बौन्ड/राज्य सरकार बौन्ड्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रकृतिशास्त्र पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / सर्वोपयोगिता का मानक सुनिश्चित किया जाए।
22. प्रकृतिशास्त्र नील-खनिज नियम, 2018, राज्य सरकार द्वारा रैलू आवाहन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी किया निर्देशों अनुमोदित आवाहन योजना एवं सर्वोपयोगिता प्रस्ताव योजना का मानक सुनिश्चित किया जाए।
23. कार्य-स्थल पर यदि कोमिनग अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों को आवश्यक उचित आवास परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक आवास प्रस्तावों संरचनाओं के रूप में हो सकती हैं, जिसे परियोजना पूरी होने के उपरान्त हटाया जा सके।

24. श्रमिकों को लिए संलग्न आवेदन पर आवेदन पत्र/उत्तर विनियमनबद्ध सुविधा, मीटर/इल  
टाइमिंग मीटर की आवश्यकता परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
25. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकता अनुसार देखभाल किया जाए।
26. उत्खनन की तकनीक, कामों क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना को अनुक्रम तारीख  
योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत  
सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को पूर्व अनुमति  
को बिना नहीं किया जाए।
27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अभाव किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य  
सम्पत्ति पर अधिकार हानि का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी  
निसी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों को अधिकतम अथवा  
अल्प, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के तहतपन हेतु अधिकृत करता है।
28. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्वीकृति  
में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप में पालन न करने की दशा में  
किसी भी शर्त में संशोधन/मिस्त्र करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खनन /  
मिस्त्राव को रोकना और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय संस्थाएं जारी में जो कि परियोजना क्षेत्र  
को आस-पास आस-पास रूप में प्रस्तुत हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7  
दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय  
स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सविधानतः  
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका  
अपडेटेड भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली  
की वेबसाइट [www.menvt.nic.in](http://www.menvt.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट  
[www.ahwacg.org](http://www.ahwacg.org) पर भी किया जा सकता है।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की वर्ष  
वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर,  
जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, विलासपुर,  
एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु  
परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापुर द्वारा  
पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की जांच/रीज की जाएगी।
31. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत  
सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत  
सरकार, नयापुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण  
मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन को संशय में ही उत्तरे  
वाली कमेटी/रीज हेतु पूर्व सहयोग प्रदान किया जाए।



32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा निबंधन) अधिनियम, 1986 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बंधन वाले नियमों, परिशिष्टकृत अतिरिक्त (प्रयोग इकायों एवं सीमागत संघालय) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक वास्तव्य क्षेत्र अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) के अंतर्गत विनियमित की जा सकती हैं।

33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में उपर्युक्त विवरण में कोई भी विस्तार अथवा परिवर्तन होने की दशा में एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की समझौता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने का फैसला निर्णय ले सके। छद्मान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भ्रमा संस्कार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संघालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उन्को क्षेत्रीय कार्यालय, किला-ब्यापार एवं उद्योग क्षेत्र एवं क्लेयर/कार्बोक्लोर कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति की विस्तृत अवधि केसबल तीन ट्रीक्यूशन को समय केसबल तीन ट्रीक्यूशन एक्ट 2010 की प्राय 18 में विद् 11ए प्रायधानी अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एन.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एन.ई.ए.सी.

वेस्टर्न इतिहास बिक अर्ब बने क्यारी एण्ड फिक्स विमनी बिक प्लॉट

(पी - बी दिनेश जायसवाल)

की खसरा क्रमांक 1296/1, 1296/2 एवं 1297, ग्राम-दहिमा, तहसील व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्र 1.091 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) क्षमता - 875 घनमीटर (ईट निर्माण इकाई क्षमता 8,81,500 नम) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति से दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.091 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान की अधिकतम मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) क्षमता - 875 घनमीटर (ईट निर्माण इकाई क्षमता 8,81,500 नम) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं या सीमांकन काराक पर कोई सुनाई जाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की अंशतः भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 (यथा लागू) को प्राथमिकता दी जानी होगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/08/2013 के अनुसार किसी विधित स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। खिन्न विमनी से सबसे निकट उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/08/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया में-जल स्तर के साथ असंतुल्य प्रमाण से भी जाहगी एवं उत्खनन प्रक्रिया में-जल स्तर के नीचे किसी भी परिवर्तन से नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की प्रविष्ट एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी भी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए अतिसु इस प्रक्रिया में अथवा कुलापेक्ष हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के निम्न मीट्रिक टैंक एवं लीकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी भी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं अर्बिकतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल को पुनःउपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. नू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय नू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. ईट उत्पादन हेतु विद्युत् विनयी आवृत्ति ईट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईट भट्टे की विनयी की पार्टिकुलेट गैस उत्सर्जन की मात्रा एवं विनयी की उपयुक्त मात्रा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन की विभिन्न स्तरों से उत्पन्न पर्यावरणिक हानि उत्सर्जन का नियंत्रण इमाड़ी एवं नियमित रूप से किया जाए। गंधक, भार, रंग, संघटन क्षेत्र, मसाई एवं अन्य हानि उत्सर्जन विन्दुओं का जल विद्युत् का व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संयोजन / संतुलन सुनिश्चित किया जाए।
9. ईट निर्माण में मसाई क्षेत्र का उपयोग करते सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
10. माहारी एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनियमित मानकों (जो भी कठोर हों) के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होगी चाहिए।
11. ईट निर्माण में ताप विद्युत् संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग करते सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा मसाई एत से उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनः उपयोग ईट निर्माण में किया जाए। जल उपकरणों के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू-भाग हेतु उपयोग किया जाए।
12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयोग नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं जाने वाली भूमि को पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी औद्योगिक क्षेत्रों को स्थिर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सोईल) को खण्ड प्रक्रिया के साथ-साथ (ऑनकॉस्टेलरी) उपयोग किया जाता समय न हो, तब इसे जलक से सम्बन्धित पर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. औद्योगिक एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि सम्बन्धित पर्याप्त जल-वायु की भूमि पर विचरित प्रभाव न आते सकें एवं जनता के स्वास्थ्य को हानि न हो। पुनः उद्धार (रिहाबिलिटेशन) हेतु भूमि का पुनः उपयोग अथवा खनिज वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सम्बन्धित क्षेत्र की ऊंचाई एवं मोटाई तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। औद्योगिक क्षेत्र का सतत रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से फ्लोरोप किया जाए।
14. पर्यावरण प्रभावों का प्रभाव सुनिश्चित किया जाए कि उत्पन्न प्रक्रिया से उत्पन्न विद्युत् क्षेत्र क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल स्तरों में प्रभावित न हो। इन क्षेत्रों हेतु साईन पोस्ट, अन्य क्षेत्र ईट भट्टा क्षेत्र में स्टैबिलिज गीस / गार्डरोप डैम की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी एवं ईट का परिवहन सार्वजनिक अथवा अन्य उपयुक्त वाहन से करके एवं पथ से किया जाए ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बहने नहीं मिले। खनिज

का परिचालन कर रहे जड़नों को शमात से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव भरा गया किता जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.04	2%	0.58	Following activities at Government Primary School, Village-Datima	
			Rain Water Harvesting System	0.77
			Plantation with fencing	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.87</b>

17. सी.ई.आर. के लक्ष्य निर्धारित कार्रवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (पारी तालाब 01 सेक्टर पीसी ब्लॉक), होल-सेड, ऑपरबर्ग अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 250 पौधों का रोपण सुचारुतम किया जाए। इतित नदरी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

19. प्रत्यक्षता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर नीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, वीसू, आम, इनली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 250 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कार्टेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित प्राण प्रभावता द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय कबीकृति निरस्त की जा सकती है।

20. वृक्षारोपण का सब-रखत अवधि 3 वर्ष तक सुनिश्चित करके टुवे मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफिक अर्थवर्षिक रिपोर्ट में समाहित किये टुवे प्रतीक्षण प्रदर्शन संस्थाक मापक एवं राज्य स्तर पर्यावरण समावात निर्धारण प्रक्रियतम (एन ई.आई.ए.ए.) प्रतीक्षण को प्रेषित किया जाए।

22. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।



23. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि परम्परागत एवं मौखिक-सम्पुर्ण पर काम से काम सुधभाव हो।
24. मिट्टी उत्खनन प्रतियोगिता गीन कब्रिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रखनन योजना के अनुसार किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि खनिज भूमिक कार्य पर समाप्त नहीं है तो ऐसे भूमिकों के आवास संबंधित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था संस्थापी संस्थाओं के साथ से हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
26. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर सशुद्ध पेयजल विनिस्सर्जित सुविधा, सींचाई/ टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. भूमिकों का समय-समय पर अवलोकन/समय-समय पर भूमिकों का आवास प्रदान किया जाए।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संस्था पर अधिकार रहने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी संस्था को मुक्तता प्रदान करने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा कोई राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के अंतर्गत हेतु अधिकृत करता है।
29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, से किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. प्रतियोगिता / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
30. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतियोगिता पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समाप्ति के परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट कार्य के समाप्ति पर से पालन में करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा पर्यावरण / निस्स्राव के मानकों को और सशुद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
31. परियोजना प्रस्तावक खुद अपने 02 स्थानीय सम्बन्धित पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास धारण रूप से प्रस्तुत हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 02 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रस्तुत करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ अधिकारक, प्रतियोगिता पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका आवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट [www.environment.gov.in](http://www.environment.gov.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए. प्रतियोगिता की वेबसाइट [www.seiaecg.org](http://www.seiaecg.org) पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दो नई शर्तों के पालन हेतु की गई आवेदकों को उच्च वार्षिक रिपोर्ट प्रतियोगिता पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय प्रतियोगिता पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. प्रतियोगिता एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर को प्रेषित किया जाए।
33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में उदात्त शर्तों के पालन की सुनिश्चित की



आएगी। इस हेतु परिषोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये वस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण गैर श्रेणीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापुुर को प्रेषित किया जाए।

34. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / श्रेणीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापुुर/बोन्डीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली सल्लिखित हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

35. परिषोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिश्लेषण और अन्य अपरिशिष्ट (प्रदूषण एवं सीमापार संघर्ष) नियम, 2018 तथा लोक सल्लित्य बीमा अधिनियम, 1981 (तथा संगीनित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

36. प्रस्तावित परिषोजना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किल्लत में कोई भी विधायन अथवा परिवर्तन होने की वल्लत में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः मशीन जनसल्लरी सल्लित सल्लित किया जाए, ताकि एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस वल्ल विचार वन शर्तों की उपयुक्तता अथवा सल्लिन शर्तों निर्दिष्ट करने अथवा निर्मल्ल से सल्ले। अलाव में कोई भी विस्तार अथवा सुनल्लन एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति से बिना नहीं किया जाए।

37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणवीय सल्लिधुति की शर्तों को इनके श्रेणीय कार्यालय, किल्ल-यापार एल्ल सल्लिम केंद्र, एल्ल कलेक्टर/तल्लसीनदार कार्यालय में दिवस की अवधि से किल्ले प्रदर्शित करेगा।

38. पर्यावरणवीय सल्लिधुति के किल्ले अपील वेतल्लत वीम ट्रीधुनल्ल के सल्ले, वेतल्लत वीम ट्रीधुनल्ल एल्ल 2018 की धारा 18 में दिवसे गये प्रकल्लानों अनुसार, 30 दिन की सल्लय अवधि में की जा सल्लेगी।

  
सदस्य सल्लिधु, एम.ई.ए.सी.

अध्यास, एम.ई.ए.सी.



मेसर्स श्री खानंद कुमार अडवाला (बनाईगरी आईन स्टोन क्वारी)  
की खनन क्रमांक 1248/1, 2 एवं 1249/1, 2, 3 एवं 14, कुल लीज होज 0.81  
हेक्टर, प्राग-बनाईगरी, तड़शील-बराही, जिला-मिर्जापुर में कुला पाथर  
(ग्रीन खनिज) उत्खनन क्षमता-5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी  
जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षमता (लीज होज) 0.81 हेक्टर क्षमता पर्यावरण संरक्षण, खनिज सार्वजनिक विभाग द्वारा स्वीकृत लीज होज (टोनी में हो जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से कुला पाथर का अधिकतम उत्खनन 5,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज होज की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पत्रों के मुताबिक जमाया जाए।
2. खरीदोचना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरंरू दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार की उचित एवं कारगर व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संसाधन द्वारा जारी ई-आईए नोटिफिकेशन, 2006 (पत्रा संशोधित) के प्रावधानों को लागू रहेगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निक्षेपित नहीं किया जाए। अतः इसे प्रक्रिया में अथवा पुनरोपयोग हेतु पुनः उपयोग किया जाए। धरंरू दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोफ्टवेट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निक्षेपित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं धरंरू को जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल की पुनःपला सफाई, संयंत्रण, वन और जलवायु परिवर्तन, संसाधन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा पर्यावरण संरक्षण संयंत्र द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) को अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. यदि बहुत बालक खान संसाधन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन होज तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि लगभग खनन गतिविधियों के कारण अक्षत (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी सी-रॉफिंग (re-grassing) की जाएगी एवं मुझे यह पुनःस्थापना इस किंवदंती तक किया जाएगा किमती यह क्षेत्र, वनस्पतियों, जीवी आदि के संरक्षित हेतु उपयुक्त हो। पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्रविशकों से अनुमोदित माईन प्रोजेक्ट प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. न्यू-जल को उपयोग हेतु केंद्रीय न्यू-जल बोर्ड से उत्खनन अल्प करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी किनारी / बेंट / प्लाईट स्लैब से सर्टिफिकेट ग्रेटर संसाधन की मात्रा 50 मिमी/घण्टा / सामान्य घण्टी/घं से कम सुनिश्चित किया जाए। अथवा, खनिज, इलाका प्लाईट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अथवा एंसाइकलन सिस्टम के साथ जलक विसर्प का बेम किन्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न सर्टिफिकेट अथवा संसाधन का नियंत्रण जमाती एवं नियंत्रित रूप से किया जाए। यहूत मार्ग, रैम, संयंत्रण क्षेत्र, भराई एवं अन्य अर्थ जलवायु

चिन्तुओं के अंतर्गत कार्यवाही के अंतर्गत निम्नलिखित एवं अन्य विवरणों की व्यवस्था की जाएगी इसका सार संलग्न / संघलग्न सुनिश्चित किया जाए। विषय विशेषों को निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, यन्त्रों एवं अन्य प्रक्रिया की उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के तहत चिन्हित वाहनों को अनुसूचित बना जाएगा। उत्पन्न क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता बनाए रखने के उपायों के अंतर्गत, इन वाहनों को वायु प्रदूषण नियंत्रण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित वाहनों से अधिक नहीं होने चाहिए।
9. लीज क्षेत्र के बाकी तरफ छोटी गड्ढे 7.5 मीटर की छोटी गड्ढों में कोई गैस का रोक / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इन गड्ढों में क्लोरिनेशन किया जाए।
10. उत्पन्न प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्पन्न क्षेत्र उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी क्षेत्रों में कोरिडोर (स्टेडिस्टोर) बनाने में किया जाए। जहाँ पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) को उत्पन्न प्रक्रिया के साथ-साथ (ऑन-सैल) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
11. कोरिडोर एवं अनुसूची / विहीन अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिह्नित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार की भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ऊपर की ऊंचाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 28 मिमी से अधिक न हो। कोरिडोर एवं अन्य का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से क्लोरिनेशन किया जाए।
12. जहाँ तक संभव हो कोरिडोर एवं अन्य अनुसूची / विहीन अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को उत्पन्न क्षेत्र परचाल करने गड्ढों में सुरक्षित (बैंक सिस्टम) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
13. पर्यावरण प्रभावों के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाए कि उत्पन्न प्रक्रिया से उत्पन्न मिट्टी लीज क्षेत्र के आस-पास की सड़कें जल संचालन में प्रभावित न हों। इसे रोकने हेतु माईन वॉटर तथा अन्य क्षेत्र में सिटिनिंग वॉटर / गारलेंडिंग वॉटर की व्यवस्था की जाए।
14. खनिज का परिवहन वेहनकों को क्लोरिनेशन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को समता से अधिक नहीं बना जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. सी ई आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Chanadongri	



			Rain Water Harvesting System	0.57
			Plantation with fencing	0.10
			Total	0.67

16. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
17. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (जहाँ लरक 7.5 मीटर चौड़ा हो), होल रोड, ओवरलैंडिंग ब्रक आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का समय वृक्षारोपण किया जाए। हरित घाटी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में कम से कम 200 मय प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, नीरू, आम, इगली, अर्जुन, बरिसा आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 वृक्षों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जिसका कोटेदार तार के बाड़ अथवा टूटी गाड़ों का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्दीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. वृक्षारोपण का लक्ष-संख्या आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चिता करते हुए मृत वृक्षों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
20. किले भू-वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सॉफ्टवेयर एवं गैलिलेओसका ज्योमेट्रिक सिस्टम में समाहित करते हुए छायांकन-पर्यवेक्षण संसाधन मण्डल एवं समय स्तर पर्यावरण संरक्षण निदेशक प्रविष्टि (एम.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
21. परिधीयता प्रशासक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 50 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को हार्मर/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवाजशक्ता अनुसन्धन कराया जायान भी कराया जाए।
22. सख्त प्रविष्टि / डी.जी.पी.एस. से अनुमति उपनात सुरक्षित एवं नियमित विधि से स्टाइटिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (पिलाई रोकर) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। वेद ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण आरम्भ नस्यारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे खनन का उत्कारण नियंत्रण में रहे।
23. उत्खनन प्रक्रिया नू-जल स्तर के उपर असंतुप्त अभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया नू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चिता की जाए कि उत्खननियों एवं जीम-अनुमो की का कम से कम सुधमाय हो।
25. परिधीयता प्रशासक द्वारा गीम खनित का उत्खनन असीससय गीम खनित नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रकान योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

26. कर्ता स्वयं या यदि कर्मिणः स्वयं कार्य पर अग्राह्य करते हैं तो ऐसे कर्मियों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परिशोधन प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। जापानीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है जिसे परिशोधन पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
27. कर्मियों के लिए खाना स्वयं या स्वच्छ पेयजल विहितकारीय सुविधा, बेदाहल टायलेट आदि की व्यवस्था परिशोधन प्रस्तावक द्वारा की जाए।
28. कर्मियों का समय-समय पर आकस्मिकताओं हेतु सर्वोत्तम कठनाय व्यवस्थाक है।
29. उपकरण की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसंधित उपकरण योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उपकरण, कर्मियों की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकण्ड / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी स्थितिगत अवस्था अन्य सम्पत्ति पर अधिकार रखने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा स्थितिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा अन्य राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
31. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिशोधन की स्वरूप में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में अग्रिम / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरस्त के मांगको को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
32. परिशोधन प्रस्तावक भूदान 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिशोधन क्षेत्र को आस-पास आवास रूप से प्रभावित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परिशोधन की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की द्वितीय सचिवालय, प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एवं ई.आई.ए.ए. प्रतीकण्ड की वेबसाइट [www.ambacop.org](http://www.ambacop.org) पर भी किया जा सकता है।
33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही को एवं वार्षिक रिपोर्ट प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिनासपुर एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकण्ड एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
34. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में उचित शर्तों के पालन की भविष्य की जांच की जाएगी। इस हेतु परिशोधन प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन को पूर्ण रीट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
35. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकण्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / क्षेत्रीय प्रमुख निदेशक बोर्ड / प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैधानिक/अधिकारिणों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली भविष्य हेतु पूर्व सहयोग प्रदान किया जाए।



36. परिव्योक्त्या प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निपटण) अधिनियम, 1984 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निपटण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धकरण और अन्य अधिनियम (प्रबंध एवं वीर्यमान संरक्षण) नियम, 2016 तथा लोक दण्डित्य रीत अधिनियम, 1991 (तथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
37. प्रस्तावित परिव्योक्त्या के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की वक्ता में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सुचित किया जाए, तबकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। वक्ता में कोई भी विवरण अथवा उन्मथन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण एवं और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार की पुनः अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति जो उन्मथे क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं जलेश्वर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए उपलब्ध करेगा।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील मेसामल रीत ट्रीब्यूनल के समक्ष, मेसामल रीत ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की अवधि अवधि में की जा सकती है।

सचय्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

संसर्ग बंगोरी विस्म अर्थ लाईन (जी- बी बनेश राम देशमुख)  
की खसरा क्रमांक 1117 से 1119, 1122 से 1125 एवं 1135 से 1141, 1148/1  
एवं 1150, बाम-बंगोरी, तहसील ब मिला-दुर्ग, कुल तीस बीघ 2 ईकडेयर,  
मिट्टी उपखनन (ग्रीन खनिज) शक्ता - 500 घनमीटर (ईट निर्माण इकाई शक्ता  
9,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी जलस्रोत में डी. टी पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उपखनन क्षेत्र 2 ईकडेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उपखनन (ग्रीन खनिज) शक्ता - 500 घनमीटर (ईट निर्माण इकाई शक्ता 9,00,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। क्षेत्र क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर सभी कुमां लेवाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की शिफारश करने सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहनी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान, मंत्रालय द्वारा जारी अधिनियम दिनांक 24/08/2013 के अनुसार किसी विधित्त स्रोतस्रोत से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उपखनन क्षेत्र की परिसर सुनिश्चित किया जाए। किसी किसी से जारी लक्ष्य उपखनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान, मंत्रालय द्वारा जारी अधिनियम दिनांक 24/08/2013 में मिट्टी उपखनन हेतु निर्धारित बाईक-लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उपखनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उपखनन प्रक्रिया सू-जल स्रोत के पथ असंगत प्रमाण में की जाएगी एवं उपखनन प्रक्रिया सू-जल स्रोत के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार के उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा पुनर्वापन हेतु पुनःवापन किया जाए। धरेलू दूषित जल के उपचार के लिये संपूर्ण टैंक एवं सोल्नोट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं धरेलू जल जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा भारतीय पर्यावरण संरक्षण संयंत्र द्वारा अधिसूचित मानक (जे भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. सू-जल की उपयोग हेतु सतहीय सू-जल बोर्ड से उपखनन अरसे करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)



8. ईट उत्पादन हेतु विपरीत दिग्गति ईट मट्टे की स्थापना किया जाए। ईट मट्टे की विपरीत से क्वार्टिड्यूलेट गेटर परस्परों की मात्रा एवं विपरीत की संख्या भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न क्वार्टिडिग ईस्ट परस्परों का निबंधन इलाही एवं निर्दिष्ट रूप से किया जाए। लुईय मार्ग, ईस्ट संरक्षण क्षेत्र, मराई एवं अन्य इस्ट परस्परों विन्दुओं पर उच्च विद्यमान की आवश्यकता किया जाकर इसका उचित संरक्षण / संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
9. ईट निर्माण में पत्ताई एरा का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा संचय-संचय पर जारी दिशाविदेशों के अनुसार किया जाए।
10. कटनी एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को कोषाल संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1986 में उक्त निर्दिष्ट मानकों (जी भी कमी ही) के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवर्तनीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
11. ईट निर्माण में उच्च विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न शक्ति का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा पत्ताई एरा के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के आधारों के अनुसार किया जाए। ईट मट्टे से उत्पन्न शक्ति का पुनः उपयोग ईट निर्माण में किया जाए। उक्त अधिसूचित के साथ में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को मू-मरल हेतु उपयोग किया जाए।
12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयोग नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा कृषि अधिभूतों को स्थिर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए। उक्त पर उपरी मिट्टी (टॉप सोईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्क्रीटर्स) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से संग्रहित कर स्थिर में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबैंड एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित अवधि आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के प्रभाव से गड़बड़ी में पुनः भरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मुक्त उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित अन्य की ऊंचाई 30 मीटर तथा लंबाई 45 मिमी से अधिक न हो। ओवरबैंड अन्य का खनन रोकने लु, वैकल्पिक तरीके से पुनः उपयोग किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न क्वार्टिडिग लीक क्षेत्र के आस-पास के क्वार्टिडिग क्षेत्र में पराहित न हो। इसे खनन हेतु मराईय क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, ईट मट्टेय क्षेत्र में निर्दिष्ट क्षेत्र / सार्वजनिक क्षेत्र की घोषणा की जाए।
15. मिट्टी एवं ईट का परिवहन सार्वजनिक अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इकाई पुनः प्रारंभ से किया जाए ताकि मिट्टी अथवा ईट प्रदान से बाहर नहीं गिरे। खनिज

का परियोजना कार रहे बाहरी को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पत्र कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Govt Primary & Middle School, Village-Changori	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Plantation	0.05
			<b>Total</b>	<b>0.80</b>

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचालन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (क्षेत्री तलक 01 मीटर भीड़ी बेल्ट), सील रोड, जीएसडीएम अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति की 1,100 पौधों का गणन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास सैन्डीय प्रदूषण निरोधन बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

19. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में कम से कम 200 पीछे प्रति हेक्टेयर जीव क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, लीसू, आम, इगली, अर्जुन, बरिस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों को 400 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कस्टोडियर तार से बाड़ अथवा टी बाई का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित घास पंचायत द्वारा विन्डीय क्षेत्र में जमशेकानुसार वृक्षारोपण किया जाए। जमशेक वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

20. वृक्षारोपण का राह-सहाय आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्थात्सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कलते हुये प्रतीकसहित सर्वेक्षण संस्करण मापदण्ड एवं राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण विभाग अधीकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) धर्तीसंगठ को प्रेषित किया जाए।





22. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
23. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसमुदायों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. मिट्टी उत्खनन उत्तरीसगरद पर्यावरण विभाग, 2018 की प्रणयनों, अनुसंधित उत्खनन योजनाएं एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं को अनुपाल किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि केंद्रिय भूमिगत कार्य पर लघु कार्य होते हैं तो ऐसे स्थलों को आपस उचित व्यवस्था परिशोधन प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आकस्मिक व्यवस्था अस्थायी स्तंभनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के बाद हटाया जा सके।
26. भूमिगत के लिए खनन स्थल पर सुरक्षित पैदावार विविधतापूर्ण सुविधा, गोबरदान, रामसेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. भूमिगत का समय-समय पर जासूसीकरण हेतु सर्विलेंस कालन आवश्यक है।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य समिति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों को अतिक्रमण अथवा कानून, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के अतिक्रमण हेतु अधिकृत करता है।
29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसंधित उत्खनन योजनाओं को अनुपाला वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सुनिश्चित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं ईआईएए, उत्तरीसगरद / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति की बिना नहीं किया जाए।
30. एन.ई.आई.ए.ए., उत्तरीसगरद पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजनाओं की सफलता में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से चलाने न करने की दशा में किसी भी शर्तों में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तों जोड़ने अथवा प्रकाशित / निरस्त को मांगकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
31. परियोजना प्रस्तावक अग्रिम में स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने को 15 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की प्रतियाँ सर्विलेंस, उत्तरीसगरद पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही दृश्यात्मक अतिक्रमण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एन.ई.आई.ए.ए., उत्तरीसगरद की वेबसाइट [www.ceb.org.in](http://www.ceb.org.in) पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दो नई शर्तों के चलन हेतु की गई कलेंडरों की एवं जलिक रिपोर्ट उत्तरीसगरद पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तरीसगरद पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, बिलाई-दुर्ग, एन.ई.आई.ए.ए., उत्तरीसगरद एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापुल को प्रेषित किया जाए।

*(Handwritten Signature)*

- 33 क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति से प्रदत्त शर्तों को पालन की निगरानी की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये वार्षिकी एवं अपेक्षित का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर को प्रेषित किया जाये।
- 34 एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नगपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के निदेशनिकां / अधिकाधिकारी को शर्तों के अनुपालन को संस्था में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये।
- 35 परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संस्थापन) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधायी परिशुद्धियां और अन्य अधिसूचित (प्रकाश एवं सीमापार संचालन) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (एक संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
- 36 प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विधान अथवा परिवर्तन होने की वकाल में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाये ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की सम्पुर्णता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाधित निर्णय ले सके। अतः न केवल केवल अथवा अन्ततः एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाये।
- 37 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया को जल्द क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-वापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलवार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रेषित करेगा।
- 38 पर्यावरणीय स्वीकृति के निबन्ध अधीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

नेसर्स की प्रस्ताव कार्रगिया (कलकत्ता लाईन स्टॉन माईन)  
की खनन क्रमांक 102/2.6 एवं 108/2.4, कुल लीज क्षेत्र 0.807 हेक्टेयर,  
ग्राम-कलकत्ता, तहसील-खैराबाद, जिला-राजनांदगांव में कृष्ण चण्डर (बीन  
खनिज) परस्वतन्त्र समता-12,712 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने  
वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षमता (लीज क्षेत्र) 0.807 हेक्टेयर अथवा प्रतीवर्षात् सातान् खनिज सातान् विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (टोन्स में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खनन से कृष्ण चण्डर का अधिकतम उत्खनन 12,712 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कलकत्तर फार्क गुनरी लागूया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (एदि बोर्ड हो) से उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (अथवा समीक्षित) के प्रावधानों से तहत रहेगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खनन से उत्पन्न किसी भी प्रकार की दूषित जल को किसी नदी अथवा खाड़ी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरक्षरित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा पुनरोपयोग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल से उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोफोपिट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा खाड़ी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरक्षरित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं पर्यावरण का जल अथवा में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल को पुनःउपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा प्रतीवर्षात् पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनिज पट्टा धारक खान संचालन बंद करने से उपरोक्त (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खननी खनन गतिविधियों से उत्पन्न प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह भाग, उपरोक्तियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन प्रक्रियाएँ से अनुसूचित माईन अंततः प्राप्त एक माईन के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. सू-जल से उपयोग हेतु सैन्धीय सू-जल बोर्ड से उत्खनन अथवा खनन के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी विपत्ती / डैट / प्लॉट सेटों से कंटेनरिजेट मेटर उत्पन्न की मात्रा 50 मिलीटर / सानान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अथवा, सप्लेन, ट्रांसमर क्लॉइस (एदि बोर्ड हो) में तापु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डैट एंसाइकलम सिस्टम के साथ साथ पत्रात का डैट क्लिटर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्लूइडिज डैट उत्पन्न का नियंत्रण प्रभावी एवं विधिमित रूप से किया जाए। पट्टेय नदी, रैम्प, संचालन क्षेत्र, भण्डार एवं अन्य डैट उत्पन्न

विन्दुओं उच्च अटोमोटिव कम गतिमान वाहन एवं जल विद्युतघटकी व्यवस्था की जाकर इच्छा-सफल संघात्मक / संघात्मक सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग बीज का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. काली, खाना एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों को अनुसरण रखा जाएगा। उत्पन्न क्षेत्र में परिवर्तित वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के निर्धारण, वन और जल वायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. सीज क्षेत्र के घाटी तरफ घाटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इन पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
10. पराधन प्रक्रिया के दौरान हाटर्ड नई जपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्पन्न होने वाले उपयोग में न करने वाली भूमि को पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंडिंग को सिंच (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर जपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को धनन प्रक्रिया के बीच-साथ (कीनकरेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, एवं इसे पृथक से स्थापित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
11. ओवरलैंडिंग एवं अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (विस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से निर्धारित स्थान पर भण्डारित किया जायेगा। इन प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ जल-वायु की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। जमा की ऊंचाई 3 मीटर तथा शीघ्र 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग जमा पर क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
12. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (विस्ट रॉक) को धनन के प्रवाह करने गड्ढों में सुरक्षित (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा स्थित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
13. परिवहन प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि धनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्ट सीज क्षेत्र के जल-वायु को साफी जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु साईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में विटोनिंग बीज / गार्डनेस ट्रेन की व्यवस्था की जाए।
14. खनिज का परिवहन नकलीकली कस्टर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से धूल नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं बस जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32	2%	0.64	Following activities at Government Primary School, Village-Kalkasa	

			Rain Water Harvesting System	0.30
			Running water Facility for Toilets	0.20
			Plantation with fencing	0.14
			<b>Total</b>	<b>0.64</b>

16. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित सर्वोदासी 100 पाइप में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
17. जलकलन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (घाटी तलम 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र) होल रोड, ऑनस्कैनम ड्रम आदि में स्थानीय प्रजाति के 100 पौधों का जलन वृक्षारोपण किया जाए। हरित मट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टर पर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करण्ड, सीसु, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या करटेदार तार के बाड़ अथवा टी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ड्रम पंचायत द्वारा निर्धारित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. वृक्षारोपण का रकम-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मूर पीसी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) एवं गैलिलीआस अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में सम्मिलित करते हुए जलकलनक पंचायत संस्थान मन्डल एवं राज्य स्तर पर्यटन समाजगत निर्माण कार्यक्रम (ए.ओ.ई. आई.ए.ए.) अन्तर्गत को प्रेषित किया जाए।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्सवम क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले भण्डारों को इयरप्लग/मास्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय परीक एवं जांचपरकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
22. सख्त प्रतिबन्धी / डी.जी.एन.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से स्थापित किया जाए। पाथर के छोटे-छोटे टुकड़ों (पलाई रोकर) को उड़ने से रोकने हेतु परीक एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। डस्ट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अस्थापित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का वास्तविक नियंत्रण में रहे।
23. उत्सवम प्रक्रिया मू-जल नल के उपर अस्तुता उभान में भी जाएगी एवं उत्सवम प्रक्रिया मू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
24. उत्सवम की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव ही।



25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गीत खनिज का उत्खनन प्रतीभारद गीत खनिज विधम 2018 के प्रावधानों अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुमान किया जाए। मॉडल एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
26. कार्य स्थल पर यदि बेमिग अधिक कार्य पर प्रभाव पड़े है तो ऐसे अधिकों के आवक हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। भारतीय व्यवस्था प्रस्थापी संयन्त्राली के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के परभाव होता है।
27. अधिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेशकत विभिन्नक्रीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट अदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
28. अधिकों का समय-समय पर उपलब्धतामल हेतु सविशेष करना आवश्यक है।
29. उत्खनन की तकनीक कार्य शैली एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, विधम उत्खनन खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित सम्पत्ति है, में किसी की प्रकर का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीभारद / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमोती के बिना नहीं किया जाए।
30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अधिक किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार प्रदाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा सन्ध, सन्ध एवं स्थानीय समुदाय / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
31. एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीभारद पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्वीकृति में परिवर्तन अथवा विनिश्चित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में शर्तों/निश्चित करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निश्चित के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यवस्था रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस अन्वय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सविशेष प्रतीभारद पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में अद्यतित हेतु प्राप्त है। साथ ही इसका अद्यतित एस. ई.आई.ए.ए., प्रतीभारद की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही को अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रतीभारद पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय प्रतीभारद पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, मिलाड-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीभारद एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर को प्रेषित किया जाए।
34. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की नॉमिनेटिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए वसुधार्थी एवं सन्धेन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर को प्रेषित किया जाए।
35. एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीभारद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर / क्षेत्रीय प्रमुख निश्चय बोर्ड / प्रतीभारद पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय

45



## श्रीमती प्रतिभा कटरे, बबेला रोड, नाईन

को खसरा क्रमांक 521/11, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टर में से 3.287 हेक्टर, गांव-बबेला, तहसील-मानुप्रतापपुर, जिला-काकोर (छ.प्र.) में खाम्बी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) करायेंगे, ताकि रेत की पुनर्भरण (Replenishment) याथा सही अंशों, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघ, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घनी की पुनर्भरण पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसका माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट जमात करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्वार्टर में है, अथवा 500 मीटर की सीमा स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टर से अधिक होगा है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 3.287 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। रेत माइनिंग क्षेत्र एवं खानों माइनिंग क्षेत्र का सीमा पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन करने के पश्चात् ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के सारी (Levels) का पोस्ट-मानसून सर्वे कर, उसके आसपास उपर्युक्त एच.एस.डी.आई.एच. उपरीक्षणों को प्रस्तुत किए जाएंगे।
6. रेत खनन उपर्युक्त मानसून के पूर्व (पूर्व माह के अंतिम सप्ताह/जून के अंतिम सप्ताह) इसी चिह्न बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपरस्ट्रीम एवं अंडरस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी सतह के सारी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आसपास दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आसपास अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एच.एस.डी.आई.एच. उपरीक्षणों को प्रस्तुत किए जाएंगे।
7. रेत की खुदाई मनिफेस्टो द्वारा (Manually) की जाएगी। इस परियोजना के लिए किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रेत क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे



(Excavation pit) की लंबाई माईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल किन्हीं, सीमांकित एवं धोखे से ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल सतह की ऊपरी सतह दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिधि में जल सतह को नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गेटराई तक की रेत लकी टाल (ड्रॉई रीम) के ऊपर डाला जाना आवश्यक है।
9. रेत उत्खनन लकी लकी से कम से कम 2.5 मीटर ऊपर नदी की तीरछाई को 50 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि लकी लकी का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन लकी की सीमा से न्यूनतम 1.5 मीटर की दूरी को बचा किया जाएगा। किन्हीं भी पुलिस, स्टेशन, बस, एनीफट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों से खदान को अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना अनिवार्य है।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन से उत्पन्न लकी जल का वेग, एरिया, एरिया एवं जल महत्त्व को स्वस्थ पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन क्षेत्र सभी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास की क्षेत्र पर कोई भी धीम-धम उत्खनन हेतु निर्धारित न हो। बाधुली के उत्खनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, जल इन क्षेत्रों को जल प्राप्त रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
12. रेत उत्खनन एवं गहराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
13. परिवर्तना प्रभावक द्वारा रेत उत्खनन किन्हीं जमानों तथा लंबाई / अन्तर्देशित जल से उत्पन्न होने वाले अनुचित वस्तु उत्पन्न के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था जैसे जल प्रदूषण अथवा अन्य वायुमय व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, अखिल, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होगी चाहिए।
14. रेत का परिवहन सार्वजनिक अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इतनी दूर नहीं किया जाए, ताकि रेत पड़ना से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन तक की जाहानों की क्षमता से अधिक नहीं कर जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. उत्खनन क्षेत्र में खनिज प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
16. प्राथमिकता के आधार पर खदान खदान द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट को सुरक्षा को रोकने हेतु कम से कम 200 मीटर प्रति हेक्टेयर लंबाई क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, लीसू, आम, इमली, गीरल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 750 मीटर पट्टी में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कस्टोडियन तार

की राशि का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृत्तरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

17. वृत्तरोपण का रकम-संचय आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत बीमा को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
18. किये गये वृत्तरोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) वाले एक मोटोसाइकल अल्ट्रासॉनिक सिस्टम में सम्पन्नित करते हुए प्रतीकवाचक पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय एवं राज्य स्तर पर्यावरण सहायता निधि/एन.डी.ए.ए. (एन.डी.ई.ए.ए.) प्रतीकवाचक को प्रेषित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विमानानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.77	2%	0.35	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Chavala	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			<b>Total</b>	<b>0.70</b>

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अधिकांश रूप से पूर्ण किया जाए।
21. परियोजना प्रस्तावक संबंधित कंपनी / राज्य शासन की विभागों, मन्त्रालयों एवं अन्य संस्थाओं से पैर प्रत्यक्षन आरंभ करने को पूर्ण आवश्यक सभी अनुमति/पत्र प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर कंपनी/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रतीकवाचक पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
22. प्रतीकवाचक सीमा अधिनियम, 2015, राज्य शासन द्वारा पैर प्रत्यक्षन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 की प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमति/पत्र प्रत्यक्षन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
23. कार्य स्थल पर यदि कौनिस अधिनियम कार्य पर लगाये जाये है तो ऐसे अधिनियमों को अत्यंत जल्द व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही जाएगी। आवासीय व्यवस्था आवासीय संरचनाओं को कल में ही समाप्त है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।





32. परियोजना-प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिपत्रकारण अधिसूचना (प्रबंधन इभाजन एवं सीमाकार संरक्षण) नियम, 2008 (पंचा संशोधित) तथा लोक दायित्व बिल अधिनियम, 1986 (तथा संशोधित) की अन्तर्गत विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
33. प्रस्तावित परियोजना को शर्तों में एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ से प्राप्त विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की अनुसूचित अथवा नवीन शर्तों निर्दिष्ट करने काका निर्णय ले सके। सहजान में कोई भी विस्तार अथवा अन्वयन एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, पन और जलवायु परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय सौकरिता की शर्तों को इनके क्षेत्रीय कार्यालय, निरा-ब्यावर एव उद्योग बंधन एवं कलेक्टर/राजकीयवार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये उपलब्ध करेगा।
35. पर्यावरणीय सौकरिता के विरुद्ध अपील मेकनल पीन ट्रीब्युनल के समक्ष, मेकनल पीन ट्रीब्युनल एक्ट 2010 की धारा 18 में विषु गए प्राक्यान्ती अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एन.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एन.ई.ए.सी.